राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का द्वितीय दिवस [संख्या २

मंगलवार दिनांक, ४ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८.०० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।
(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[न्याय, शक्ति, शिक्षा, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, गृह, सार्वजनिक सम्पर्क, सामान्य प्रशासन, खनिज, अकाल सहायता, मंत्रि-मंडल, समाज कल्याण एवं उद्योग—विभाग]

प्रश्न संख्या १

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या २

श्री मोहनलाल सारस्वत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री जोधसिंह चौहान।

नाथद्वारा के पास बनास नदी पर लाल बाग के पास नया पुल

५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में नाथद्वारा के पास बनास नदी पर लाल बाग के नजदीक कोई नया पुल बनाया गया था? यदि हां, तो वह पुल कब बनाया गया और उस

Page No.2

(श्री जोधसिंह चौहान)

पर कितनी रकम खर्च की गई तथा किस ठेकेदार द्वारा बनाया गया ?

(२) उस पुल का उद्घाटन किसने किया और कब ?

(३) क्या यह सही है कि अभी से वह पुल या तो बीच में से क्रेक हो गया है या वह कमजोर है जिसके कारण पुल के बीच में एक और नया खम्भा खड़ा किया गया है ?

(४) यह नया खम्भा ठेकेदार ने अपने व्यय से बनाया है या इसका खर्चा सरकार को उठाना पड़ा है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। वर्ष १९६२ में १२,२०,२१७ रु० की लागत से भैरूलाल ठेकेदार द्वारा।

(२) राजस्थान के राज्यपाल ने दिनांक १२-७-६२ को।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, इसके बीच में एक और खम्भा लगाया गया है। यदि देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि डिजाइन में अलग खम्भा लगाया गया है और वह खम्भा कमजोरी की वजह से लगाया गया है। अच्छा है इसकी जांच की जावे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने कहा कि कोई क्रेक नहीं हुआ है। इसकी जांच करा ली गई है। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह नया पिलर बनाया गया है वह ओरिजिनल कोन्ट्रेक्ट में शामिल था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी हां। लैन्ड टेस्टिंग के लिए पिलर बनाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का अपूर्ण भवन

६. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सांचोर उच्चतर माध्यमिक पाठशाला भवन अब तक अपूर्ण पड़ा है ? अगर हां, तो उसे सरकार कब तक पूरा कर देगी ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : जी हां। जनता ने ५०,०००) रु० देने का वायदा किया था और अभी तक पूरा नहीं किया गया। वायदा पूरा किये जाने पर सरकार भी स्कूल को पूरा करने का प्रयत्न करेगी, क्योंकि इस स्कूल को पूरा करने के वास्ते १,७५,०००) रुपये का तकमीना था।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जनता की तरफ से पैसे दिये जा चुके हैं।

Page No.3

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अभी पंचायत समिति ने ३० हजार और दिये हैं। वहां पर स्कूल में बच्चे पेड़ों के नीचे बैठते हैं, अगर जिले में ऐसे ज्यादा लड़कों की संख्या है इसलिए सरकार को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये। यह बैकवर्ड इलाका है इसलिए ज्यादा पैसा देने की हालत नहीं है। इसके अलावा यह एक ही स्कूल है। इसलिए इन सारी बातों को देखते हुए सरकार को मदद करनी चाहिये। इसमें एज ए स्पेशल केस पंचायत समिति ने ३० हजार कॉन्ट्रीब्यूट किये हैं। इसलिए इसमें सरकार मदद करे तो कमरे बन सकते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जनता ने ५० हजार रु० देने का वायदा किया था और २५ हजार रुपये दिये हैं और वे रुपये डिपॉजिट हैं और हम आशा करते हैं कि बाकी के रुपये जनता दे देगी। क्योंकि इसकी पूर्ति के लिए १,७५,०००) रु० का तकमीना है। अब ७० हजार ही रह गये हैं। उनमें से ३६,३००) रुपये खर्च कर दिये। इसलिए ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य कुछ और ज्यादा सहयोग प्राप्त कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अभी पंचायत समिति ने ३० हजार रुपए देकर सरकार को सूचित किया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसमें एक दो कमरे बन सकते हैं। बाकी के रुपए आप दिलादें ताकि काम पूरा हो सके।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय यह बैकवर्ड एरिया है। इसमें कोई डोनेशन नहीं मिलता है। एक ही सोलिटरी स्कूल है और यह बैकवर्ड इलाका है। इसलिए गवर्नमेंट कुछ मदद करे। १,७०,००० रु० पहले काट दिए गए थे। तीस हजार तो अभी दिए हैं तो कुछ कमरे बन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

भूतपूर्व जोधपुर राज्य की जागीरें जिला पाली

७. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पाली जिले में महकमा बन्दोबस्त के अधिकारियों ने भूतपूर्व जोधपुर राज्य के कानून के विरुद्ध कई जागीरें उन व्यक्तियों के नाम पर दर्ज की जिनकी कानूनन मान्यता नहीं दी जा सकती थी ?

(२) पाली जिले में भूतपूर्व जोधपुर राज्य में जो जागीरें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थीं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह भी सच है कि महकमा बन्दोबस्त ने दौरान सरकारी रिकार्ड (माफी इन्क्वायरी) व जागीर रेकार्ड का कतई मिलान नहीं किया जो हजूरी दफ्तर की सनद बही सन् १६१६ के पृष्ठ नं० ५७ पर दर्ज है ?

(४) क्या यह भी सच है कि जोधपुर राज्य के कानून के अन्तर्गत सद-ग्रांट मुख्य जागीर का ही एक अंग माना गया है और

Page No.4

(श्री तेजाराम गहलोत)

महकमा बन्दोबस्त ने बन्दोबस्त के दौरान गलत व कानून के विरुद्ध अलग इन्द्राज किया हैं?

(५) पाली जिले में प्रश्न के भाग (२) में बताई, गई जागीरों व मारवाड़ माफी इन्क्वायरी व सनद बही सन् १६१६ में दर्ज इन्द्राज के अलावा महकमा बन्दोबस्त ने कौन कौन सी नई जागीरें दौरान बन्दोबस्त, बन्दोबस्त रेकॉर्ड में दर्ज कीं व उनका क्या आधार था ? सरकार ने उसके बारे में क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) बन्दोबस्त कर्मचारियों द्वारा जिला पाली मे उन व्यक्तियों के नाम ही जागीरें दर्ज की गई हैं जिनको कि भूतपूर्व जोधपुर राज्य के समय से मान्यता थी ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं ।

(४) भूतपूर्व जोधपुर राज्य में इन ग्रांटों को मुख्य जागीर का अंग माना है । बन्दोबस्त ने कानून के विरुद्ध कोई इन्द्राज नहीं किया है ।

(५) जागीर व माफी इन्क्वायरी की जागीरों के अलावा बन्दोबस्त विभाग द्वारा कोई नई जागीरें दर्ज नहीं की गई ।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग (३) में आपने बताया है जी नहीं । क्या यह माना जावे कि बन्दोबस्त और हजूरी दफ्तर की सनद बही सन् १६१६ के पृष्ठ नं० ५७ पर दर्ज है उसके माफिक ही इन्द्राजात किए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न संख्या का भाग (३) यह है : क्या यह भी सच है कि महकमा बन्दोबस्त ने पाली जिले में बन्दोबस्त के दौरान सरकारी रिकार्ड (माफी इन्क्वायरी) व जागीर रेकॉर्ड का कतई मिलान नहीं किया । तो मैंने यह अर्ज किया कि यह सच नहीं है, मिलान करके ही कार्यवाही की गई है ।

श्री तेजाराम गहलोत : इसमें आगे और है जो हजूरी दफ्तर की सनद बही सन् १६१६ के पृष्ठ नं० ५७ पर दर्ज है । इस बही में सारा रेकॉर्ड दर्ज है । क्या यह सनद बही के आधार पर ही किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सनद बही के आधार पर ही किया गया है और इसका ध्यान रखा गया है ।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है । इस सम्बन्ध में मै आश्वासन चाहूंगा, यदि आप एक गांव को भी वेरीफाई कर लें तो आपको मालूम होगा कि यह सनद बही के आधार पर नहीं हुआ है । मिसाल के तौर पर मैं बागावास का गांव बताता हूं । वहां पर कई हजार बीघा जमीन सरकार के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, मगर

Page No.5

(श्री तेजाराम गहलोत)

वह सरकार के नाम दर्ज होने के बजाय जागीरदार के नाम पर दर्ज हुई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, जो कोई भी नियम के खिलाफ कार्यवाही करता है तो उसके लिए सरकार को जांच करने में कोई एतराज नहीं है मगर जब तक कोई उदाहरण नहीं हो कि किस गांव में क्या इन्द्राजात हुए हैं, ऐसा करना कठिन है । अगर माननीय सदस्य द्वारा कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जावे तो उसके बारे में इन्क्वायरी की जा सकती है ।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने एक ही गांव बताया है और भी कई गांव इस प्रकार के हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप मुझे लिस्ट दे दें मैं इन्क्वायरी करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

कनवास-धूलेट- खानपुर सड़क

८. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the P. W. D. Minister please reply:-

(1) When was the Kanwas-Dhulet-Khanpur Road proposed to be completed ?

(2) How much amount was sanctioned towards this road in the first and 2nd Five Year plans and how has this amount been used and utilised ?

(3) Is it a fact that all the amount proposed for the construction of this road was utilised on the construction of bridges unauthorised by the department and that no maintenance has been done on these bridges since they have been constructed with the result that many of them have got damaged ?

(4) How many new bridges have been constructed on this road from the fund sanctioned for the road and how many of them require repair at this stage ?

(5) Will the Government provide funds for the maintenance of such bridges and culverts in the future ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी नहीं आया है । १५ दिन का समय दिया जाए ।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर इनके हैड आॅफिस में आ चुका है । फिर भी ये १५ दिन की मोहलत ले रहे हैं ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैं इसका उत्तर अगले टर्न पर दे दूंगा ।

Page No.6

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

भीलवाड़ा-बिजोरिया रूटके परमिट

६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भीलवाड़ा से बिजोलिया रूट पर कितने परमिट दिए हुए हैं और किन किन को इस रूट पर कौन कौन सी नम्बर की बसें चलती हैं ?

(२) क्या इस पर रूट बस नं० आर० जे० ई० ६६ भी चलती है ? यदि हां, तो इसके मालिक कौन हैं और उनको परमिट कब दिया गया था ?

(३) क्या इस रूट पर परमिट नं० २३३ भी दिया गया है ? यदि हां, तो दो परमिट किस नम्बर की बस के लिए किस व्यक्ति को दिये गये है ? क्या यह बस इस वक्त इस रूट पर चल रही है ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) इस रूट पर ५ परमिट दिए हुए हैं जो निम्न प्रकार हैं :

(१) श्री शंकरलाल देवीकिशन बस नं० आर०जे०ई० ५७५

(२) श्री मोहेन्द्रसिह एलीयास जायसिंह बस नं० आर०जे०ई० ६५३

(३) श्री जानकीलाल बस नं० आर०जे० ई० २४७

(४) श्री नित्यानन्द सक्सैना एन्ड श्री लाभसिंह-आर०जे०ई० ३५

(५) श्री मोहिंद्रसिंह बस नम्बर आर० जे० ई० ४७७

(२) जी हां। इस रूट पर बस नं०आर० जे० ई० ६६ चलती थी। अब यह बस आर० जे० ई० ६५३ है तथा ता.३०-१२-६३ को रिप्लेस कर दी गई है। इसका मालिक श्री मोहेन्द्रसिंह हैं जिसको कि परमिट ता. १८-१-५२ को दिया गया।

(३) जी हां। यह परमिट बस नं० आर० जे० ई० ६६ के लिए श्री मोहेन्द्रसिंह मैघासिंह के नाम से दिया गया है; यह बस आर० जे० ई० ६६ तारीख ३०-१२-६३ को दूसरी बस नं० आर० जे० ई० ६५३ पर रिप्लेसमेंट ले लिया गया है अतः बस आर० जे० ई० ६६ इस वक्त इस रूट पर नहीं चल रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने बताया कि पहले बस ६६ नम्बर की चलती थी और अब वह ६५३ नम्बर के परमिट की है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ओरिजनल मालिक होते हुए और सैकड़ों दरख्वास्तें होते हुए भी आपने इसको दूसरे आदमी के नाम पर क्यों दी ?

श्री भीमसिंह : जनरली ट्रांसफर्स होते रहते हैं। परमानेन्ट होल्डर के दरख्वास्त देने

(श्री भीमसिंह)

पर आर० टी० ए० ट्रांसफर करते हैं। आर० टी० ए० ने किया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने फरमाया कि महेन्द्रसिंह ओरीजिनल मालिक था तो क्या उसकी ओरीजनल दरख्वास्त है कि मेरे नाम का परमिट ट्रान्सफर कर दिया जाय ? उसने तो दरख्वास्त दी है कि आप गलत परमिट दे रहे हैं, यह बस मेरी नहीं है। पर बिना कानूनी कार्यवाही के, बिना किसी आधार के उसी की लाइन छीन ली। बिना किसी कानूनी कार्यवाही के, बिना किसी आधार के केवल इसलिये कि दूसरे आदमी को फेवर करना था ६६ नं० की बस का परमिट ६५३ नं० की बस पर ट्रान्स्फर कर दिया।

श्री भीमसिंह : जैसा कि मैंने निवेदन किया महेन्द्रसिंह को ही ट्रान्स्फर किया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : महेन्द्र-सिंह है ही नहीं, आप यह बताइये कि पहले जो परमिट इश्यू किया है जिसके नाम

श्री भीमसिंह : मैंने प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में निवेदन किया है कि "जी हां। यह परमिट बस नं० आर. जे. ई. ६६ के लिये श्री महेन्द्रसिंह, मेघासिंह के नाम से दिया गया है यह बस आर. जे. ई. ६६ तारीख ३० - १२ - ६३ को दूसरी बस नं० आर. जे. ई. ६५३ पर रिप्लेसमेंट ले लिया गया है अतः बस आर. जे. ई. ६६ इस वक्त इस रूट पर नहीं चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) दूसरा परमिट चेंज कर के दिया है वह किसके नाम दिया है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेघासिंह को दिया जाना चाहिये या उसके बजाय दूसरे को कैसे दे दिया। जिसके लिये लिखा है कि उसकी तीन साल पहले मृत्यु हो गई, ५ रुपया फीस दी है, छपे हुए फॉर्म पर एप्ली-केशन पहुंची है, फिर भी अवैधानिक तौर पर परमिट कैसे इश्यू कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : परमिट तो रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथेरिटी देती है जो सरकार से भिन्न है, उसकी अपील हो सकती है एस. टी. में।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उसने अपील भी की है। नकल मांगी, पर उसे नकल नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष : एस. टी. में तय हो जायगा।

प्रश्न संख्या १०।

श्री बालूराम चौधरी।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री सांवलियाराम।

भरतपुर के कस्बों को बिजली

११. **श्री सांवलिया राम (रूपवास):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.8

(श्री सांवलियाराम)

क्या सरकार भरतपुर के ५ हजार की आबादी वाले कस्बों को बिजली मिल जाने के पश्चात् उच्चैन, रुदावल व रूपवास को बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इन्हें बिजली कब तक मिल सकेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद): जी हां।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।

श्री सांवलियाराम : चौथी पंचवर्षीय योजना का नाम लिया गया है। भरतपुर से जो तीन-तीन, चार-चार माइल की दूरी पर जो कस्बे हैं जिनकी आबादी भी अच्छी है, उच्चैन,, रुदावल व रूपवास इनको बिजली नहीं दी गई है और जो ६-६,७-७ माइल की दूरी पर हैं उनको दी है। तो इन कस्बों को जो पास में हैं और जहां आबादी भी अच्छी है बिजली नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री चन्दनमल वैद : पांच हजार से ऊपर की आबादी वाले जो कस्बे हैं उनको इस योजना में बिजली देने का प्रावधान है। पांच हजार से कम आबादी वाले कस्बे जो ट्रान्समिशन लाइन से नजदीक पड़ते हैं उनको बिजली दे देते हैं। जो दूर पड़ते हैं उनके लिए प्रावधान चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा है। इन गांवों की आबादी ५ हजार से कम है, उनको बिजली ले जाना रेम्युनरेटिव भी नहीं है।

श्री सांवलियाराम : नदबई, भुसावर, वैर हैं इनकी आबादी ५ हजार नहीं है फिर उनको क्यों दी है ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह तो नहीं कहा कि जिनकी आबादी ५ हजार से कम है उनको बिजली नहीं देंगे। आबादी जिन कस्बों की पांच हजार से कम है, ट्रान्समिशन लाइन से नजदीक है, और उनको बिजली देना रेम्युनरेटिव है तो वहां बिजली देते हैं। जहां रेम्युनरेटिव नहीं है वहां हम बिजली नहीं ले जाते हैं।

श्री सांवलियाराम : आपकी लाइन से बिल्कुल नजदीक हैं, चार-चार, पांच-पांच माइल की दूरी पर हैं ....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, यह मसला कई बार उठा, कई बार सरकार ने नीति भी घोषित की पर उस नीति पर सरकार चलती हुई नहीं दिखती। कभी कहते हैं कि वहां के लोग चन्दा दे दें तो बिजली लगा देंगे, कभी कहते हैं कि लेने वालों की लिस्ट पेश करो तो दे देंगे; तो सरकार को एक निश्चित नीति घोषित कर देनी चाहिये कि ११ के. वी. की लाइन निकली है उसके आस-पास चार-चार, पांच-पांच माइल की दूरी पर जो इतनी आबादी वाले कस्बे हैं वहां बिजली दे देंगे। पर रूरल एरिया में बिजली देने का कोई सही रास्ता निर्धारित नहीं किया गया है; कोई निश्चित नीति की घोषणा नहीं की गई है, कभी कहते हैं चंदा दे दो तो बिजली लगा देंगे, कभी कहते हैं कि लिस्ट दे दो।

Page No.9

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने कहा उसमें सबमें बड़ी दिक्कत फंड्स की आ रही है। कोई भी फॉर्मुला निर्धारित करते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिये काफी धन राशि चाहिये जो हमारे पास नहीं है। सरकार इस कोशिश में है कि धन-राशि उपलब्ध की जाय। एल. आई. सी. से लोन लेने की कोशिश में हैं वह........

श्री विजयसिंह झाला : फिर असत्य आश्वासन क्यों देते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष : यह बहस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर करेंगे ।

श्री विजयसिंह झाला : यह बड़ा सिरियस मामला है, अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : Order please ! सीरियस है पर........

श्री विजयसिंह झाला : On a piont of order sir.........

श्री अध्यक्ष : No there is no point of order.

श्री विजयसिंह झाला : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है........

श्री अध्यक्ष : Order please ! पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले उठाना चाहिये था, जब प्रश्न पूछा गया........

श्री विजयसिंह झाला : आपकी रूलिंग हो जाती है कि इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते तो हम यह जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या आर. टी. ए. कोई अवैधानिक कार्य करते हैं तो उन अवैधानिक कार्यों के सम्बन्ध में आपकी रूलिंग के बाद बहस नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : This is no point of order.

श्री विजयसिंह झाला : अवैधानिक कार्य करते हैं तो उस पर बहस कर सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: Order pleese ! This is no point of order.

मैं निवेदन कर चुका हूं कि प्रश्नोत्तर काल सूचना जानने के लिये है बहस के लिये नहीं है। आपको फिर भी दो-तीन सप्लीमेंटरी इस तरह के करने की रियायत दी है, इसका मतलब यह नहीं कि बहस शुरू कर दी जाय ।

श्री विजयसिंह झाला : बहस का सवाल नहीं...........

श्री अध्यक्ष : Order please !

Hon, Member, I will request you very humbly.........

(श्री विजयसिंह झाला के पुनः खड़े होने पर)

Order please ! Next

Page No.10

तावान की वसूली, सरदारशहर

१२. श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरदारशहर तहसील (चूरू) के किसानों से संवत २०१८ व २०१९ में नाजायज तावान वसूली के अन्तर्गत ७६१ परिवारों से ६७ हजार रुपया तावान वसूल किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उसे किसानों को रिफंड क्यों नहीं करती ?

(२) चूरू जिले की अन्य तहसीलों में लगान का कितना गुना तावान वसूल किया गया, विशेष तौर से एक ही सब-डिवीजन की तहसीलों में ?

(३) क्या यह सही है कि सम्बन्धित उक्त किसानों से लगान का १५ गुना तावान वसूल किया गया जब कि राज्य सरकार का आदेश यह नहीं था ?

(४) क्या यह सही है कि पंचायत समिति एवं पंचायतों के निवेदन पर राजस्व विभागों ने तत्सम्बन्धी तावान वसूली को रोकने के लिये कोई स्टे दिया ? यदि हां, तो उस स्टे का पालन क्यों नहीं हुआ ?

उप मन्त्री, राजस्व ([illegible] लड्ढा) : (१) जी नहीं, तावान [illegible] नाजायज नहीं थी। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा उन किसानों से जिन्होंने काश्त की भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया था संवत् २०१८ व २०१९ में तावान वसूल किया गया जो क्रमश: संवत २०१८ में ७६५२ रुपये व संवत् २०१९ में ४३८१३ रुपये हैं। यह तावान राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, १९५५ के तहत नियमानुसार वसूल किया गया था, तावान एक प्रकार की पेनाल्टी है जिसकी वापसी का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है।

(२) चूरू जिले की अन्य तहसीलों में तावान निम्न प्रकार से वसूल किया है :

१. तहसील राजगढ़	आराजी राज पर ६ गुना व आबादी भूमि व जोहड़ पर १५ गुना।
२. तहसील तारानगर	४ से ६ गुना
३. तहसील रतनगढ़	२ से ८ गुना
४. तहसील चूरू	१॥ गुना सामान्य कृषि भूमि पर, १५ गुना सार्वजनिक आबादी भूमि पर।
५. तहसील डूंगरगढ़	१॥ गुना
६. तहसील सुजानगढ़	[illegible] गुना

(३) [illegible], लगान का १५ गुना तावान वसूल [illegible] है, राजस्थान लैंड

Page No.11

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रेवेन्यू एक्ट १९५६ की धारा ८१ (२) के अन्तर्गत १५ गुना तक तावान कायम करने का प्रावधान है।

(४) जी हां, अस्थाई स्टे ऑर्डर दिया गया था। स्थानीय संस्थाओं ने तावान की वसूली के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये थे, उस पर अस्थाई स्थगन स्टे आदेश दिये थे परन्तु वास्तविक स्थिति की जांच के बाद यह अस्थाई स्थगन आदेश रद्द कर दिये गये थे।

श्री रावतराम : मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही जिले में इतना भेदभाव कि एक जगह तीन गुना, एक जगह दो गुना, दूसरी जगह ८ गुना और तीसरी जगह १५ गुना तावान वसूल किया है, यह कहां तक न्याय संगत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष, यहां जो जूडिशियल प्रोवीज़न है उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स को अधिकार है कि वे पेनाल्टी में जूडिशियल डिस्क्रीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से दो गुना किसी से तीन गुना, किसी से ८ गुना, किसी से १५ गुना तावान वसूल कर सकते हैं। दो तहसीलों और कुछ तहसीलों की कुछ किस्म की ज़मीनों में १५ गुना तावान वसूल करने का डिस्क्रीशन एक्सरसाइज़ किया है। उसमें हम इन्टरफियर नहीं कर सकते। जिनको आपत्ति थी वे अपील के द्वारा इस निर्णय के खिलाफ जा सकते थे। सरकार इसमें डाइरेक्शन नहीं दे सकती।

श्री रावतराम: १५ गुना तावान वसूल किया है जो अलग अलग तरीकों से किया है, तो क्या सरकार समान करने की कार्यवाही करेगी ? इस सम्बन्ध में पहले मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि समान करने की कार्यवाही की जायगी और आज मन्त्री महोदय का उत्तर है कि उनको इस तरह तावान वसूल करने का अधिकार है, जिस जगह जिससे जितना चाहें वसूल कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आखिर गवर्नमेन्ट की क्या नीति है ? क्या नीचे के अधिकारी लिख दें वही सही है ? एक जगह दो गुना, एक जगह तीन गुना, कहीं ६ गुना, कहीं ८ गुना और कहीं १५ गुना वसूल कर लिया, जैसा मन में आया उसी तरीके से मन चाहा तावान वसूल कर लिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्षजी, पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि यदि दूसरी जगहों पर कम है तो जहां १५ गुना वसूल की गई हैं वहां भी कम की जायगी। अगर कोई जजमेंट दिया गया है तो उस पर अपील हो सकती थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आपने १५ गुना तक जो प्रोवीज़न किया है और कहीं तीन गुना तावान लेते हैं, तो क्या इससे करप्शन नहीं होता ? इससे आपके तहसीलदार किसानों को विक्टीमाईज़ नहीं करते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक मजिस्ट्रेट को ७ साल की सजा देने का अधिकार है तो ६ महीने सजा का भी अधिकार है, जैसे सरकम्स्टान्सेज़ होती हैं उनके अनुसार वह अपनी

Page No.12

(-श्री रामप्रसाद लड्ढा)

डिस्क्रीशन यूज़ करता है और उससे अगर किसी को आपत्ति है तो उसके खिलाफ अपील में जाने का प्रावधान है । अगर हम कोर्ट ऑफ लॉ की डिस्क्रीशन में इन्टरफियर करने की कोशिश करें तो यह भी एक करप्शन का दूसरा रास्ता हो जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक गुना से १५ गुना तक, इतना बड़ा डिस्क्रीशन ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल नहीं है । यह कानून विधान सभा ने बनाया है । जो ६ गुना का प्रावधान था विधान सभा ने उसको नाकाफी समझा, इसलिए विधान सभा ने उसको बढ़ाकर १५ गुना किया । यह प्रावधान काम में लाने के लिए पास किया है, अगर उसके ऊपर किसी को आपत्ति है तो अपील की जा सकती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह जो पेनाल्टी वसूल की गई थी वह किन सालों की वसूल की गई Relating to which period ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया न कि जिन सालों....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २०१८-२०१६ में तो वसूली की गई है, लेकिन कौनसे सालों की । कौनसे साल में अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन किया और उस बारे में सेक्शन ६१ के तहत पेनाल्टी वसूल की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : One year before .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह सही है कि जिस पीरियड के बारे में यह पेनाल्टी वसूल की गई है उस पीरियड में १५ गुना वसूल करने का विधान सभा का कोई कानून नहीं था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिल्कुल था । जब १५ गुना आपने कर दिया उसके बाद के केसज़ हैं । I am sure over this point.

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल:पीरियड पहले का है, केसेज़ बाद के हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'केसेज़' का मतलब 'एन्क्रोचमेंट' ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: एन्क्रोचमेंट पहले से चला आ रहा है और पेनाल्टी १५ टाइम्स वसूल की है, वे केसेज़ अमेंडमेंट के बाद के हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जिनमें वसूल की है वे कन्टीन्युअस ट्रेसपास के ऑफेन्सेज हैं ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: पेनाल्टी का प्रोवीज़न कोई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह सवाल नहीं है । जब भी हमने एन्क्रोचमेंट....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: लेकिन पिछले पीरियड की वसूली नहीं करते ।

Page No.13

श्री रामप्रसाद लड्ढा: नहीं की गई है पिछले पीरियड की ?

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): लैंड रेवेन्यू एक्ट जब अमेंडमेंट हुआ है १५ गुने का, उस तारीख से पहले के जो केसेज हैं उनमें पैनाल्टी १५ गुना न होकर ६ गुना होनी चाहिए ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: अगर उस वक्त १५ गुना का प्रोवीजन नहीं था तो अपीलों में जा सकते थे । प्रोवीजन के अनुसार ही किया गया है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अमेंडमेंट से पहले ही १५ गुना पैनाल्टी वसूल की गई है उन केसेज में क्या सरकार विश्वास दिलाती है कि ६ गुना ली जायगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विश्वास दिलाने का प्रश्न नहीं है । जो कुछ पैनाल्टी ली गई है वह एग्ज़िस्टिंग लॉ के अनुसार ली गई है, मेरे ख्याल से वह सही है । यदि किसी को आपत्ति थी तो अपील में जा सकता था ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : तावान बिना इन्क्वायरी के लगाया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कानून में जो प्रोसीजर है, हम मानकर चलते हैं कि उसको पूरा किया गया होगा ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : मंत्री महोदय के जवाब से यह बात स्पष्ट है कि कुछ तहसीलों में ४ गुना पैनाल्टी वसूल की गई है, कुछ में सिर्फ डेढ़ गुना, तो कुछ में १५ गुना पैनाल्टी वसूल की गई है । यह प्रश्न विधान सभा में दूसरी बार उठाया जा रहा है । क्या सरकार यह मानती है लैंड रेवेन्यू एक्ट में, जिस प्रकार वह मौजूद है, उसमें सफीशियेंट रिवीज़नल पॉवर्स सरकार को हैं जिसमें सुओ मोटो वह किसी भी ऑर्डर को रिवाइज कर सकती है, खासकर पैनाल्टी के क्लॉज़ में सरकार को एम्पल पॉवर्स हैं; इसलिए यह दलील सरकार की किसी प्रकार से सही नहीं है कि अपील हो सकती थी । १०-१५ रुपया तावान माफ कराने के लिये २०), २५) रुपये अपील पर किसान खर्च करे, यह व्यवहारिक बात नहीं है, इसलिए रिवीज़नल पॉवर्स में सरकार को अभी भी इन सारे केसेज को रिवाइज करना चाहिए । एक तहसील में तो ४ गुना ले रहे हैं तो पास वाली दूसरी तहसील में ज्यादा ले रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: सरकार की नीति जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज़ में इन्टरफियर करने की नहीं है ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: तो फिर आपने स्टे ऑर्डर जारी क्यों किया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उस वक्त की बात है जब प्रोसीडिंग्ज़ नहीं चली थीं, १९५८--५९ की बात है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन जमीनों के बारे में तावान लिया गया है इसमें कुछ किसान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के बाद के काबिज थे ?

Page No.14

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उस वक्त की बात है जब १५ गुना........

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इसलिए स्टे ऑर्डर जारी किया गया कि १५ टाइम्स पैनाल्टी का प्रोवीजन नहीं था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार की कोई बात नहीं है। स्केयरसिटी कन्डीशन्स के आधार पर था।

श्री मानिकचंद सुराणा : यदि सरकार अपनी रिवीजनरी पॉवर्स को एक्सरसाइज करे तो जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज का सवाल नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान टीनेन्सी एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट में नहीं है जिसमें किसी जुडीशियल या रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा पास किए गए निर्णय में इंटरफियर करे और वह भी चार साल बाद।

श्री सतीशचंद्र अग्रवालः वह ऑर्डर जनरल था या किसी पार्टिक्यूलर केस में था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जनरल।

श्री सतीशचंद्र अग्रवालः आपको क्या अधिकार था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्केयरसिटी कन्डीशन्स में वसूली रोकने का अधिकार सरकार को है और वह वसूली स्केयरसिटी कन्डीशन होने की वजह से उस साल रोकी गई थी।

श्री रावतराम : स्केयरसिटी नहीं थी उस साल।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन जनता ने प्रार्थना-पत्र हमारे पास पेश किए, उसके आधार पर स्टे ऑर्डर्स जारी किए। आज आप कहते हैं कि स्केयरसिटी नहीं थी।

श्री रामानंद अग्रवाल : आपके पास कानून न हो तो जनता की मांग पर कानून ले सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब स्केयरसिटी नहीं थी तो आपने तावान माफ कर दिया और अब स्केयरसिटी है तो....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो आप कहते हैं कि स्केयरसिटी नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फेमिन डिक्लेयर तो अब हुआ है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार बीच बीच में खड़ा हुआ हूं, मुझे मौका नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप उनसे जोर से बोलिए।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : वे तो दो-तीन गांवों के लोग हैं जहां १। गुना या कुछ अधिक वसूल किया है, लेकिन जहां जिस क्षेत्र में हर साल और हर तीसरे साल अकाल पड़ता है, जहां पर किसान भूखे मर रहे हैं क्या वहां पर १५ गुना लगान जायज माना जा सकता है ? क्या मन्त्री महोदय और विधान सभा को यह अधिकार नहीं है कि उस

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

कानून को वापिस ले ले ? आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि यह तावान उस क्षेत्र के लाखों किसानों से वसूल हुआ है जो अकाल से हर तीसरे साल तो पीड़ित रहते ही हैं। आप उस पर फिर से विचार करने जा रहे हैं या नहीं ? नहीं, तो क्यों नहीं ? आप उन भूखे और नंगे किसानों से जो भूख से पीड़ित हैं क्या उनसे लाखों रुपया तावान का वसूल कर रख लेना चाहते है ? यदि तहसीलदारों ने गलत तरीके से वसूल किया है, उनको तंग किया है तो क्या आपको अधिकार नहीं है कि आप उनके तावान जो आपने वसूल किया है उनको वापिस लौटा दें ? अकाल में पड़े हुए लोगों से लाखों रुपये इस प्रकार से तावान के रूप में वसूल करना और अधिकारिकों की वकालत करना वाजिब नहीं है।

(हियर हियर)

मन्त्री महोदय बता दें कि यह अकाल से पीड़ित क्षेत्रों के लोगों के अलावा किन किन जगहों पर आपने १५ गुना तावान वसूल किया है ?

(विराम)

अकाल पीड़ित क्षेत्र के सिवाय १५ गुना तावान कहीं भी वसूल नहीं हुआ है। जहां पर हर तीसरे साल अकाल पड़ता है और लोग जहां भूखों मरते हैं वहां पर आप इस प्रकार के १५ गुना तावान वसूल करते हैं, यह कतई उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जिन काश्तकारों से १५ गुना पेनाल्टी आपने वसूल कर ली है क्या आपने उनको खातेदारी के अधिकार दे दिए हैं ?

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ गुना तावान आप ले लेते हैं....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को जवाब तो देने दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ गुना आप तावान ले लेते हैं। अलॉटमेंट कमेटी के अलॉटमेंट जमीन का करती नहीं। पिछले साल जोत ली जमीन किसान के द्वारा वह मजबूर होकर जोत लेता है और आप उस पर १५ गुना तावान लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण न दें। Order please !

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था। उसके बारे में निवेदन है कि १-२-६२ को एक सर्क्यूलर निकाला गया था कि जो भी नाजायज कब्जे थे, चन्द शर्तें जो उस सर्क्यूलर में लिखी हुई हैं, उनके तहत उनको लिगेलाइज कर दिया जाय। संवत् २०१७ और २०१८ के बाद उस सर्क्यूलर के निकल जाने के बाद रेग्युलराइजेशन की कार्यवाही चल रही है और उन सीमाओं में खातेदारी के अधिकार मिल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि उनको डिस्क्रीशन है। उनको डिस्क्रीशन तो था लेकिन जुडिशियल डिस्क्रीशन एक्सर्साइज होना चाहिये। तो क्या सरकार इस प्रकार दिये गये फैसलों से सन्तुष्ट है कि कहीं १५ गुना लगाया गया है और कहीं १।। गुना और कहीं ज्यादा और कहीं केवल रुटीन में ही ऐसा कर दिया गया है।

(हियर हियर)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसील सुजानगढ़ में १५ गुना लगा है। चूरू में कुछ हिस्सों में १।। गुना लगा और कुछ हिस्सों में १५ गुना। इसी तरह से राजगढ़ में कुछ हिस्सों पर ६ गुना और कुछ हिस्सों पर १५ गुना लगा है। मैंने आपको सूची इस प्रकार दी है। कुछ तहसीलों में १।। गुना, ६ गुना और १५ गुना लगा है। अधिकारियों ने अपने जजमेंट्स पर क्या रीज़न्स दिये हैं मेग्ज़िमम पैनल्टी लगाने के बारे में, सैकड़ों-हजारों केसेज हैं, उनके बारे में न तो जानकारी की है और न ही सम्भव है। १५ गुना पैनाल्टी लगाई गई है, उसके बारे में उन्होंने जुडिशियल डिस्क्रीशन एक्सर्साइज़ करने के लिए क्या वजुहात दिये हैं, यह मैंने जानकारी नहीं की।

('जानकारी करनी चाहिये थी' की आवाज)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि यह पैनाल्टी पटवारियों के द्वारा लगाई गई है और उसके लिए उनको कोई अधिकार नहीं था ?

(विराम)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, sir. अध्यक्ष महोदय, यह एडमिशन सदन में करना कि मिनिस्टर साहब पूरी तैयारी करके नहीं आये है, जानकारी नहीं की है, यह कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन आपका कहना ठीक है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे केटोगोरिकली कि जिस दिन आपने स्टे ऑर्डर जारी कियाथा उस क्षेत्र में स्केयर्रसिटी डिक्लेयर नहीं की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : अब उस पर बहस करने से मतलब नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मतलब तो है ....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, कहीं पर १।। गुना और कहीं पर ६ गुना और कहीं पर १५ गुना तावान वसुल किया है और जो इस प्रकार का भेदभाव बरता गया है और आप भी मानते हैं कि न्याय-संगत नहीं है तो क्या मन्त्री महोदय उसको ठीक करेंगे ? क्या यह आश्वासन देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न्याय संगत है या नहीं, यह सारी स्थिति मैंने आपको बता दी है। यह आपका खयाल हो सकता है कि यह न्यायसंगत नहीं है और मेरी यह राय है कि ज्युडिशियल डिस्क्रीशन राइट किया या रोंग किया वह बाई वे ऑफ अपील ही सेट असाइड हो सकता।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पच्चीसों ऐसे केसेज है कि जो अकाल पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं उनसे १५ गुना तावान वसूल किया गया है ! जो लोग भूखों मर रहे हैं, जिनको अपनी जिन्दगी को कायम रखना मुश्किल हो रहा है उनसे १५ गुना तावान वसूल किया है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Too cruel ! इसमें इतने वेरियेशन्स हैं और मन्त्री महोदय कह देते हैं कि इसमें फर्दर रिवीजन नहीं हो सकता। Too cruel. १५ गुना तावान वसूल किया है उस क्षेत्र में, ऐसे भयंकर अकाल की स्थिति में ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जहां हर साल अकाल पड़ता है, तीसरे साल तो पड़ता ही है उस क्षेत्र में इस प्रकार से १५ गुना लगान वसूल किया जाय जबकि उन लोगों को अपने परिवारों तक को बहार ले जाना पड़ता है, यह कहां तक उचित है ? क्यों नहीं इसको रिवाइज करें ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय आज यहां सवाल चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए पूछा गया है। १५ गुना पेनेल्टी वसूल करने के नियम हैं। यह केवल चूरू डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं है किन्तु सारे राजस्थान के लिए है। अगर एक बार डिसाइड किये हुए केसेज को रिओपन कराने की माननीय सदस्यों की मंशा हो तो क्या माननीय सदस्य यह उचित समझते हैं कि १५ गुना पेनेल्टी के केसेज रिओपन करके जो रकम वसूल की गई है वह रकम उनको वापिस देदी जाय ?

("जी हां, जी हां" की आवाज)

इस प्रकार के केसेज रि-ओपन नहीं हो सकते और यह कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने लोगों को बुरी तरह से लूटा है....

श्री अध्यक्ष : Mr. Handa ! Mr. Handa ! order please !! please don't demonstrate here.

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : आपने विधान सभा से पॉवर्स लिये हैं कि आप १५ गुना तावान वसूल कर सकते हैं। जो स्थिति सामने आई है उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या सरकार यह जांच करने के लिए तैयार है कि जो डिस्क्रीशन रेवेन्यू अधिकारियों ने एक्सरसाइज किये हैं क्या वे उचित किये गये हैं या नहीं ? जो पॉवर्स हमने उनको दिये हैं उनका यदि उन्होंने मिस यूज किया है तो उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ

(श्री फूलचन्द जैन)

है? उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार को कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस बहुत हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात से इन्कार नहीं किया है कि रीजनेबल है या नहीं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि अपील के पॉवर्स नहीं थे। सदन पॉवर्स देने के लिए तैयार है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है अगर पॉवर्स एक्चुअली इस्तेमाल करने में मिसयूज हुआ है और जैसा मन्त्री महोदय ने बताया उसके देखने से ऐसा मालूम होता है कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो मन्त्री महोदय यह आश्वासन दें कि इन दो तहसीलों में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हों तो उसके तहत और न हों तो विधान सभा से पॉवर्स लेकर, उनका रिविजन करके जनता को राहत दी जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल दो बातें हैं। एक तो यह है कि अनआथोराइज्ड होल्डिंग ट्रेसपास करके हो जाती हैं, उनको न बढ़ने दिया जाय। इस सम्बन्ध में इस सदन ने १५ गुना तावान लगाने की स्वीकृति दी थी। आज हम कुछ बातें तय करते हैं यह तय करते हैं कि १५ गुना पेनेल्टी लगा दी जाय। अब उस पेनेल्टी को कम कर दें तो उसका नतीजा यह होगा कि अनआथोराइज्ड आक्युपेशन काफी बड़ी मात्रा में होने लगेंगे और मैं समझता हूं कोई माननीय सदस्य नहीं चाहेगा कि जो ताकतवर होगा वह अनआथोराइज्ड ओक्युपेशन कर लेगा और करीब पांच बीघा जमीन मिलने से भी महरूम रहेगा। इसीलिए सदन ने १५ गुना तावान लगाने का फैसला किया था, कानून पास किया था। अब यह गलत होगा कि जो रेवेन्यू आथोरिटीज ने अपना डिस्क्रीशन यूज किया है पांच साल बाद जाकर उन केसेज को रिओपन किया जाय। यदि सदन आथोरिटी देता है तो उसका मतलब यह होता है कि कई प्रकार के केसेज कई जगह हैं उन सब चीजों का जिनमें फैसला हो चुका है फिर से रिविजन आये, और तरीके से आये और उन सबकी सुनाई करके अलग तरीके से उनमें फिर से फैसले दिये जांय। मैं समझता हूं, यह किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं होगा। जब एक आथोरिटी को अधिकार दिया हुआ है और उसने फैसला दे दिया, अपील का प्रॉविजन दिया हुआ है कि अपील में हो सकता है। अब इसको ऐसा किया जाय तो यह सारा जनरलाइज हो जायगा और उसका रिजल्ट यह होगा कि एग्जीक्युटिव को रोज फैसले करने होंगे कि यह जो तावान लगाया गया है वह वाजिब है या गैरवाजिब है और इससे कई कॉम्प्लीकेशन्स खड़े होंगे जिनमें पड़ना पसन्द नहीं करूंगा। आज वहां जो रेवेन्यू आथोरिटीज हैं उनके लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने ठीक डिस्क्रेशन यूज किया या नहीं और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कल एग्जीक्युटिव के लिए कहा जायगा कि वह उन्होंने ठीक यूज किया है या नहीं। तो सारे पॉवर्स लेकर फिर से उनको एग्जीक्युट करे सारी परिस्थितियों को देखते हुए तावान की लिमिट बढ़ाई या एरियाजको देखते हुए, डिफरेन्ट-डिफरेन्ट कन्डीशन्स हैं उन सब पर विचार करना चाहते हैं, यह अलग बात है।

लेकिन गवर्नमेंट डिस्क्रीशन लेकर के इसका फैसला करे, मैं समझता हूं वह उपयुक्त नहीं होगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मैं इतना ही पूछना चाहता हूं

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न बहुत बाकी हैं उस समय पूछ लेना। जिनके प्रश्न बाकी हैं वे नाराज होंगे।

श्री हीराभाई : मन्त्री महोदय ने यह बताया कि ताकतवर लोग कब्जा कर लेंगे। ताकतवर लोगों के अलावा जो भूमिहीन लोग हैं, जो काफी तादाद में हैं, यह कानून लागू होता है उनको निभाने के लिए, भूमिहीनों को कोई जमीन दी जाती है अगर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं तो आपके इस कानून से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री कृष्णकुमार गोयल

पुल का निर्माण खेड़ा रसूलपुर, तहसील लाडपुरा

१३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि खेड़ा, रसूलपुर तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा के पुल की आधारशिला का उद्घाटन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय द्वारा किया गया है ? अगर हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि अभी तक उक्त पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। दिनांक २७ जनवरी सन् १९६४ को।

(२) जी हां, टेन्डर आमन्त्रित किये जा रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस समय पुलिया का कार्य आरम्भ हुआ था और इसका उद्घाटन करवाया गया था उसके पहले इसके द्वारा एस्टीमेट बनाये गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : दुबारा भी अगर कभी हो तो फिर बनवाये जा सकते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दुबारा एस्टीमेट बनवाये गये या नहीं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। टेक्निकल सामी

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

रह गई हो तो दुबारा भी एस्टीमेट बनवाये जा सकते हैं इसमें क्या एतराज है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब इसका उद्घाटन कर दिया गया तो उसके निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेण्डर लेने में और पब्लिसिटी करने में समय तो लगता ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह पुल बने बिना ही उद्घाटन कैसे कर दिया गया ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : मन्त्री महोदय कहते हैं, टेण्डर आदि मंगवाने में समय लगता है तो पूरी जानकारी करके आते कि इसमें समय क्यों लग रहा है ? इसका मतलब यह है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : सही बात यही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Point of order sir, एक मन्त्री जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या वे उत्तर दे सकते हैं ?

मुख्यमन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जब तक इस्तीफा मन्जूर नहीं होता वे दे सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसीलिए तो इनको जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसी स्थिति में जो मन्त्री मानसिक वेदना से पीड़ित हों, वे जवाब किस प्रकार दे सकते हैं, इसीलिए तो जवाब ठीक नहीं दिया जाता है। इस्तीफा तो झालावाड़ नरेश ने भी दे रखा है, इन्होंने भी दे रखा है और खुद मुख्य मन्त्री ने भी दे रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बेचारे केबीनेट के अन्यायों से व्यथित हैं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : आपको बहुत दर्द हो रहा है। मैं सही उत्तर देता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस पुलिया के सम्बन्ध में इन्जीनियरिंग विभाग ने टेन्डर कब इन्वाइट किये हैं ?

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : बार बार एस्टीमेट किये जाते हैं उसके कुछ कारण तो होने चाहिये ? एक दफा, दो दफा, तीन-तीन दफा एस्टीमेट किये जाते हैं, क्या यह मजाक नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : टेण्डर आ चुके हैं। ३० जुलाई आखिरी तारीख थी। काम शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) ; क्या यह सही है कि उद्घाटन करने से पहले एस्टीमेट बन गये थे, किंतु वे एप्रूव नहीं हुए थे ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कुछ भी आपको जानकारी हो वही दे दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पुलिस एस० आई० के विरुद्ध शिकायतें

१४. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि कामां (भरतपुर) के एक नागरिक श्री आनन्दसिंह ने ४-६-६१ को जरिये रजिस्टर्ड लेटर गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री, आई. जी. पी. तथा एस. पी भरतपुर को प्रार्थनापत्र भेजे थे ? यदि हां, तो इन प्रार्थनापत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसकी कोई सूचना प्रार्थी को भिजवाई है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन दरख्वास्तों में पुलिस के एक एस० आई० श्री बुद्धरामसिंह के विरुद्ध एक कत्ल के केस में १ हजार रुपया रिश्वत लेने और खुद थानेदार द्वारा चोरी कराने के गम्भीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच में प्रार्थीको कब कब तलब किया गया ?

(३) क्या यह सत्य है कि कोई जांच नही होने पर प्रार्थी ने पुनः १३-१-६२, २-२-६२, ३-११-६२ और १४-६-६२ को रजिस्टर्ड लेटर भेजकर सरकार से जांच कराने की मांग की थी और प्रार्थी ६ सितम्बर, ६२ को वैर के विधानसभाई सदस्य के साथ गृहमन्त्री से अपनी दरख्वास्त लेकर इसी सम्बन्ध में मिला भी था और मंत्री जी ने जांच का आश्वासन दिया था ?

(४) क्या सरकार ने अब कोई जांच कराई है ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां रिपोर्ट प्राप्त होने पर सी. आई. डी. द्वारा इसकी जांच कराई गई थी। इनकी जांच से आरोप सिद्ध नहीं हुए। वह जांच विस्तृत नहीं थी। अतः सी. आई. डी. का अधिकारी नियुक्त किया गया था।

[२] जी हां। प्रार्थी ने इस संबन्ध में पूछताछ दिनांक १०. १०. ६१ को जांच करने वाले अधिकारी ने की थी।

[३] जी हां।

[४] जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

श्री रामकिशनः प्रश्न के भाग (२) का जवाब ठीक प्रकार से नहीं आया। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाये हैं क्या उस प्रार्थी को बुलाया गया और अगर नही तो जांच किस आधार पर की गई ? जब उसको बुलाया नहीं गया तो जांच किस प्रकार से पूरी हो गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः जांच और तफतीश का एक तरीका है। मुस्तगीस जिसको बुलाने का कहे उसको बुलाया गया। उसी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

आधारपर यह जांच की गई। बयानात लिये गये उसके बाद शहादत ली गई, उसके आधार पर आरोप प्रमाणित नहीं हुये।

श्री रामकिशनः मुझे तरीका तफसील की जरूरत नहीं, मेरा सीधा सवाल यह है कि जिसने प्रार्थना-पत्र दिया उस संबन्धित व्यक्ति को बुलाया गया या नहीं और अगर बुलाया गया तो किस तारीख को ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः जी हां। जितनी भी संबन्धित शहादत देने वाले थे उनको बुलाया गया। बर्गलरी नकबजनी है इसकी भी खोज द्वारा जांच की गई। मुस्तगीस का यह अन्दाजा था कि लोग अन्दर दाखिल हो गये। मदाखलत बेजा करके उनका आइडेन्टीफिकेशन करने का प्रयास किया गया। मुस्तगीस की शहादत मे वह गलत साबित हुआ। फुट प्रिन्ट्स भी देखे गये, जांच का परिणाम यह रहा कि जो आरोप थे वे साबित नहीं हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्वेश्चन का जवाब इसमिस्चीवियस ढंग से रखा जा रहा है कि कम्प्लेनेन्ट को मौका दिये जाने का उनके सामने प्रश्न नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि........

श्री अध्यक्षः यह जो 'मिस्चीवियस' शब्द यूज किया हैं यह आपके लिये तो नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः मेरा मतलब उनसे नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जांच करने की बात है उसमें जो कम्पलेनेन्ट था जो इस बात की शिकायत लेकर कि थानेदार ने चोरी के मामले में रिश्वत ली, मुस्तगीस से पूछा गया या नहीं; the second complainant regarding this bribery and corruption......

श्री निरंजननाथ आचार्यः दो मुद्दे हैं पहला तो बर्गलरी का........

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : why do .....

श्री निरंजननाथ आचार्यः एक मुद्दा तो नकबजनी का था और दूसरा मुद्दा रिश्वत लेने का है। बर्गलरी के पहले जिस पुलिस अधिकारी को १ हजार रुपया रिश्वत देने का सवाल है थानेदार के माध्यम् से, तो जो जांच की गई उसमें ये दोनों मुद्दे साबित नहीं हुए। थानेदार दुश्मनी रखते थे इसलिये बर्गलरी करवाई यह बात कुछ अंशों में ठीक प्रतीत नहीं हुई।

श्री रामकिशनः आप समझ गये, इसके लिये धन्यवाद है आपको, लेकिन जो कुछ पूछा गया उसमें हमने यह जानकारी चाही थी कि जिस आनन्दसिंह ने दरख्वास्त दी थी कि यह चोरी में शामिल था और रिश्वत ली है उनको बुलाया गया या नहीं और अगर बुलाया गया तो किस तारीख को बुलाया गया........

श्री निरंजननाथ आचार्यः आनन्दसिंह ने जो एलीगेशन्स लगाये उनकी बात थी ...

Page No.23

श्री रामकिशनः आप तो सिर्फ यह बतादें कि आनन्दसिंह को किस तारीख को बुलाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः मैं तो यही कह रहा हूं जो एलीगेशन्स लगाये गये थे वे ही गलत थे। उनका आरोप यह है कि थानेदार ने चोरी कराई, नकबजनी कराई। आनन्दसिंह के बयान लिये गये, उनसे पूछ ताछ की, आनन्दसिंह को मौका दिया गया, मुलजिम को वे शनाख्त करें, उनको इसका मौका दिया गया, जुडिशियल कस्टडी में लेने के बावजूद शनाख्त नहीं हुई। जो चार्ज लगाये गये थे वे बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए। जो गवाह बुलाये गये उनके बयानों से भी वे तथ्य प्रमाणित नहीं हुये, उनके आधार पर भी कोई प्रमाण नही मिले।

श्री रामकिशन : आनन्दसिंह को कब बुलाया गया ?

श्री आचार्यः १०।१०।६१ को।

श्री रामकिशनः यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही हैं, उसके कोई बयान नहीं लिये गये और न उनको बुलाया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः १०।१०।६१ को जांच करने वाले अधिकारी ने उनको बुलाया था और उसके बयान लिये थे।

श्री रामकिशन : आपने कहा कि बयान दिये उसने। तो आप बताइये क्या बयान दिये उसने ? अध्यक्ष महोदय, तथ्य तो यह है कि उसे आज तक बुलाया नहीं गया। आज तक उसे किसी प्रकार की सूचना नहीं है। अब असेम्बली में लगातार जब प्रश्न किये गये तो कहते हैं बयान लिये गये। लिये गये हैं तो बताया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच की है हमने।

श्री रामकिशन : जांच तो आपकी होती रहती है। मैं इससे कब मना कर रहा हूं कि आपने जांच नहीं की ?

श्री निरंजननाथ आचार्यःसी.आई. डी. का स्पेशल आफिसर भेजा गया अलग से। तो इन दोनों की जांच से भी आरोप प्रमाणित नहीं हुऐ। अगर आप लोग मौके पर सहयोग देते इनको तो और मदद मिल जाती।

श्री रामकिशन : आपने १५ बार जांच की होगी, हमें इससे इन्कार नहीं है। आप की जांचें तो चलती रहती हैं। पर मेरा कहना तो यह है कि दरख्वास्त देने वाले को आपने किस दिन बुलाया, उसका स्टेटमेंट जो आपने लिया वह क्या है ? उसके बयानों से किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ? क्या उसके बयानों के आधार पर आप कहते हैं कि आरोप गलत हैं।

श्री निरंजनानाथ आचार्य : १०. १०. ६१ को उसे बुलाया गया। स्टेटमेन्ट में तीन चार बातें, जिनके सम्बन्ध में कहा जा चुका था, स्पष्ट नहीं हैं। और उसमें जो आरोप लगाये गये वे भी साबित नहीं हो सके, मुलजिमों को शनाख्त करने में भी शंका प्रकट की इसने। शनाख्त भी नहीं कर सका वह। हां, उसके स्टेटमेन्ट से एक बात जाहिर होती

Page No.24

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है, उसकी दुश्मनी। उसके स्टेटमेन्ट से उसकी थानेदार के साथ दुश्मनी जरूर जाहिर हुई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या उन बयानों को मन्त्री महोदय,ने खुद ने पढ़ें हैं जो आनन्दसिंह ने दिये बताये जाते है।

श्री निरंनजननाथ आचार्य : मैंने सारा रेकॉर्ड पढ़ा है। उसमें क्या गलतियां हैं और क्या झूठ बात है, यह भी देखा है।

श्री रामकिशन : क्या आपके पास की फाइल में उसके बयान मौजूद हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर) क्या आनन्दसिंह के लिखित बयान सरकार के पास में मौजूद हैं ? उन बयानों पर क्या आनन्दसिंह के दस्तखत हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बयानों में मुस्तगीत के दस्तखत नहीं होते हैं। पूछताछ होती है वह तो केवल ....

(कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे "शोरगुल" एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं। आप कहते हैं, बयान लिये गये हैं तो दस्तखत जरूर होंने चाहिये, इस प्रकार के बयान आपके पास मौजूद हैं क्या ?

श्री निरन्जनाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, Under investigation or inquiry के वक्त में यह जरूरी नहीं है कि उसके दस्तखत लिये जावें और दस्तखत ऐसे मौकों पर लेने के लिए कानून भी ठीक नहीं समझता है। ऐसी स्थिति में आपका यह कहना कि दस्तखत लेने चाहिये ठीक नहीं है। इम्पार्शिल वे में इन्क्वायरी हमने की, पूछताछ की। बयानों को विस्तृत रूप में और संक्षिप्त रूप में सेलियेन्ट पॉइन्टस नोट किये जाते हैं।

Noted by

(पुनः शोरगुल एवं व्यवधान के कारण अश्रव्य)

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने लगे)

बयान के लिये जाते है, दस्तखत नहीं लिये जाते।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उसके बयान थे तो दस्तखत होने चाहिये, यह तो सीधी सी बात है।

श्री रामकिशन : उसके दस्तखत तो दूर रहे, उसे आज तक बुलाया भी नहीं गया। ये गलत बयान दे रहे हैं सदन में अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य यह निश्चित तौर से कह सकते हैं कि आनन्दसिंह को बुलाया नहीं गया ?

श्री रामकिशन : निश्चित तौर से।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : १०। १०। ६१ को बुलाया गया।

श्री रामकिशन : यह गलत है। उसने लगातार सात चिट्ठियां लिखी हैं कि मेरी शिकायत का क्या हुआ, मुझे बताया जाय। पर उसे आज दिन तक कोई उत्तर नहीं दिया, बुलाना तो दूर की बात है। मामले की जांच करने के लिए कहा गया। जांच की होगी। पर उसे नहीं बुलाया गया, न उसके बयान लिए गये। ये जाली बयान बनाये गये हैं, अगर हैं तो उसके बुलाने का और उसके बयान लेने का प्रश्न तो उठता ही नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बयान नहीं लिये गये। उसके बयान निश्चित रूप से लिये गये हैं यद्यपि हम दस्तखत करांए या न करांए। तब भी दस्त-खत लिये गये हैं। बयान हमारे पास हैं।

श्री रामकिशन : दस्तखत कहां हैं? बताइये। वे बयान आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्रिविलेज्ड कॉम्यूनिकेशन है यह जो हमारे पास है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, ये जान-बूझ कर तो शायद गलत नहीं कह रहे हैं, पर विभाग के दबाव के कारण गलत जान-कारी देकर सदन को अन्धेरे में डाल रहे हैं। अजीब स्थिति है। पुलिस वाले फर्जी बयान बनाते हैं, जाली बयान बनाते हैं और फिर उसको यहां सदन में ये बताएं नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या माननीय मन्त्री महोदय उन बयानों से इन बातों का उल्लेख पढ़कर सुना सकते हैं जिनमें इन्क्वायरी करने वाले अफसर ने १०००) की रिश्वत देने के बारे में, कत्ल के मामले में, पैसा देने के बारे में और चोरी करवाने के मामले में कम्पलेनेन्ट से क्वेश्चन किये हों?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने अर्ज किया रिश्वत का मामला प्रमाणित नहीं हुआ। हां, बार्गलरी का जहां तक सम्बन्ध है कि थानेदार ने करवाई, यह बयानों से जाहिर नहीं होता है। पर हजार रुपये की रिश्वत का मामला प्रमाणित नहीं हुआ। इस रिश्वत के मामले में रिश्वत जो देता है वह प्रमुख गवाह है। पर वह इसमें गवाही देने का तैयार नहीं, बावजूद कोशिशों के वह नहीं आया और न कम्प्लेनेन्ट ने ही साबित कराया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा पर्टीनेन्ट क्वेश्चन है। माननीय मन्त्री महोदय ने फाइल हाथ में लेकर सदन को बताया कि उसका स्टेटमेन्ट है। तो मैं उस स्टेटमेन्ट में से ही यह जानना चाहूंगा कि क्या एन्क्वायरी ऑफिसर ने इस तरह के प्रश्न उससे किये? आप वह हिस्सा पढ़ कर यहां सुना दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फाइल तो अपने पास रखी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं उस फाइल में से ही यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं फाइल में से यह चुनौती देता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने जो बात कही है वह असत्य है। इस फाइल के किसी भी स्टेटमेन्ट के अन्दर

(श्री भैरोंसिंह)

कम्पलेनेन्ट को रिश्वतखोरी और चोरी करने के और दूसरे इसी सम्बन्ध में इन्क्वायरी ऑफिसर ने कोई ववेस्चन नहीं किये ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसी चुनौती माननीय सदस्य ने दी है, मैं भी स्पष्ट रूप से जो जांच की गई है उसके आधार पर कह सकता हूं कि बेशक प्रयत्न किया गया पर इस थानेदार के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं पाई गई, सिवाय इसके कि उसकी दुश्मनी जाहिर होती थी।

(कुछ सदस्यों ने एक साथ विरोध में बोलना प्रारम्भ कर दिया.जिसके कारण, शोरगुल, व्यवधान-अश्रव्य)

थानेदार के सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कहा गया। इसके अन्दर यह है।

(पुनः व्यवधान, शोरगुल, एवं अश्रव्य)

इस थानेदार के खिलाफ ये दो आरोप नहीं प्रमाणित होते हुए भी तीसरा आरोप प्रमाणित हुआ, जिसका इससे सम्बन्ध नहीं है इसके लिये थानेदार की जांच की गई और उस थानेदार के खिलाफ तीसरे आरोप में डी. ई. खोल दी गई है। वह आरम्भ है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, हम मांग करते हैं कि इस फाइल को आप अपने अधिकार में ले लीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आप कहते है वह ठीक नहीं है। आरोप प्रमाणित नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह फाइल इनसे सदन की मेज पर रखवायी जावे। गवर्नमेन्ट किस अधिकार से इसे अपने पास रखना चाहती है और यहां रखने से इन्कार कर सकती है ? इस तरह से फेक्ट्स से इन्कार किया जाता है तो सदन में उस बयान को रखवाया जावे।

श्री भैरोंसिंह : सदन में रखवाया जावे, सबसे बढ़िया। मैं कहता हूं मन्त्री महोदय असत्य बात बता कर सदन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसके निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि आप उस फाइल को स्वयं अपने पास मंगवा कर देखें और फिर सदन को विश्वास में लेकर बताएं कि कम्पलेनेन्ट का स्टेटमेन्ट लिया गया यह किस हद तक सही है। मैं तो कहता हूं यह हन्ड्रेड परसेन्ट गलत है। मेरी जानकारी है यह। मंत्री महोदय ने गलत बात कहकर हाउस की मानहानि की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पब्लिक सिक्योरिटी का प्रश्न है, बड़ा महत्व का है ... ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये बयानात तफतीश में लिये होते हैं और यह सरकार का प्रिविलेज है कि उन्हें न बताए। अदालत में भी नहीं बताते........

(शोरगुल, व्यवधान, कुछ सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

Page No.27

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

स्वयं मुझे एतराज नहीं होगा। कोई एतराज नहीं, अगर अध्यक्ष महोदय यह आपकी आपत्ति का निराकरण करते हैं तो। जहां तक इस फाइल का सम्बन्ध है, जांच का सम्बन्ध है, हमारी बोनाफाइडी का सम्बन्ध, है अध्यक्ष महोदय, इसे स्वयं देख सकते हैं। मैं इसे मन्जूर करता हूं। पर हाउस में रखने के सम्बन्ध में हमारे प्रिविलेज हैं इसलिये यहां रखने में आपत्ति है। कानूनी आपत्ति है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो बयान हैं आनन्दसिंह के पुलिस इन्सपेक्टर के सामने वह प्रिविलेज नहीं है, सवालों के बारे में क्या लिखकर भेजा है इसका प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं। बयान प्रिविलेज्ड नहीं हैं। इसलिये इस डॉक्युमेन्ट को तो आप सदन की मेज पर रखिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप देखें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तक में यह दिया है, प्रिविलेज सदन के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी दिया है। ये तफतीश के बयान हैं। ये नहीं देते, यह कानूनी पहलू है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसे आप तय करने वाले नहीं हैं। यह तो अध्यक्ष ही तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : जांच की आप बात कह रहे हैं, तो क्या यह जांच क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत की गई है या डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी के तहत की है। मन्त्री महोदय ने प्रिविलेज की बात कही और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उल्लेख किया तो यह जांच इस कोड के किस सेक्शन के तहत हो रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एन्क्वायरी की है। अब ऑफेन्स बनता है या नहीं बनता है............

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, को तो बोलने दीजिये। आप समय खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह नहीं है। आपने प्रिविलेज क्लेम किया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत, तो क्या आप यह बताएंगे कि जांच किस सेक्शन के अन्तर्गत हो रही है ताकि प्रिविलेज क्लेम जो आप कर रहे हैं उसे देखा जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य: सेक्शन १६१ के अन्तर्गत........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : १६१ तो बिल्कुल एप्लाई नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय और ज्यादा उलझने की कोशिश न करें।

(शोरगुल)

आप कृपया अच्छी तरह से देख कर मुझे भेज दें कि किस तरह से क्या करते हैं।

Page No.28

प्रश्न संख्या १५

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरिराम चौहान ।

अभियुक्तों के ठहरने की व्यवस्था-अलवर

१६. श्री हरिराम चौहान (तिजारा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिला अदालत में तारीख पेशी पर आने वाले अभियुक्तों को ठहरने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि पुलिस तारीख पेशी पर जब अभियुक्तों को लाती है तो एक बहुत पुरानी जीर्ण-क्षीर्ण अन्धेरी तथा गन्दी कोठड़ी में उन्हें रखती है ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी कोठड़ी में रखने से अभियुक्तों को बड़ी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार इस असुविधा को दूर करने के हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उप-मन्त्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, तारीख पेशी पर आने वाले व्यक्तियों को ठहराने के लिए लोक-अप बना हुआ है ।

(२) जी नहीं, लोक-अप साफ सुथरा और उजालेदार है, जिसमें सफाई का प्रबन्ध ठीक प्रकार से है ।

(३) अभियुक्तों को रखने में कोई असुविधा नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरिराम चौहान : यह बिल्डिंग कितने दिनों से बनी हुई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह बहुत पुरानी है । जहां सेक्रेटेरियट है, वहीं बिल्डिंग है ।

श्री हरिराम चौहान : कितने साल हो गए ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : पुरानी है । सेक्रेटेरियट की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, उसके साथ साथ उतनी ही पुरानी यह भी है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें कितने रोशनदान हैं और कितनी खिड़कियां हैं और किस किस तरफ हैं ?

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या माननीय मन्त्री महोदय स्वयं वहां जाकर उसे देखने का कष्ट करने के लिए तैयार हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: यह विधान सभा का सत्र समाप्त होने के बाद मैं आपके साथ चला चलूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : और उसमें बैठने के लिए भी तैयार हैं ?

Page No.29

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसमें कितने रोशनदान हैं और कितनी खिड़कियां हैं ? मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर न तो एक भी रोशनदान है और न खिड़की है, सिर्फ एक दरवाजा ही है।

कुमारी उमा माथुर : जो उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है और वहां जाकर देखने पर वह गलत साबित हुआ तो मन्त्री महोदय क्या एक्शन लेंगे ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, वहां पर सिवाय दरवाजे के न तो कोई खिड़की ही है और न कोई रोशनदान ही हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं कमरों के डाइमेन्शन्स बता दूं जिससे आपको ज्ञान हो जायेगा। दरवाजा इतना बड़ा है कि जो उजालदान का भी पर्पज़ सर्व करता है। कमरे की लम्बाई है ३२ फीट ६ इन्च और चौड़ाई १० फीट, हाईट ८ फीट इन-साईड दी लोक--अप और डोर की लम्बाई ६ फिट, १ इंच और चौड़ाई ३ फिट ६ इन्च। तो इस तरह से सारा दरवाजा उजालदान के रूप में काम में आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ३४ फिट गहरी कन्दरा है उसमें आगे सिर्फ मुंह है ६ फीट ऊंचा और ३ फिट चौड़ा और छत भी सिर्फ ८ फीट ऊंची है आदमी की ऊंचाई करीब ६ फीट हुआ करती है। जिसके अन्दर ही पेशाब करना पड़ता है, रहना भी उसी में पड़ता है। उसके अन्दर दिन में भी बिल्कुल अंधेरा रहता है, उसमें कोई रोशनदान नहीं है कोई खिड़की नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Next; Shrimati Laxmi Kumari Chundawat

श्री रामानन्द अग्रवाल : Will he examine it again ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहा है कि मैं मौके पर जाऊंगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जैसा आप कह कर रहे हैं, ऐसी कन्डीशन है तो पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये चैक--अप करा लेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मन्त्री महोदय ने जो यहां पर असत्य बात कही है कि इसके अन्दर रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं, यह झूठ बात क्यों कही जाती है और यह मिनिस्टर साहब हमेशा असत्य बोलने के आदी रहे हैं; कोई भी सवाल आये उसी में आप झूठ बोलेंगे और अभी जो पहले जवाब दिया वह भी गलत दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : You claim privilege to speak a lie in the House.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपकी आदत हो गयी है कि सही तौर पर जवाब न दिया जाये........

श्री निरंजननाथ आचार्यः आप विधान सभाई हैं। मैं हूं आपके क्षेत्र का वह नाराजी है आपकी ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

हाई-स्कूल, भीम में अध्यापकों की कमी

१७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) भीम के हाई स्कूल में कितने अध्यापकों की कमी है और कब से चल रही है ?

(२) राज्य के स्कूलों में प्रायः अध्यापकों की कमी रहा करती है ? इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं, भीम हाई स्कूल में अब शिक्षकों की कोई कमी नहीं है।

(२) स्कूलों में विज्ञान के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों के शिक्षकों का अभाव नहीं है, क्योंकि विज्ञान विषय के लिए उचित शिक्षा प्राप्त आशार्यी पूरी संख्या मेंउ पलब्ध नहीं होते और यदि होते हैं भी तो नियुक्ति करने पर वे शहरों के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाना पसन्द नहीं करते। लेकिन भीम के हाई स्कूल में अब कोई कमी नहीं हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतः यह विज्ञान के विषय के अध्यापक क्यों नहीं सरकार नियुक्त कर पाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्यः मेरी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में हैं। शिक्षकों की कमी जहां जहां है उसमें मजबूरी है। हम उनको नियुक्त करते हैं तो वह चले जाते हैं और गांवों में नहीं ठहरते हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतःविज्ञान के विषय के अलावा दूसरे विषयों के भी अध्यापकों की कमी है । मैं आपको स्कूल बता दूं जिनमें कि अध्यापकों की कमी है ? तब तो आप स्वीकार करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उनको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतः देवगढ़ में ३ टीचर्स की कमी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको महीने भर पहले का अन्दाजा होगा। लेकिन यह कमी अभी नहीं है मेरे ज्ञान में।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपके ज्ञान में नहीं है, मेरे ज्ञान में है।

श्री निरंजननाथ आचार्यः मेरा ज्ञान अभी ताजा है कि वहां पर कमी अब नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय मंत्री महोदय को उत्तर मिला है वह कौनसी तारीख का है ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावतः मैं कह रही हूं बदनोर की स्कूल में भी कमी है ४ मास्टरों की ?

Page No.31

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, यह बदनोर थोड़ा फासले से है। मैं जांच कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नोत्तर समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या १८ मेरा प्रश्न है, इसका उत्तर दिलवा दिया जाये। यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है।

श्री भैरोंसिंह : हां, इसका जवाब दिलवा दिया जाये। बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है

कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन पर पुलिस विभाग का खर्चा

१८. श्री सतीशचन्द्र, अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर में जो कांग्रेस महासमिति का अधिवेशन हुआ था उस अवसर पर कितने पुलिस अधिकारी एवं अन्य पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किये गये और इनमें से कितने व्यक्ति जयपुर नगर के बाहर से बुलाये गये ?

(२) इन लोगों के आने--जाने एवं अन्य भत्ते के रूप में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) इस निमित्त पुलिस विभाग की कितनी गाड़ियां काम में ली गयीं और उन पर कितना पैट्रोल आदि का खर्चा हुआ ?

गृह एवं मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) कांग्रेस महासमिति के जयपुर अधिवेशन में प्रधान मंत्रीजी के आने के कारण एवं अत्यधिक जनसमूह की भीड़ की उपस्थिति से सुव्यवस्था के आधार पर लगभग ३२७८ पुलिस अधिकारी व अन्य श्रेणी के पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किये गये, जिनमें से लगभग २३६३ जयपुर नगर के बाहर से बुलाये गये।

(२) लगभग ४४, २४८ रुपया खर्च हुआ।

(३) पुलिस विभाग की कुल ५७ गाड़ियां काम में ली गयीं। जिस पर पेट्रोल आदि में, लगभग १०२७१ रुपये खर्च हुए।

(विपक्ष की ओर से 'शेम-शेम' करने पर)
शेम किस बात की ?

अनेक माननीय सदस्य : एमर्जेन्सी में खर्चा इतना किया गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो उनके इन्तजाम के लिए भी खर्चा तो होता ही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यहां पर तीज के मेले में ८ हजार लोग इकट्ठा होते हैं, उनके लिए इतना इन्तजाम नहीं होता और ५०० कांग्रेस डेलीगेट्स को आपको भीड़ दिख गयी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कभी प्राइम मिनिस्टर और दूसरे इसके लिए आ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जाते हैं तो व्यवस्था उनके पद और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी रीज़न्स पर गवर्नमेन्ट का कर्त्तव्य हो जाता है कि उसकी व्यवस्था करके चले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ पुलिस अधिकारी कांग्रेस पन्डाल के सामने नियुक्त हुए थे जो कि टिकट देखकर लोगों को आने--जाने देते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए कांग्रेस के स्वयं सेवक बहुत थे।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : वे थे या नहीं, यह बात नहीं। वहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया था या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ठीक तौर से नहीं कह सकता, क्योंकि यह इस प्रश्न से संबन्धित नहीं है। लेकिन सिक्यो-रिटी रीजन्स पर अगर कर रखा होगा तो ठीक है, वर्ना कांग्रेस के पन्डाल पर कोई नियुक्त नहीं किये गये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : किसी अन्य पार्टी का इस प्रकार से अधिवेशन हो तो उसमें भी आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी व्यवस्था की जायेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो।

श्री भैरोंसिंह : जिस जगह कांग्रेस के डेलीगेट्स ठहरे हुए थे, वहां पर भी पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सिक्यो-रिटी पर्पज के लिए जहां आवश्यकता है वह व्यवस्था की गई होगी और कई जगह चीफ मिनिस्टर ठहरे हुए थे, उनके लिए जनरल इन्सट्रक्शन्स थीं कि जो भी व्यवस्था उनके लिए करने की है वह की जाये।

श्री रामकिशन : क्या लोकतन्त्र में इतना खर्च करना आप ठीक समझते हैं ? आप इतने लोकप्रिय हैं कि आपके ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। आपके ज्यादा लोकप्रिय हुआ ही नहीं ज्यादा, तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों रखी गयी और इतना खर्चा क्यों किया गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस कम्पीटिटिव परीक्षाएं

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान ज्यूडिशियल सर्विस के लिये क्या इस वर्ष कम्पीटिटिव एक्जामिनेसन्स करवाए गए थे ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) उक्त एक्जामिनेशन्स में कुल कितने प्रार्थी शामिल हुए ? इनमें राजस्थान के प्रार्थियों व यू० पी० के प्रार्थियों की संख्या कितनी २ है ?

(३) क्या प्रार्थियों से राजस्थानी होने के प्रमाण-पत्र लिए गए थे ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां तो कितने प्रार्थियों ने राजस्थानी होने के प्रमाण-पत्र पेश किये थे ?

(४) क्या राज्य सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों में राजस्थानियों व अन्य प्रदेशों के विद्यार्थियों को कम्पीटिटिव परीक्षाओं मे बैठने की इजाजत नहीं दी जाती है ? क्या राजस्थान में इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या ? और इनकी पाबन्दी के लिए क्या आदेश जारी किए हुए है ?

उत्तर

(१) जी हां । दिनाक १३-६-६४ से १६-६-६४ तक

(२) कुल ६५८ शामिल हुए ।

इनमें से २६५ राजस्थानी और २२२ उत्तर प्रदेश से है ।

(३) नहीं । इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(४) अब ऐसी कोई पाबान्दी नहीं है । राजस्थान में यह परीक्षाएं राजस्थान जुडिशियल सर्विस रूल्स १६५५ के मातहत की जाती है । इन नियमों को पूरी पाबन्दी की जाती है ।

विद्युत सम्बन्धी सुविधाएं

२. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या राजस्थान में विद्युत् के कनेक्शन लेने वाले कन्जूमर को विद्युत स्तंभ से कन्जूमर के मकान तक १०० फुट की सीमा के लगने वाला समस्त सामान विद्युत विभाग की ओर से देने का नियम है ?

(२) यदि हां, तो अब तक रतनगढ़, सरदार शहर सुजानगढ़, श्री डूंगरगढ़ राजलदेसर, पडिहारा व बीदासर में कितने कितने कंजूमरों को यह सुविधा दी गई है ?

(३) क्या यह सही है भाखरा विद्युत के आ जाने के बाद रतनगढ़ सब-स्टेशन पर

Page No.34

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

विद्युत की कमी नहीं है और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विद्युत का प्रयोग हो ?

(४) क्या यह सही है कि विद्युत के कनेक्शन लेने वालों को महीनों तक विद्युत विभाग में घूमते रहना पड़ता है और उनका समय पर काम नहीं होता है ?

(५) क्या सरकार इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी, रतनगढ़, सरदारशहर में ११५, सुजानगढ़ में ४ तथा डूंगरगढ़ में २० कंज्यूमरों को यह सुविधा दी गई है।

(३) जी हां।

(४) इस बारे में स्पेसिफिक (Specific) शिकायत आने पर जांच की जा सकती है।

(५) आवश्यक निर्देश अधीक्षक अभियन्ता को भेज दिये हैं।

पुस्तकों की कीमतें

३. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि सन् ६० में प्रकाशित पुस्तकों पर सन् ६३ में कीमतें बढ़ाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि पाठ्य पुस्तकों में भारी कमियां हैं ? कई पृष्ठ गायब हैं, फिर भी सरकार ने बुक सेलरों को बेचने की इजाजत दी है ?

उत्तर

(१) राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मूल्य सन् ६० के बाद ६३ में कागज, छपाई व अन्य खर्चे को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किये गये हैं। क्रय-विक्रय नीति के अनुसार पुराना स्टॉक भी नये स्टॉक के साथ संशोधित मूल्य पर ही बेचा जाता है।

(२) यह कथन सत्य नहीं है कि पुस्तकों में भारी कमी है। पुस्तकों के पृष्ठ कोई गायब नहीं हैं। किसी प्रकार की कमी वाली पुस्तक बेचने की न तो बोर्ड के विक्रय-केन्द्र और न किसी पुस्तक विक्रेता को इजाजत है।

लगान की वसूली जिला झुंझुनू

४. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनू में सं० २०१९ का लगान ड्योढ़ा वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(२) क्या यह भी सही है कि इसी वर्ष मुख्य मन्त्री महोदय ने इस जिले के लिए लगान के अनिश्चित समय के लिए दो आना रुपया की छूट की घोषणा की थी ? यदि हां तो इस पर अमल क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां। जिस क्षेत्र के लिये जो आदेश दिनांक २६-३-६२ को प्रचलित हुए उन पर अमल किया जा रहा है ।

मृतक भोज अधिनियम के अधीन मामले

१०. श्री बालूराम चौधरी (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान मृतक भोज अधिनियम के लागू होने के पश्चात् अब तक प्रत्येक जिले में कितने लोगों ने कानून का उल्लंघन किया ? कितने आदमी अब तक दंडित किए गये एवं कितने मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

राजस्थान में मृतक भोज अधिनियम लागू होने के पश्चात् अब तक निम्न जिलों में जिन व्यक्तियों द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया उनका जिलेवार ब्योरा इस प्रकार है :—

(१) जयपुर २५८

(२) अजमेर ८७

(३) टोंक १६१

(४) गंगानगर ०

(५) सवाईमाधोपुर ४६

(६) जालोर २६७

(७) सिरोही १३

(८) बांसवाड़ा ०

(९) सीकर ६

(१०) डूंगरपुर २

(११) झालावाड़ १

(१२) झुंझूनू ४

(१३) अलवर ३४

(१४) भीलवाड़ा ३३

(१५) भरतपुर ३

(१६) बून्दी १०

(१७) जैसलमेर २३८

(१८) बाड़मेर ८७

(१९) जोधपुर ६८

Page No.36

(श्री गृहमन्त्री)

(२०) बीकानेर ७०

(२१) उदयपुर १२७

(२२) चित्तौड़गढ़ ३७

(२३) नागौर ७१

(२४) चुरू २

(२५) पाली ४५६

(२६) कोटा ०

(२) २१२८ पर मुकदमें चलाये गये।

(३) कुल २२५।

(४) १४७ मामले विचाराधीन हैं।

बाड़मेर जिले में विद्युत सम्बन्धी व्यय

१५. श्री उम्मेदसिंह (बाड़मेर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात विद्युत विभाग और विद्युत् मण्डल द्वारा बाड़मेर जिले पर कुल कितना व्यय किया गया है?

(२) क्या यह सही है कि जिले की चार तहसीलों में कुछ भी व्यय नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

८७,६५५ रु०

जी हां।

स्वीकृत योजना में कोई अन्य कार्य नहीं था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

होटलों व रेस्टोरेन्ट्स को दिए गए ऋण

१. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर में टूरिस्ट या अन्य किसी विभाग द्वारा होटलों व रेस्टोरेन्ट को कोई अन्य ऋण दिया गया है? अगर हां, तो किन किन को और कितना कितना? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) यह ऋण किन शर्तों पर किन नियमों के तहत दिया गया है?

(३) क्या राज्य में उदयपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी इस तरह का ऋण दिया गया है? यदि हां, तो उनकी सूची शहरों के अनुसार सदन की मेज पर रखी जावे।

Page No.37

(श्री सामान्य प्रशासन मन्त्री)

उत्तर

(१) राज्य के किसी विभाग द्वारा होटलों को ऋण दिये जाने का प्रावधान नहीं है, किन्तु राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा होटलों को ऋण दिया जाता है और निगम ने उदयपुर में एक होटल को ऋण दिया है। राजस्थान वित्त निगम जो अन्य बैंकों की तरह कार्य करता है, द्वारा दिये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रखा जाना निगम की नीति के अनुकूल नहीं है।

(२) राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में नियमों की सूची संलग्न है।

(३) जी हां राजस्थान वित्त निगम, जयपुर द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में स्थित होटलों को भी ऋण दिया गया है। निगम द्वारा किन किन होटलों को ऋण दिया गया है उसकी विस्तृत जानकारी आम जनता को बतलाया जाना निगम की नीति के अनुकूल नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सैनिकों को सुविधाएं

२. श्री बालूराम चौधरी (फतेहपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने उन जवानों को क्या क्या सुविधायें देने की घोषणा की है जो वर्तमान संकटकालीन स्थिति में मोर्चे पर हैं।

(२) भारत चीन संघर्ष में राजस्थान के कितने जवान वीरगति को प्राप्त हुए एवं कितने अभी कैद में हैं ?

(३) जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके लिये राजस्थान सरकार ने क्या किया है ?

(४) राज्य सरकार के पास भाखरा नहर पर जमीन प्राप्त करने के लिए अब तक कितने जवानों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या उन पर विचार करके कुछ को जमीन दे दी गई है ? यदि हां, तो कितने जवानों को ?

उत्तर

१. सरकार ने राज्य के सभी सरकारी या ऐसे विद्यालयों में जिन्हें सरकारी सहायता मिलती है और विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कालेजों एवं संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की शिक्षा उन सैनिकों के आश्रितों को जो मोर्चे पर गये हैं तथा जिनके सम्बन्धी राजस्थान में बस गये हैं, निःशुल्क देने का निर्णय किया है।

राज्य की विविध राजपत्रित सेवाओं में ५० प्रतिशत स्थान युद्ध सेवा से लौटाने वाले व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे।

Page No.38

(श्री (मुख्य मन्त्री)

सैनिकों के आश्रितों को कानूनी सहायता प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई है।

जे० सी० ओ० अथवा इससे नीचे पद वाले सैनिकों की पत्नियों को छठी कक्षा से लेकर ११ वीं कक्षा तक अध्ययन के लिये रु० २०) मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है।

कुछ शहरों में मकान बनाने के लिए जमीन रियायती दरों पर देने का निर्णय किया गया है।

पुस्तिका की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें सेना में काम करने वाले, पूर्णतया अपंग अथवा वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों और उनके कुटुम्बियों को दी जाने वाली सहायता, सुविधाओं का विस्तृत उल्लेख है।

२. अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राजस्थान के २३३ सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं इनमें लापता व्यक्ति भी शामिल हैं जो मरे हुए समझ लिये गये हैं। अब कोई भी युद्ध बन्दी नहीं हैं।

३. वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों अथवा पूर्णरूप से अपंग हुए सैनिकों को राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित सहायता, सुविधायें प्रदान की है :

ऑफीसर एवं जे. सी. ओ. को ५००) रुपये नकद एवं का सुरक्षा डिपोजिट प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र के रूप में १५०० रुपये।

अन्य पद वालों के लिये ५०० रु० नकद एवं १००० रु० का सुरक्षा डिपोजिट प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय सुरक्षा पत्र।

वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रित परिवारों के विद्यार्थियों को, सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा सब स्तरों पर निशुल्क दी जावेगी।

ऐसे सैनिकों के बच्चों, आश्रितों को निम्न प्रकार छात्रवृत्तियां दी जावेंगी :

छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों को १२ रु० मासिक।

आठवीं कक्षा से ११ वीं कक्षा तक : छात्रावास में रहने वालों को ३० रु० मासिक, विद्यार्थियों को २५ मासिक।

समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाली नियुक्तियों में सैनिकों की विधवाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के परिवारों या सर्वथा अपंग सैनिकों को देने के लिये भूमि सुरक्षित करदी है। इसके अलावा जहां जिलों में जहां खाली कृषि योग्य भूमि हो, तहसीलदार एवं जिलाधीश इन श्रेणी के व्यक्तियों को भूमि देने में प्राथमिकता देते हैं।

(श्री मुख्य मन्त्री)

४. चीनी आक्रमण से पूर्व राजस्थान सरकार ने भाखरा नहर योजना क्षेत्र में सहकारी समितियों में सम्मिलित होकर आने वाले ६१ भूतपूर्व सैनिकों में ४१७४ एकड़ भूमि का वितरण किया है।

आपतकालीन स्थिति घोषित होने के बाद इस नहर की जमीन के लिये अब तक ३२ जवानों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने मेजर शैतानसिंह के उत्तराधिकारियों को इस क्षेत्र में ३१.२५ एकड़ भूमि का आवंटन किया है। बाकी प्रार्थना-पत्र सेना में काम करने वाले सैनिकों से प्राप्त हुए हैं। चूंकि यह भूमि पूर्णतया अपंग हुए अथवा वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों के लिये सुरक्षित रखी गई है इसलिए उन्हें यह जमीन नहीं दी गई है।

जालोर जिले में जुर्म

३. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला जालोर में पिछले दो सालों में कितने केटल लिफ्टिंग व बरगलरीज के मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए गए और उनमें से कितने में पूरा माल बरामद किया गया है ?

(२) उपरोक्त मुकदमात में से कितने चालान हुए व कितने में फाइनल रिपोर्ट्स दी गई ?

(३) चालानशुदा मुकदमात में से कितने मुकदमात में सजाएं हुई व कितने में मुलजिमान् रिहा (या बरी) किए गए ? रिहा होने के क्या २ कारण थे ?

(४) क्या यह सच है कि पिछले सालों में केटल लिफ्टिंग के जुर्म बढे हैं ? अगर हां, तो इसके क्या कारण है ?

(५) क्या सरकार जहां ऐसे जुर्म ज्यादा होते है उन थानों में पुलिस स्टांफ अधिक मय जीप के रखने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) नक्शा मुकदमात संलग्न है:—

(१) सन् १९६२ में चोरी मवेशी के कुल ६६ मुकदमे रजिस्टर हुए जिनमें से ५१ में पूरा माल बरामद हुआ।

(२) सन् १९६३ में चोरी मवेशी के कुल ५८ मुकदमें रजिस्टर हुये जिनमें से ३७ में पूरा माल बरामद हुआ।

(३) सन् १९६२ में बरगलरीज के कुल ६५ मुकदमें दर्ज हुए जिनमें १२ में पूरा माल बरामद हुआ।

(४) सन् १९६३ में बरगलरीज के कुल ६६ मुकदमें दर्ज हुये जिनमें से १३ में पूरा माल बरामद हुआ।

(२) (१) सन् १९६२ की चोरी मवेशी में से कुल ४४ मुकदमें चालान हुए एवं २१ में

(श्री गृह मन्त्री)

फाइनल रिपोर्ट दी गई।

(२) सन् १९६३ की चोरी मवेशी में से कुल ३५ मुकदमें चालान हुए एवं २० में फाइनल रिपोर्ट दी गई।

(३) सन् १९६२ की नकबजनी में कुल २८ मुकदमें चालान हुए एवं ६६ में फाइनल दी गई।

(४) सन् १९६३ की नकबजनी में कुल ३१ चालान हुए एवं ६१ में फाइनल दी गई।

(३) १) सन् १९६२ की चोरी मवेशी में ११ में सजा हुई व ८ में राजी-नामा हुए और ३ में गवाहान होस्टाइल होने से रिहा हुए।

(२) सन् १९६३ की चोरी मवेशी में ३ में सजा हुई व ११ में राजीनामा हुआ।

(३) सन् १९६२ की नकबजनी में ९ में सजा हुई, ४ में राजीनामा हुए व ३ में गवा-हान होस्टाइल होने से रिहा हुए।

(४) सन् १९६३ नकबजनी में ७ में सजा हुई, ४ में राजीनामा हुए व एक में गवाहान होस्टाइल होने से मुलजिम रिहा हुआ।

(४) जी नहीं।

(५) जुर्मों की संख्या का माप-दण्ड बना हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

चिनगारी, लाइम कंकर तथा गोहरम की खानें

४. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अक-लेरा-सु०) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा शहर के इर्दगिर्द ५-६- मील के क्षेत्र में चिनगारी व लाइम कंकर तथा गोहरम की कितनी खानें किस किस ठेकेदार के नाम से हैं? लिस्ट सदन की मेज पर हिन्दी में देने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इसी क्षेत्र में माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने प्राइवेट लाभ के लिए कितनी ही जमीन में बिना नापे तोले खानें खुदवा दी गई हैं जिसका माइनिंग विभाग में कोई रेकार्ड नहीं है।

उत्तर

१. जिन व्यक्तियों के नाम अल्पावधि अनुमति पत्र तथा रेन्ट कम रॉयल्टी लीज स्वीकृति किये गये हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

२. ऐसा कोई केस सरकार के नोटिस में नहीं लाया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

सवाई माधोपुर जिले के छात्रावास

५. श्री अवणलाल (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर जिले में कितने कितने छात्रावास अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं ?

(२) ये छात्रावास कहां कहां पर हैं और किस किस के नाम से चल रहे हैं ?

(३) प्रत्येक छात्रावास में लड़कों की कितनी संख्या है और उन पर सालाना व्यय क्या है ?

उत्तर

१. सवाई माधोपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु १ छात्रावास तथा अनुसूचित जन जातियों हेतु २ छात्रावास चलाये जाते हैं ।

२. ये छात्रावास करोली में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास तथा सवाई माधोपुर और महुवा में राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रावास के नाम से चलाये जाते हैं ।

३. प्रत्येक छात्रावास में छात्रों की स्वीकृत संख्या ४० है और प्रत्येक छात्रावास पर औसतन वार्षिक व्यय लगभग ११,५०० रु० है ।

सड़कों का निर्माण-गिरवा क्षेत्र

६. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) गिरवा क्षेत्र (उदयपुर डिविजन) में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है ?

(२) क्या उदयपुर से कुरावड़-बम्बोरा-जगतवाली सड़क को पक्का बनाने की योजना है ?

(३) उदयपुर में झाडोलवाली सड़क कब तक पूरी हो जावेगी और क्या इसे बूजड़ा और नाई ग्राम से मिलाने की भी योजना है ?

उत्तर

(१) दो सड़कों का निर्माण हो रहा है ।

(२) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(३) आशा है तृतीय योजना काल में । जी नहीं ।

गंगानगर शुगर मिल में वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों को फायदा

७. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(श्री केदारनाथ)

गंगानगर शुगर मिल में वेज बोर्ड की सिफारिश के अलावा जो कुछ स्टॉफ को डी० ए० का फायदा पहुंचाया गया है उसका विवरण नीचे लिखे मुताबिक दिया जावे :

(a) No. of persons.

(b) Amount of arrears paid to Employees.

(c) Staff drawing salary upto Rs. 100/-.

(d) Staff drawing salary upto Rs. 250/-.

(e) Staff drawing salary upto Rs. 400/- and above.

उत्तर

वांछित सूचना निम्नानुसार है —

(a) 232

(b) Rs. 38, 025. 02 nP.

(c) 180

(d) 42

(e) 10

(६. १०. म. पू.)

घग्घर नदी की बाढ़ सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : कई स्थगन-प्रस्ताव आये हैं। सबसे पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने घग्घर नदी की जो बाढ़ आई है और उससे जो आस पास के क्षेत्रों में क्षति हुई है और फसलें नष्ट हुई हैं उसके सम्बन्ध में रखे हैं। इस प्रस्ताव की सूचना श्री मुरलीधर व्यास, श्री योगेन्द्र-नाथ हाण्डा, श्री अमरसिंह, श्री नत्थीसिंह, श्री रामकिशन एवं श्री अब्दुल जब्बार ने दी है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इस पर आज वे वक्तव्य देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, घग्घर नदी से इस साल भी जो बाढ़ हमारे यहां राजस्थान के इलाके में आई है उसके बहुत से समाचार लगातार समाचार पत्रों में भी आते रहे हैं, और इस बाढ़ के आने के बाद राज्य सरकार के पास भी इस बाढ़ की जो स्थिति हर रोज बनती है। उसकी सूचना भी सरकार के पास हर रोज आती है। मैं आपके जरिये इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव रखे हैं उनके बारे में जानकारी देना पसन्द करूंगा।

जैसा कि सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं यह घग्घर नदी किसी जमाने में एक रेग्युलर नदी के रूप में काम करती थी, पर पिछले कई वर्षों से इस नदी के अन्दर एक नदी का रूप और स्वरूप नहीं रहा। यह नदी पंजाब के हिमालय रेंज से निकलती है और पंजाब के अन्दर २०० मील तक इस नदी का पानी बहता हुआ राजस्थान के इलाके में आकर

Page No.43

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह नदी समाप्त हो जाया करती थी। इसका फ्लो न किसी समुद्र में है और न किसी दूसरी नदी या नाले में मिलकर समुद्र में जाने का रास्ता है। किसी जमाने में यह नदी पंजाब से राजस्थान में होकर, अभी मौजूदा पाकिस्तान है, उसके इलाके में बहती हुई अरेबियन सी में गिरती थी। अब पिछले कई वर्षों से इसका पानी बहता हुआ राजस्थान के घरों में ही समाप्त हो जाया करता था। यह नदी अलग-अलग नाम से अलग अलग इलाकों में पुकारी जाती है पंजाब में इसको घग्घर पुकारा जाता है, तो राजस्थान में भी इसको घग्घर कहा जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ज्योग्राफी बताने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : This is no class room for children.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : चौथी कक्षा का भूगोल तो बन्द कर दें और बाढ़ के मामले को बतायें तो ठीक रहेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका इतना ज्ञान हो सकता है, लेकिन बताना चाहता हूं कि इस नदी का स्वरूप क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले साल भी आपने बताया था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैं रीजनेबल समय में जो बात मुझे कहनी है वह कहना चाहता हूं। न मैं इसको क्लास रूम मानता हूं और न ही इसको क्लास रूम सोचने की जरूरत है। आप चाहे समझते हों ऐसा, मैं नहीं समझता।

पाकिस्तान में इसकी हक्कड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। इस साल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाढ़ की स्थिति काफी बड़े पैमाने पर उत्पन्न हुई है। सन् ५४ तक इस नदी के अन्दर जो पानी बहता था वह ३००० क्यूसेक्स से ज्यादा नहीं था। ५४ से लेकर ५६ तक इसमें पानी की मात्रा लगातार बढ़ती गयी और ज्यों ज्यों पंजाब ने अपने इलाके के अन्दर जब भाखरा की नहरें बनाई और वहां की टोपोग्राफिकल कन्डीशन्स में चेन्जेज आई और बरसात का औसत भी इन पिछले १५ वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान के कई इलाकों में और पंजाब में विशेष तौर से बढ़ा तो उसका परिणाम यह हुआ कि इस नदी के अन्दर पानी की मात्रा भी बढ़ने लगी। इसके उपरान्त पंजाब ने कुछ ड्रेनेज वर्क्स, खास तौर से अपने इलाके में दूसरी और तीसरी योजना में अपने हाथ में लिए और इन दोनों योजनाओं में करीब १६-१७ करोड़ के ड्रेनेज वर्क्स पंजाब ने अपने इलाके में किये। उन ड्रेनेज का पानी और उस इलाके में बढ़ी हुई रेनफॉल की वजह से जो ऊंटू नाम की जगह है, जहां पर कि घग्घर पास होकर निकलती है वहां पर एक बांध बना हुआ है पानी को रोकने के लिए। तो उसका हिस्सा भरने के बाद ऊंटू के ओवरफ्लो के रूप में यह नदी वहां से आगे

Page No.44

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चलती है और राजस्थान के इलाके में राजस्थान नहर का जहां साइफन बना हुआ है उसके अन्दर से होकर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और उसके बाद में पिछले साल से ६२ में जब ज्यादा पानी आया था, करीब १६ १७ हजार क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज था वह पानी पाकिस्तान के बोर्डर के नजदीक ८ मील तक पहुंच गया था । जैसा कि मैंने कहा कि सन् ५४ में ३०८० क्यूसेक्स पानी इस नदी के अन्दर जहां रेकॉर्ड किया गया था वह पानी की मात्रा भी सितम्बर और अक्टूबर के महीने में जाकर उस आंकड़े तक पहुंचती थी, यानी पहले के अर्से में जुलाई और अगस्त के महीनों में पानी की मात्रा ३००० क्यूसेक्स से भी कम रहती थी वहां ६२ से लेकर इस साल तक, जबकि ७ तारीख को इस साल हमको सूचना मिली है पंजाब की तरफ कि से, घग्घर नदी में काफ़ी बाढ़ आने की गुन्जाइश है, तो हमारे यहां ऊट् के अन्दर ६ तारीख को ११ हजार क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज वहां पर ओवरफ्लो के रूप में निकला और उसके बाद पानी का डिस्चार्ज इस साल में लगातार बढ़ता ही गया और २६ जुलाई को इस पानी की मात्रा करीब १४ हजार क्यूसेक्स तक हमारे इलाके के अन्दर डिस्चार्ज के रूप में आने लगी । हमारा साइफन वैसे ८ हजार क्यूसेक्स के डिस्चार्ज का है, पर पानी की जब मात्रा ऊपर बढ़ती है तो प्रेशर की वजह से पानी का डिस्चार्ज ८हजार क्यूसेक्स के बजाय करीब १०-११ हजार क्यूसेक्स उस साइफन से होने लगता है । इस साल में जब ऊट् से २६जुलाई को २४ हजार क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज था तो वह १ अगस्त को रिड्यूस होकर ६७०० क्यूसेक्स रह गया, यानी पानी उतार पर आया, लेकिन फिर अभी पिछले ३ रोज से बरसात पंजाब के इलाके में हुई है और उसकी वजह से पानी का डिस्चार्ज जो ६७२० क्यूसेक्स तक पहुंच चुका था वह वापिस १० हजार क्यूसेक्स तक आज ऊट् के पास चल रहा है । इसलिए पानी जैसा कि इन आंकड़ों से महसूस होगा वह हमारे यहां पर पहुंच रहा है ।

इसकी वजह से राजस्थान के अन्दर जो योजनाएं शुरू की थीं और ५६ में जो घग्घर नदी एक बून के रूप में काम आती थी क्योंकि यहां पर आकर उसका सिल्ट डिपॉजिट होता था तो उसमें अच्छी खरीफ और रबी की फसलें हुआ करती थीं, लेकिन पिछले ४-५ साल से उसकी पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई है तो उस पानी से फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है । इसलिए हमारे यहां योजनाएं बनाई जायं कि कैसे इस पानी को एक कन्ट्रोल्ड वाटर के रूप में डाइवर्ट करें यानी उस पानी का उपयोग करें । ५६ में इसका सर्वे हुआ और ६२ में यह स्कीम भारत सरकार के पास, प्लानिंग कमीशन और सी० पी० डब्ल्यू० सी० के पास पहुंचाई गई । इस योजना की मन्जूरी जो कि करीब ५करोड़ की योजना है आज भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को दी है, और इस योजना को चालू करने के लिए इसका काम हाथ में लिया गया । पिछले फाइनेन्शियल ईयर में इसका कुछ काम चालू किया गया । इस साल करीब १ करोड़ रुपये का प्रावधान हमारे बजट में है और काम भी काफी तेजी से इन पिछले महीनों से चल रहा है ।

Page No.45

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस योजना का स्वरूप यह होगा कि ऊटू से लेकर पंजाब वालों ने घग्घर के बैड को चैनेलाइज़ किया है अपने इलाके तक। उसके बाद हमारा राजस्थान का इलाका जहां से चालू होता है, खास तौर से तिलवाड़ा गांव में जहां पर कि ६२ के साल में कोई प्रोटेक्टिव वर्क्स नहीं होने की वजह से काफी नुकसान हुआ, उसके बाद में कई बांध इस स्कीम में, जो कि प्रोटेक्टिव बांध के रूप में हैं हनुमानगढ़ के टाउन के लिए, सूरतगढ़ के टाउन के लिए, अमरपुरा के लिए और कई गांवों के लिए है, ताकि उनको बाढ़ से बचाया जा सके। तो कुछ प्रोटेक्टिव वर्क्स इनिशियल रूप में ६१-६२ में चालू कर दिये थे और उसका परिणाम यह हुआ कि अभी तक इस बाढ़ की इतनी बड़ी मात्रा और स्वरूप होते हुए भी हमारा हनुमानगढ़ टाउन, सूरतगढ़ टाउन और तिलवाड़ा झील का बांध जो हमने बनाया था वे ज्यों के त्यों खड़े हुए हैं और वहां पर हमारा स्टॉफ लगातार वाच पर रहता है। कोई खतरा हो तो कुछ करने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग तैयार हैं। वे बान्ध प्रोटेक्टिव वर्क्स के रूप में उन टाउन्स को बचाये हुए खड़े हैं। वह स्कीम चैनेलाइजेशन वगैरह करने की, राजस्थान नहर के साइफन तक हमारे इलाके में चैनेलाइज़ कर चुके हैं।

राजस्थान केनाल के नीचे, साइफन के नीचेका जो स्कीम का स्वरूप है वह यह है कि ८००० क्यूसेक्स की चैनल साइफन से सूरतगढ़ के जो धोरे हैं वहां पर हम एक से सूरतगढ़ के जो लेक बनाना चाहते हैं जो करीब ३६००० एकड़ को कवर करेगी। ८ हजार क्यूसेक्स का यह होगा। पिछले ३-४ महीनों में जो काम किया है उससे बैंक का काम पूरा हुआ है। बाढ़ के होने के बावजूद भी वह उसी प्रकार खड़ा है और उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन से निवेदन करूंगा कि इस पूरी केनाल को बनाने के लिए और सूरतगढ़ में जो झील बनेगी इस बाढ़ को रोकने के लिए इस स्कीम को पूरा करने के लिए दो साल का समय लगेगा, इसलिए दो साल तक इसका जो कुछ परिणाम आ रहा है उसको झेलना पड़ेगा और जितना बचाव करने की कोशिश की जा सकती है वह कर रहे हैं। ८ हजार क्यूसेक्स की चैनल को धोरों में ले जाकर झील बनायेंगे उसके बाद साइफन के जरिये ऐसी योजना बनाना चाहते हैं कि कन्ट्रोल्ड और रेगुलेटेड वाटर इसमें छोड़ सकें, क्योंकि इसके बिना किसानों को नुकसान हो सकता है। इस लिए रेगुलेटेड वाटर खरीफ और रबी की फसलों के समय जितना जहां देना है और जितना अवेलेबल है उसके अनुसार हम घग्घर के ओरिजनल बैड के छोड़ सकें ताकि किसानों को उससे नुकसान न होकर फायदा हो। वहां पर खरीफ में पैडी डवलप करने का काफी स्कोप है। उसको रेगुलेटेड वाटर सप्लाई से ठीक कर सकते हैं।

इसलिए जहां तक सरकार का कदम नहीं उठाने का सवाल है, यह कहना कि सरकार ने कदम नहीं उठाया है, जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, सही नहीं है। सरकार ने कदम उठाया है। स्कीम बड़ी है। सरकार का जल्दी बनाने का इरादा नहीं होता तो चीफ इन्जी-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नियर अलग से मुकर्रर करना, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर मुकर्रर करना और दो एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के डिवीज़न खोलकर जितनी तेजी से चलने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं करते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम खुद चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा किया जाय। इससे आबादी को जितना खतरा है, दो-तीन गांवों को—विशेषरूप से अमरपुरा, बड़ोती और सरदारगढ़—इन तीन गांवों के लोगों को पहले से ही इवेक्युएट करने की व्यवस्था कर दी गई है और वे लोग ऊंची जगह पर अपना माल-असबाब लेकर पहुंच चुके हैं। इससे किसी भी प्रकार से जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है। इन गांवों में पानी गया है और आज भी कहीं कहीं घुटनों तक पानी आज भी है। हनुमानगढ़ अभी सेफ है, सूरतगढ़ सेफ है और तलवाड़ा को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फसल को जो नुकसान हुआ है उसका करेक्ट एस्टिमेट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि प्रोटेक्शन वर्क में हमारा रेवेन्यू का स्टाफ और इरिगेशन का स्टाफ लगा हुआ है और रात-दिन इसमें कितना उतार-चढ़ाव होता है उसका ध्यान रखता है। इसलिये जो सूचना है उसके अनुसार सूरतगढ़ में १० हजार एकड़ में बाढ़ का पानी पड़ा है; इस कारण कुछ अड़चन यह पता लगाने में आ रही है कि कितना नुकसान फसल का इस इलाके में हुआ है, किसानों के कितने खेत पानी में डूबे हुए हैं और फसल का कितना डमेज हुआ है इस सबका इस साल का एस्टीमेट नहीं है, हालांकि विभाग के अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं कि कितना नुकसान हुआ है उसका एस्टीमेट बतावें।

दूसरी बात प्रस्ताव में कही गई है कि करोड़ों रुपयों की हानि हुई है। जहां तक पिछली बाढ़ के आंकड़े और सारी चीजें उपलब्ध हैं सन् १९५९ में ३७ हजार एकड़ रकबा डूब में आया था। उसके बाद सन् १९६२ में १ लाख एकड़ जमीन डूब में आई थी। उसके बाद रबी को नुकसान हुआ, खरीफ को नुकसान हुआ; लेकिन करोड़ों का नहीं, लाखों की बात कही जा सकती है। इन किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान सन् १९५९ के बाद होने लगा है। इस साल कितना नुकसान हुआ है, उसका एस्टीमेट करेक्ट हमारे पास नहीं है; जिस समय भी उपलब्ध होगा सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी दे सकूंगा। इसलिये सरकार के कदम उठाने का जहां तक प्रश्न है, जितना कदम जल्दी उठाना चाहिये उतना उठाया है। किसानों को कोई जानमाल का विशेष नुकसान नहीं हुआ है। जिन गांवों को ज्यादा खतरा था उनके निवासियों को ठीक ढंग से इवेक्युएट कराया है। प्रोटेक्शन वर्क और विजिलेन्स जारी है। खासकर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और तलवाड़ा टाउन्स संकट में हैं जो बाढ़ के बीच में पड़ते है, उनके प्रोटेक्शन का खास तौर से ध्यान रखा गया है।

जहां तक कॉम्युनिकेशन का प्रश्न है हनुमानगढ़ टाउन और हनुमानगढ़ रेल्वे स्टेशन, सूरतगढ़ और रंगमहल, सूरतगढ़ और स्वरूप शहर के बीच की लाइन काम नहीं कर रही है। लेकिन इनके बीच में रोड कनेक्शन मौजूद है। गंगानगर से भी मौजूद है। सूरतगढ़ और गंगानगर का डाइरेक्ट रूट नहीं है, टूट

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चुका है इसलिये लोंगर रूट से हनुमानगढ़, सूरतगढ़ पहुंचना पड़ता है। कुछ रास्तों के कनेक्शन डिस्लोकेट हुए हैं और हमेशा जब बाढ़ आती है तब होता है। इस साल भी हुआ है, सन् ६२ में भी हुआ था। इसका हल उस समय निकलेगा जब डाइवर्टिंग चैनल निकलेगी। जब डाइवर्टिंग चैनल बन जायगी और सूरतगढ़ के धोरों में झील बन जायगी उस समय सारी स्थिति ठीक हो जायगी। वस्तुस्थिति की कुछ बातें मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखी हैं। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार की हालत है, मैंने आपके सामने रखी है; वह सुनकर आपको संतोष होगा।

श्री अध्यक्ष : भारत सरकार ने आपकी सारी योजना स्वीकार कर ली है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ मोडिफिकेशन के साथ स्वीकार की है। ३ करोड़ २१ लाख की योजना स्वीकार की है। कुछ बातों का फाइनलाइजेशन बाकी है। अभी हम १ हजार क्यूसेक्स पानी ऊट से इस इलाके में लाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने इस को एग्री नहीं किया है। इसके अलावा डिजाइन हमने १२,००० क्यूसेक्स का चैनल का दिया था लेकिन उन्होंने ८,८०० क्यूसेक्स का मन्जूर किया है। हमारी ५ करोड़ की योजना थी उसमें से उन्होंने ३। करोड़ की मन्जूर की है। फिर भी हमने काम चालू कर दिया है। बाकी के लिए डिस्कशन चालू है। मैं सोचता हूं इस वजह से काम में दिक्कत नहीं आयेगी।

एक बात खास तौर से लसाड़ा ड्रेन के बारे में मेंशन करना भूल गया। लसाड़ा बहुत बड़ी ड्रेन है जो पंजाब में १५० मील में बन रही है। कुछ दिन पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, सेन्टर के डॉ. के. एल. राव ने पंजाब में इस ड्रेन का जो घग्घर से सम्बन्धित है, इन्स्पेक्शन किया था। यह ड्रेन पंजाब में बन रही है। पहले साढ़े चार हजार की बन रही थी, फिर बढ़ाकर १० हजार तक बना रहे हैं। हमने इस पर ऐतराज किया कि इतना पानी घग्घर में मिलाया जायगा तो राजस्थान इसको एब्जोर्ब करने की पोजिशन में नहीं है इसलिए वहां पर बात-चीत करने के बाद वह तय हुआ कि इस लसाड़ा ड्रेन का पानी चन्द्रभान ड्रेन के जरिये वापिस सतलज में डाल दिया जाय।

इस तरह से राजस्थान को सिर्फ १ हजार क्युसेक्स पानी रेगुलेटर के जरिये मिलेगा जितनी की कि हमको जरूरत है। एक हजार से ज्यादा पानी हम नही लेंगे। इस साल वह पानी नहीं पहुंचा है और न वह इस साल पहुंच सकता है, क्योंकि ड्रेन केरीजेज का प्लान पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद रेगुलेटर पूरा होगा। इसलिए लसाड़ा का एक ड्रोप पानी भी हमारे यहां नहीं आया है और न इस साल आने की गुंजायश है। हम घग्घर का एक हजार क्युसेक्स पानी लसाड़ा से ले सकेंगे। रेगुलेटर के जरिये इरिगेशन सिस्टम डवलप करने की बात चल रही है। इसलिए इसको पूरा कॉम्प्रिहेन्सिव वे में लेंगे तो आज जो लोगों को नुकसान होने लगा है वह नुकसान नहीं हो, इसके लिए कोशिश की है।

Page No.48

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस सारे खर्चे के एमाउन्ट में पंजाब और भारत सरकार का कितना कॉन्स्ट्रीब्यूशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी मैंने निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में कुछ तय नहीं हुआ है कि पंजाब सरकार को इतना देना होगा और राजस्थान सरकार को इतना देना होगा। इसमें भारत सरकार का तो कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रश्न ही नहीं आता। रही पंजाब और राजस्थान की बात कि कौन कितना एक्सपेन्सेज बियर करेगा, इस पॉइन्ट पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तो भारत सरकार ने जो यह रुपया दिया है वह लोन के तौर पर दिया है। बाद में इस पर निर्णय होगा कि पंजाब कितना खर्चा बियर करे और हम कितना बियर करें।

अभी जब हम इसके बारे में कुछ बातें कहते हैं कि यह सारी प्रोब्लम पंजाब की वजह से उत्पन्न हुई है और इस कारण हमको इतना नुकसान हो रहा है तो पंजाब वाले कहते हैं कि हमने कोई नई नदी नही बनाई है। अभी इस डिस्प्यूट का कोई हल नहीं हुआ है। यह भारत सरकार के बीच बचाव से हमें करना पड़े या आपस में ही करना पड़े....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह कौन डिसाइड करेगा ? यह क्या कोई आर्बीट्रेटर डिसाइड करेगा या गवर्नमेन्ट खुद आपस में डिसाइड करेंगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों गवर्नमेन्ट म्युचुअली तस्फिया कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और यदि दोनों गवर्नमेन्ट आपस में तस्फिया नहीं कर सकेंगी तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस समय हमारे इरिगेशन मिनिस्टर हैं वे यह कहते हैं कि कितना रुपया किसके खाते में लिखा जावेगा यह सब बाद में तय कर लेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि तलवाड़ा पर जुलाई में, इसी जुलाई के माह में पानी पहुंच गया इस बात को आपने स्वीकार किया है और यह भी स्वीकार किया है कि जितना प्रेशर तलवाड़ा साइफन पर जुलाई में पड़ा इतना उस महीने से पहले कभी नहीं पहुंचा। आपने यह भी स्वीकार किया कि उसकी ८ हजार क्यूसेक्स साइफन की कैपेसिटी है और उससे ज्यादा प्रेशर सब्जेक्ट टु दिस प्रेशर जो भी होगा वह ज्यादा होगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि सीपेज वाटर को निकालना, हर हिल के वाटर को निकालने की समस्या अम्बाला हिल के वाटर को निकालने की समस्या, वाटर लोगिंग की समस्या, ये सब समस्यायें हर रोज बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए बजट दिनोदिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वह समस्या हल नहीं हो रही है। कहीं पर १८ करोड़ का खर्चा, लिसाड़ा पर ३॥ करोड़ का। हर वर्ष बजट में खर्चा बढ़ता ही जाता है, मगर फिर भी सारा पानी घग्घर में निकालते चले आ रहे हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अभी कुछ समय पहले पंजाब के मुख्य मन्त्री और हमारे मुख्य मन्त्रीजी के आपसी बातचीत के अन्दर कुछ बातें लिसाड़ा डैम के बारे में हुई थी और लिसाडा डैम के बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ तय करके आए थे । यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि पिछले तीन-चार सालों से बराबर हमारे यहां क्षति होती आ रही है और लाखों की क्षति हुई हो, यह कहना गलत होगा, मैं तो कहूंगा कि यह क्षति तीन-चार करोड़ से कम की क्षति नहीं हुई है । इस सारी क्षति को देखते हुए यह स्थिति गम्भीर नहीं है तो क्या है और यह स्थिति कब तक टिकने वाली है ? हनुमानगढ़ में पंजाब के चीफ मिनिस्टर, राव, सेन्टर के मिनिस्टर और दो सदस्य, आप और आपके चौधरी मनफूलचन्द जी, माननीय सदस्य भी थे । उस समय लिसाड़ा के बारे में पंजाब के मुख्यमन्त्री ने आपको कागज दिखाया कि यह लिसाडा ड्रेन और प्रोजेक्ट आपके चीफ इन्जीनियर की इजाजत से बनाई गई है । आपके चीफ इन्जीनियर के उस कागज पर हस्ताक्षर हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसका पता नहीं और चीफ इन्जीनियर ने हस्ताक्षर कर दिये । आप देखिये जब १० हजार क्यूसेक्स पानी इस रेगुलेटर की साइफन पर आने वाला है तो राजस्थान इससे डूबेगा या बचेगा यह मैं जानना चाहता हूं । अब तक जो क्षति हुई है वह कुल टोटल लोसेज़ मिलाकर १० या १५ करोड़ की क्षति हो चुकी है और इस पर भी आपने ३।। करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं, वे भी बड़े नखरे और अदा से खर्च करने जा रहे हैं। इसमें भी अभी ड्रेस एण्ड वर्ट्स हैं कि कहीं ५ करोड़ का खर्चा नहीं हो जाए । आप पंजाब सरकार को देखिये कि कितने जल्दी कदम उठाया । पंजाब में लोगिंग की प्रोब्लम के लिए फौरन बजट पास हुआ लिसाडा ड्रेन और ६ महीनों में १० हजार क्यूसेक्स का ड्रेन तैयार हो गया । मगर यहां पर ५ साल से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, मगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आज हमारे चीफ इन्जीनियर का यह साहस कि जो कार्य हमारी राजस्थान सरकार को करना चाहिये था वह हमारे चीफ इन्जीनियर खुद करते हैं । हमारी सरकार की तरफ से वे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देते हैं और सरकार को मालूम तक नहीं । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए कोई राह निकाली जानी चाहिये । पंजाब की तरफ से कोई राह निकलती मुझे नजर नहीं देती है । यह निश्चित बात है कि एक ओर तो पंजाब के लोगों ने अकाल से हमें पानी न देकर पानी से तरसा तरसा कर मारा और दूसरी ओर इस पानी को छोड़ कर हमें नुकसान पहुंचाया । अगर राजस्थान सरकार ने बड़ी मजबूती से और दृढ़ता से इस सम्बन्ध में कोई राहत कार्य नहीं किया तो करोड़ों की हानि बढ़ती ही चली जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जब हमारी कैपेसिटी ८ हजार क्यूसेक्स फ्लो की है और उसमें से १२ हजार क्यूसेक्स पानी फ्लो होता है तो क्या टेक्निकली इस ओवर स्ट्रेन को इन्जीनियर मन्जूर करके चलते हैं कि १२ हजार क्यूसेक्स के फ्लो से उसे कोई नुकसान नहीं होगा ? यदि उनकी ऐसी

(श्री भैरोंसिंह)

राय है, जैसा कि मेरी जानकारी है, तो क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ जिन्होंने ८ हजार क्यूसेक्स से ज्यादा का फ्लो परमिट किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है और ज्यादा पानी जो उसमें से होकर निकाला है उसको रोकने के लिए क्या कर रही है ?

दूसरा जो मैंने पत्रों में पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में पंजाब और राजस्थान ने दूसरा साइफन का और निर्माण किया है। क्या इस लिसाडा के बारे में फाइनल एग्रीमेंट हो गया और क्या आपने सूरतगढ़ के पास कोई जल वहन की व्यवस्था की है जहां १२ हजार क्यूसेक्स वर्षा के पानी के कारण बहुत नुकसान हुआ है और क्या आयन्दा किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच सके वर्षा के कारण, इसके लिए कोई झील की व्यवस्था की है जिसकी Capacity १२ हजार क्यूसेक्स की हो।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, २६ जुलाई को जब फ्लड आया उस समय उसका डाईरेक्शन १२,८०० क्यूसेक्स होगा और पिछले साइफन तक ७ फुट ६ इंच लेवल से ज्यादा है, इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या इससे खतरा नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जिन इलाकों में यह फ्लड आया सन् १९६२ में, उस समय केबिनेट के मन्त्री, आप और हम लोग वहां पर मौके पर गये और जिन लोगों के मकानात फ्लड के स्ट्रेप में आये उसके लिए सरकार की यह मंशा थी कि उन लोगों को फिर से वहीं बसाया जावे और उनको यहां पर बसाया गया। मगर अब फिर बाढ़ आई और उन लोगों के मकान अब भी फ्लड में आ गये हैं और उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकी, उसके लिये मुझे दुःख है कि इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अभी रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतलाया कि लिसाड़ा ड्रेन का पानी घग्घर नदी में डालने के लिए राजस्थान के चीफ इन्जीनियर ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किये, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह फेक्ट है और क्या उसने हस्ताक्षर किये? तो राजस्थान सरकार की स्वीकृति से किये थे या जानकारी राजस्थान सरकार को दिये बिना अपने आप कर दिये थे और क्या यह सही है कि जब कॉफ्रेंस हुई थी तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को डिनाई किया कि हमारी तरफ से कोई कन्फेशन नहीं है और पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह लिसाडा ड्रेन राजस्थान सरकार की स्वीकृति से बनी है और उन्होंने एग्रीमेंट परहस्ताक्षर चीफइन्जीनियर के दिखाये जो चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में नहीं था ? अगर यह तथ्य सही है तो राजस्थान सरकार ने ऐसे चीफ इन्जीनियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की, जिसने अपनी ओर से ऐसी कार्यवाही करके राजस्थान को नुकसान पहुंचाया।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने दो-तीन मुद्दे उठाये उनके बारे में मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक मुद्दे पर जोर दिया कि राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार के एक चीफ इन्जीनियर ने किसी एक कांफ्रेंस में लिसाड़ा ड्रेन के राजस्थान में आने के संबंध में दस्तखत करके दिये। ऐसा उन्होंने यहीं नहीं कहा, पहले अखबारों में भी प्रचार किया है और अखबारों में मुझे भी यह पढ़ने को मिला था। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के दस्तखत न तो किसी चीफ इन्जीनियर ने किये और न कोई एग्रीमेंट वहां पर हुआ। एक मीटिंग जरूर ऑफिसर्स लेवल पर पंजाब के चीफ इन्जीनियर और राजस्थान के चीफ इन्जीनियर की हुई थी और उसमें लिसाडा ड्रेन का प्रश्न डिस्कस किया गया था। उसको डिस्कस करने के बाद वहां पर किसी प्रकार का हमारे चीफ इन्जीनियर ने एग्रीमेंट कर लिया हो, फाइनली 'हां' कर लिया हो या कोई दस्तखत कर दिये हों—यह बात बिल्कुल निराधार है, इसमें सत्यता नहीं है। वे मिले जरूर हैं और जब यह डिस्कशन हुआ हमारे ऑफिसर्स लेवल पर, तो ऑफिसर्स के पास कोई टेक्निकल डटा नहीं था। यह काफी अर्से पहले की बात है। उस वक्त वे एक हद तक ही कह सकते थे। उन्होंने वहां पर विरोध प्रदर्शित किया। मैं आपको बता दूं, जिस चीफ इन्जीनियर के बारे में कहते हैं, उन्होंने इस सारे ड्रेन के मामले को बहुत ज्यादा ऑपोज किया था। इसलिए 'हां' भरने, दस्तखत करने और गवर्नमेंट को कमिट करने के प्रश्न बेबुनियाद हैं। इस बात का जो गलत प्रचार हुआ है इसको रोकना चाहिये और आगे इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

दूसरा प्रश्न माननीय केदारजी ने उठाया कि बारह क्युसेक्स पानी निकाल रहे हैं और इस वजह से जो राजस्थान केनाल का लेवल ऊंचा हुआ है उससे खतरा तो नहीं है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि पानी के बैंक तो जरूर खुले हैं लेकिन क्योंकि पानी का प्रेशर ज्यादा है, पानी का बहाव तेज है और कम बहाव की कैपेसिटी होते हुए भी जब पीछे पानी की शक्ति ज्यादा होती है, प्रेशर ज्यादा होता है तो जितना पानी होता है वह ज्यादा तेजी से निकलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साइफन को खतरा हो या कैनाल के बैंक्स को खतरा हो। यह खतरा नहीं है।

जहां तक जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये, खास तौर से कि यह बारह हजार, ग्यारह हजार क्युसेक्स पानी का डिस्चार्ज है उसकी वजह बनाने का डिफेक्ट है साइफन को। इस वजह से ज्यादा पानी निकल रहा है तो इससे खतरा तो नहीं है। मैं निवेदन करूं कि खतरा नहीं है। बनाने का डिफेक्ट भी नहीं है। यह आठ हजार की कैपेसिटी का बनाया था। लेकिन जब पीछे पानी का फोर्स ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है तो पानी का बहाव ऑटोमेटिकली आठ हजार की कैपेसिटी होते हुये भी दस, ग्यारह हजार क्युसेक्स तक पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में पानी को होल्ड-अप करने या रोकने का प्रश्न भी नहीं उठता है क्योंकि इस स्टेज पर पानी काफी मात्रा में आ रहा है, उसको रोकने से बैंक्स को, नहर को खतरा हो सकता

Page No.52

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। इसलिये पानी रोकना वाजिब नहीं है। जब पानी का लेवल ठीक हो जाता है तो जैसा पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीं किया है कि तिलवाड़ा के पास इस तरह की कोई चीज बना लें जिससे पानी का फ्लो थोड़ा हो। एक राजस्थान कैनाल का बैंक भी कटा हुआ रखा है उसके जरिये पानी को बहाने की योजना, जब पानी का कम बहाव हो, बनायेंगे।

दूसरी, साइफन की बात कही। इसमें एक बात है कि जो एग्रीमेंट अल्टीमेट माना है कि मेग्जिमम डिस्चार्ज सोलह, सत्रह हजार क्युसेक्स का हो सकता है। ड्रेनेज का वर्क कम्प्लीट हो जाय और जो एक हजार क्युसेक्स लिसाड़ा से लेने की बात है तो कुल सोलह-सत्रह हजार क्युसेक्स पानी को सूरतगढ़ के धोरों में रेगुलेट करके वहां बेड्स में ईरिगेशन करनी है। तो सोलह-सत्रह हजार क्युसेक्स पानी का एग्रीमेंट हुआ हैं वह लेंगे। यह राजस्थान में जो परिस्थिति है उसमें ज्यादा नहीं है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): तीन हजार का है घग्घर का।

श्री नाथूराम मिर्धा : इससे ईरिगेशन किया जायगा। एक स्कीम के बारे में सोच रहे हैं कि सोलह, सत्रह हजार क्युसेक्स पानी, जो डिस्चार्ज होगा, को राजस्थान में एब्जोर्ब कर सकेंगे। हमें भारत सरकार ने भी कहा है कि इतना करना चाहिये। जो डे्नेज वर्क है और जो काम हो रहा हैं उसको सोलह, सत्रह हजार के हिसाब से करेंगे। हमने कहा है कि दूसरा साइफन आठ हजार की केपेसिटी का तभी बनाना शुरू करेंगे जब नीचे के वर्क्स, जो कि सूरतगढ़ बेड्स को इस कैनाल की मार्फत और दूसरे घग्घर के मार्फत पहुंचाना चाहते हैं, वे पूरे हो जायेंगे तब साइफन का काम शुरू करेंगे। इससे पहले उनको हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि इससे दुविधा में पड़ सकते हैं, मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसे पंजाब सरकार ने स्वीकार किया है और भारत सरकार ने स्वीकार किया है।

मैं सोचता हूं कि बहुत सी बातें जो उठाई....

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : साइफन का खर्च भी हमें देना पड़ेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : साइफन का खर्च राजस्थान कैनाल में पहले भी हमारा लगा है तो साइफन के लिये है कि हम ही दें। जैसा मैंने कहा, सारी स्कीम के बारे में सोचना है। एक एक प्रश्न तय होता है तो उसके निर्माण में कोस्ट किस आधार पर निर्धारित हो वह तय हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा कि जो बात कही है उसके सम्बन्ध में मैंने कहा था कि राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी वहां मौजूद थे और दो माननीय सदस्य भी थे, उनके सामने....

Page No.53

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत बात है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मन्त्री जो कहें कि यह बात गलत है । वे कह दें कि राजस्थान के चीफ इन्जीनियर ने नहीं कहा कि मैंने मिस अन्डरस्टेंडिंग में दस्तखत कर दिये । वे डिनाई....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे डिनाई करें ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है कि इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है ।

स्थगन-प्रस्ताव

[क] धौलपुर में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज विषयक

इस विचार-विमर्श के बाद जो स्थगन-प्रस्ताव आये हैं उनको अस्वीकार किया जाता है ।

एक स्थगन प्रस्ताव, कुछ स्थगन-प्रस्ताव धौलपुर, जिला भरतपुर में कुछ प्रदर्शन हुये और उनके पश्चात् वहां की पुलिस द्वारा लाठी चार्ज इत्यादि किया गया—उसके सम्बन्ध में है । श्री रामकिशन, श्री हरिशंकर, श्री मानिकचन्द सुराणा, श्री नत्थीसिंह एवं श्री जोधसिंह चौहान ने इस प्रकार के प्रस्तावों की सूचना दी है । मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य किसी उपयुक्त अवसर पर दें जिससे माननीय सदस्यों को इस विषय में जानकारी हो जाय । दो माननीय सदस्य भी इस सदन के इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये थे, वे रिहा कर दिये गये हैं जमानत पर । इस सारी स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य किसी उपयुक्त अवसर पर दें ।

[ख] राज्य की खाद्यान्न स्थिति एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ने विषयक स्थगन-प्रस्ताव एवं उस पर वाद-विवाद

कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं, जो खाद्यान्न की स्थिति है और जो चीजों की कीमतें बढ़ी हैं और उससे जो सम्बन्धित समस्यां है उसके सम्बन्ध में कुछ स्थगन-प्रस्ताव आये हैं । मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाऊंगा जिन्होंने ये सूचनायें दी हैं :

(१) श्री मुरलीधर व्यास

(२) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(३) श्री उमरावसिंह ढाबरिया

(४) श्री केदारनाथ

(५) श्री नत्थीसिंह

(६) श्री रामकिशन

(७) श्री मानिकचन्द सुराणा

(७) श्री दुर्गालाल बादशाह

(श्री अध्यक्ष)

(९) श्री हरिप्रसाद शर्मा

(१०) श्री राधाकृष्ण गोयल

(११) श्री रामानन्द अग्रवाल

(१२) श्री भैरोंसिंह

(१३) श्री कृष्णकुमार गोयल

इन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर स्थगन-प्रस्तावों की सूचना दी है। इस संबंध में अगर माननीय सदस्य सहमत हों, आज कार्य-सलाहकार समिति की जब मीटिंग होगी उसमें विचार किया जाय और उचित समय निर्धारित करने के लिए सोचें जबकि सारी समस्या पर इस सदन में पूरा समय देकर बहस की जा सके।

इसलिए इनको भी इस समय अस्वीकार किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्षजी, खाद्यान्नों की मंहगाई के सम्बन्ध में जो स्थगन-प्रस्ताव का नोटिस मैंने दिया है, मैं यह समझता हूं कि स्वयं सरकार को इस प्रश्न को गम्भीरता के साथ महसूस करते हुये इस विषय को प्रायोरिटी दे देनी चाहिये थी और आज सबसे पहले इस प्रश्न को स्वयं ही इस सदन में बहस के लिये रख देना चाहिये था। सरकार को खुद सारी स्थिति के बारे में बयान देकर सारी स्थिति सदन के सामने रखनी चाहिये थी हमें खेद है कि यह न करके जिस तरीके का भी एजेन्डा इस सदन के लिए आज के लिए रखा गया, जिसमें इस प्रकार का कानून भी है कि दुर्भिक्ष में जो अकाल क्षेत्र में मजदूर काम करते हैं उनको लेबर लॉज से वंचित किया जाय—इस तरह के कानून की अहमियत नहीं है बल्कि यह मजदूर विरोधी कानून है जिसको नहीं लाना चाहिये था। इसी तरह पंचायत समिति में, पंचायतों के अन्दर रिवीजन की पॉवर गवर्नमेन्ट के द्वारा लेने के संबंध में कानून रखा है। ऐसी बहुत कम महत्वपूर्ण और गैर-जरूरी चीजों को आज के लिये रखा गया है। इसके बजाय जो मंहगाई का प्रश्न है जो इतना गम्भीर है कि सारे प्रान्त के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं जगह-जगह भूख हड़तालें हो रही हैं, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं और इधर उधर छोटी-मोटी घटनायें हो रही हैं। ऐसे प्रश्न के ऊपर आज बहस न की जाकर किसी और दूसरी बात पर बहस करें यह किसी भी हालत में आज दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि आज हम कहीं पर भी जाय, जब हम यहां पर आये हैं तो आज हर एक आदमी यह महसूस करता है अनाज के बारे में कि सरकार क्या करने जा रही है, खास तौर से जो सरकार ने पिछले सदन में जिस तरीके से आश्वासन दिये थे, जो कदम उठाने की बातें कहीं थी, दर्जे बदर्जे उन आश्वासनों को वापिस लेकर जमाखोरों और मुनाफाखोरों के साथ मिलकर इस सरकार ने राजस्थान की गरीब जनता को लुटवाया है, जिस तरीके से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पैसा मुनाफाखोरों, जमाखोरों ने कमाया है ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : यह तो एक तरह से स्पीच हो रही है ....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय; ऐसी हालत में यह सरकार फेस नहीं करना चाहती, यह सरकार इस मामले के ऊपर इस सदन को फेस नहीं करना चाहती

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : हम तैयार हैं ....

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : फेस करने के लिए बहस का समय रखने की बात रखी गई है ....

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये इस स्थगन-प्रस्ताव को मंजूर किया जाय। इस सदन में और सब बातों पर बहस को स्थगित करके आज ही इस मसले पर बहस होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो निश्चित है कि इस विषय पर आज ही बहस होनी चाहिये थी और आपने जैसी व्यवस्था दी है कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में चर्चा कर कोई समय निर्धारित किया जा सकता है, वह समय जल्दी ही निर्धारित होगा, इस आशा से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला ऐसा है कि साफ तौर से, सारे तरीकों से सरकार को इस सदन में इन्ट्रोड्यूस करना चाहिये, आज सारे राजस्थान की जनता सरकार की कार्यवाहियों से परिचित होना चाहती है। आज अनाज की सही स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हो रही है, इस सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं राजस्थान सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आज इस सदन में दिया जाना चाहिए जिसमें राजस्थान सरकार बता दे कि आज अनाज के भाव कितने बढ़े हैं, अनाज का कुल स्टॉक राजस्थान में कितना है, कितना आयेगा, चीनी की, गुड़ की क्या पोजिशन है, अन्य उपभोग्य चीजों के कितने भाव बढ़े हैं, तुरन्त इन सब बातों पर एक स्टेटमेंट सरकार की ओर से दिया जाना चाहिये ताकि उसके आधार पर सदन में बहस भी की जा सके। सदन के माननीय सदस्य सरकार को उस आधार पर सुझाव भी दे सकें कि जनता को किस प्रकार राहत मिल सकती है। तो माननीय अध्यक्ष, मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था भी करें कि सरकार के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट हो। मैं मुख्य मन्त्रीजी से भी निवेदन करूंगा कि खाद्य स्थिति क्या है, इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आज सदन में दें और हम भी महसूस करें कि आज ही इस पर बहस करने की आवश्यकता है। अगर बहस में, स्टेटमेंट में इस तरह के तथ्य आते हैं कि एक दिन भी इन्तजार नहीं किया

(श्री भैरोंसिंह)

जा सकता तो इस समस्या पर आज ही विचार किया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्नों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि आज राजस्थान के हर इलाके में अनाज की स्थिति बड़ी खराब है । जगह जगह लूट की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है । ऐसी स्थिति में इस पर आज ही बहस न करके एक दो दिन के लिए लिगर आॉने करते हैं तो जो स्थिति आज सारे राजस्थान में छाई हुई है उस पर फौरन कार्यवाही होना आवश्यक है । यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस स्थगन-प्रस्ताव को मंजूर करके फौरन इस पर विचार किया जाय, इससे सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा । अगर इस पर विलम्ब किया गया तो आज राजस्थान में परिस्थितियां ऐसी हैं कि विलम्ब का बहुत बुरा नतीजा निकल सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि सदन के नेता महोदय, इसके महत्व को स्वीकार करते हुए बहस की बात को स्वीकार करेंगे कि हम इस बात को मानते हैं । इस स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में सरकार अपनी स्थिति बता दे और जो माननीय सदस्य जिस जिस क्षेत्र से आये हैं वे माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की स्थिति सदन के समक्ष लायें तो अच्छा होगा ।

इसलिये मैं सदन के नेता महोदय से निवेदन करूंगा । मैं स्पीकर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि यह एक ऐसा अहम प्रश्न है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये । दूसरी जगह, बंगाल में भी इसके प्रश्न को, इस प्रकार के स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है । तो मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थगनप्र-स्ताव को स्वीकार करके इस पर आज बहस की जाय ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न की गम्भीरता और माननीय सदस्यों की इच्छा कि इस पर सदन में विचार होना चाहिये स्वाभाविक है और हम भी चाहते हैं कि माननीय सदस्यों के सामने जो स्थिति है वह स्पष्ट तौर पर रखी जाय और उनके सुझावों का लाभ इसमें उठाया जाय । इस वक्त जो कार्यवाहियां सरकार द्वारा की गई हैं वे सामने हैं । अभी भारत सरकार की फूड मिनिस्टरी के साथ इस सम्बन्ध में, खास तौर से मेग्जिमम प्राइस फिक्स करने के बारे में कुछ बात-चीत चल रही और मैं समझता हूं कि उसके बारे में जल्दी ही निर्णय हो जायगा । उस बैकग्राउन्ड में इस सदन में चर्चा की जायगी तो वह स्पष्टतया इस मुद्दे पर बहस करना लाभप्रद होगा । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह फूड क्राइसिस की स्थिति है, इसके सम्बन्ध में बाहर या इस सदन में इस प्रकार की बातें न की जायं कि इस समस्या को सुलझाने की सुविधा में रुकावटें आयें, उन बातों को रोक कर चलें जिससे इन सारी चीजों को ठीक ढंग से किया जा सके । इस व्यवस्था के करने में कोई मतभेद नहीं, सरकार भी प्रयत्नशील है, और भी जो कदम उठाये जायेंगे सामने

Page No.57

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आ जायेंगे । मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी चर्चाएं, इस बीच में जो चर्चाएं होती हैं, इनसे स्केअर्स पैदा न हो, रुकावट पैदा न हो । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्दी ही जानकारी करके सदन में चर्चा का दिन रखेंगे । पूरे दिन बहस की जाय इसमें हमें एतराज नहीं, सारे फैक्ट्स पर चर्चा की जाय, इसमें हमें एतराज नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो बढ़ती हुई मंहगवाड़ी का प्रश्न है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके द्वारा राजस्थान के अन्दर दिन-ब-दिन घोर अशान्ति हो रही है, लोग बिलकुल तंग आ रहे हैं । आखिरकार सरकार की इस सम्बन्ध में नीति क्या है, यह केवल सदन ही नहीं किन्तु समस्त राजस्थान की जनता जानना चाहेगी । सदन के माननीय नेता ने कहा है उसमें कोई दो विचारधाराएं नहीं हो सकती कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सम्बन्ध में एक दिन बहस करना आवश्यक है । किन्तु मैं समझता हूं बहस हो तो जल्दी से जल्दी हो । लोगों की भावना और अशान्ति को देखते हुए मैं समझता हूं जल्दी ही एक दिन निर्धारित होना चाहिये और यदि हो सके तो कल ही । हम यह नहीं चाहते कि प्रोपेगेन्डा, स्टंट हो और इससे स्केयर पैदा हो, पर यह अवश्य जानना चाहेंगे विरोधी पक्ष की बेंचों पर बैठने वाले लोग कि सरकार की इस सम्बन्ध में नीति क्या है ? जितनी हद तक स्पष्ट हो सके, जल्दी से जल्दी दिन मुकर्रर कर निश्चित रूप से उत्तर दिया जाय !

श्री रामकिशन (वैर) : एक स्थगन-प्रस्ताव जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस पर मैं नहीं समझता कि सरकार किसी परम्परा मे बंधकर अपने आपको कन्जर्वेटिव साबित करे । जहां तक अनाज का प्रश्न है, मैं इसको परसों नहीं, कल नहीं आज, इस क्षण इस पर बहस होनी चाहिए । आज जब रोटी के सवाल के लिए राजस्थान के लोग भूखे मर रहे हैं या भूखे मरने की स्थिति में हैं, यह उनकी खरीदने की क्षमता समाप्त हो चुकी है तब किसी तरह परम्परा बनाकर यह कहा जाय कि आज इस पर बहस नहीं की जा सकती, यह अनुचित बात है, इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती और न ही लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह अच्छी बात है । अगर लोकतंत्र समाप्त हो गए हैं तो इसलिए नहीं हुए हैं कि परम्परा का पालन नहीं किया गया है, इसलिए हुए हैं कि सरकार असहिष्णु बन गई हैं और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे महत्वपूर्ण और कोई काम ज्यादा नहीं है । यह एक्ट और संशोधन तो कल भी हो जायगा, लेकिन राजस्थान की जनता जो आज भूखों मर रही है जिसके पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है या पैसा होते हुए भी उपलब्धि नहीं है, उनकी हालत पर विचार कीजिए । धौलपुर में झगड़ा हुआ । एक एक आदमी दो-दो रुपए लेकर घूमता है, लेकिन अनाज नहीं मिलता है और मूल्य-

Page No.58

(श्री रामकिशन)

मन्त्री का कहना है कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि इस समय सब कुछ हो जाय, ठीक नहीं है। उन्होंने जो भाषण ११ अप्रेल को दिया है, जब सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही थी, उसको पढ़ लें। उस समय योजना मन्त्री और सप्लाई मन्त्री ने जो नाटकीय भाषण किए उनसे ऐसा लगता था कि सचमुच अब समाजवाद आ गया, लेकिन उसके बाद सरकार ने जिस तरह मुनाफाखोरों और जमाखरों को प्रोत्साहन दिया है उससे यह समस्या खुद सरकार ने पैदा की है। मैं कहता हूं कि इस समय अगर सरकार चुप रही तो समस्या ऐसी खड़ी हो जायगी कि वह सुलझेगी नहीं; इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि बगैर किसी विचार के इस मामले पर विचार होना चाहिए।

हमें तथ्यों की जरूरत नहीं है, आंकड़ों की जरूरत नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान के जो भूखे लोग हैं क्या आप उनको गल्ला दिलाने की स्थिति में हैं? आज जगह-जगह दूसरे प्रांतों में अशान्ति सुनाई देती है, लेकिन राजस्थान की जनता शांतिप्रिय है; वह विद्रोह नहीं कर सकती। भुखमरी के समाचार आ रहे हैं। १९५३ में आपकी सरकार ने घोषणा की थी कि बाहर से अनाज नहीं मंगाए गे और १९६४ में ५० लाख टन अनाज बाहर से आ रहा है। तो मैं कह रहा था कि यह समस्या आपके सुलझाने की नहीं है।

यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, यह स्थगन प्रस्ताव है; आप में इन्तजाम की क्षमता नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी मधुर भाषण देंगे और उसके बाद कोई काम नहीं कर पाते। फिर इस पर बहस होगी। अध्यक्ष महोदय, आपमें हमारा विश्वास है, अन्य कांग्रेसियों का विश्वास है, आप इन पर दबाव डालिये क्योंकि यह परम्परा का प्रश्न नहीं है, ये परम्पराएं तो बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन जब लाखों लोग नष्ट हो जायेंगे उस समय परम्पराओं को लेकर क्या करेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ११ अप्रेल वाले भाषण को जरा देखें जो दोनों सरकार के प्रतिनिधियों ने दिए और उसके बाद भाषण आपने दिए। उस समय हमने जो सुझाव दिए थे उनको देखिए। आज सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, कल सरकार ने २५ क्विंटल और ५० क्विंटल का ऑर्डर जारी कर दिया। इस तरह आप हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन कम से कम आपनी बीबी और बच्चों को तो मूर्ख मत बनाइये। अनाज बड़े बड़े व्यापारियों के पास या बड़े बड़े जमींदारों के पास पड़ा है, जिनकी कृपा से आज आप गद्दी पर बैठे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगाता हूं लेकिन यह सारी स्थिति आपकी है। और खास तौर से ये जो कांग्रेस के बैक बेंचर्स हैं, वे बेचारे रात-दिन हमसे कहते हैं कि इस मामले को शीघ्र तय करना चाहिए, मुख्य मन्त्री कन्जर्वेटिव हैं, लेकिन ये लोग दब जाते हैं, अपनी बात को मन में रख कर रह जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अभी तत्काल इस पर बहस होगी। विरोधी दल के लोग सरकार को पूरा पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। सरकार ने फूड एडवाइजरी कमेटी बनाई, हम सुझाव देते हैं तो सरकार

Page No.59

(श्री रामकिशन)

मानती नहीं है । डिफेंस ग्रॉफ इंडिया रूल्स के ग्रन्दर दूसरे कार्य कर सकती है, लेकिन उसका जमाखोरों ग्रौर मुनाफाखोरों पर प्रयोग नहीं होता । ग्रगर कोई नाटक १०-१२ बार देखा जाय ग्रौर पात्रों को बार-बार देखा जाय तो मजा नहीं ग्राता है रंगमंच का । जो जनसंघ के नेता हैं, उन्होंने सुझाव दिया है, उनके दल के लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं

श्री भैरोंसिह : (किशनपोल, जयपुर) बहस तथ्यों के ग्राधार पर होगी । मैं ऐसा समझता हूं कि कंसांडरेट वे में बहस की जाय ग्रौर प्रचारात्मक ढंग को काम में न लिया जाय । राजस्थान की दो करोड़ जनता

श्री रामकिशन : प्रचार का काम तो ग्रापका है तो भूख हड़ताल कर रहे हैं । हम प्रचार नहीं करते । हमारे पास ग्रांकड़े हैं, हमारे पास तथ्य हैं । इसलिए मैं योजना मन्त्री से निवेदन करूंगा क्योंकि वे ही बीच में ग्राते हैं, कि इस मामले को तत्काल सुलझाया जाय । खास तौर से मैं भीखाभाई से निवेदन करूंगा कि उनके भील लोग भूखे मर रहे हैं, ग्राप उनके मालिक हैं, ग्रापकी गद्दी बरकरार रहेगी, हम ग्रापको फिर बिठा देंगे, लेकिन उनको ग्रनाज तो दिलाइये ।

श्री ग्रध्यक्ष : (श्री हरिराम चौहान के उठने पर) माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । जब बहस का समय ग्राए तब बोलें ।

श्री हरिराम चौहान : (तिजारा) : मैं ग्रपनी पार्टी के ग्रोर से बोलना चाहता हूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापकी कोई पार्टी नहीं है । कृपया स्थान ग्रहण करें, जब बहस होगी..........

श्री हरिराम चौहान : मैं इस पर ग्रपना विचार रखना चाहता हूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं बता रहा हूं कि बहस कब होगी, किस तरह होगी ।

श्री हरिराम चौहान : मैं उस पर विचार रखता हूं............

श्री ग्रध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल)

(श्री हरिराम के उठने पर) माननीय सदस्य बैठ जायं । कई माननीय सदस्यों ने जो खाद्य समस्या के संबंध में स्थगन-प्रस्ताव ग्राए हैं उन पर ग्रपने विचार रखे । मुख्य मन्त्रीजी ने जैसे कहा कि वे इस साल मामले पर बहस के लिए तैयार हैं जब कभी भी उपयुक्त समय हो ग्रौर सदन की कार्यवाही कल शुरू होने से कुछ दिन पूर्व में खाद्यमन्त्री ग्रौर मुख्य मन्त्री से सम्पर्क में था कि इस सबंध में कई माननीय सदस्य चिंतित हैं ग्रौर इस पर बहस होनी चाहिए ग्रौर उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि इस पर बहस ग्रवश्य हो ग्रौर जितना जल्दी हो सके समय निर्धारित हो । उस बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए । ग्रब प्रश्न यह है कि इस पर बहस की जाय, तथ्य नहीं, ग्रांकड़े न हो ग्रौर बहस शुरू कर दी जाय तो

Page No.60

(श्री अध्यक्ष)

~~राजस्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय~~
मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त नहीं, एक माननीय सदस्य ने स्वयं ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कितना अनाज आ रहा है, कितना नहीं, इस पर बहस हो जैसे शुरू में बताया गया, आज ११ बजे सारे दलों के प्रतिनिधि मिल रहे हैं और वे समय निधारित कर लेंगे कि किस समय इस गंभीर समस्या पर बहस होगी। एक सुझाव आया कि सरकार बहस शुरू करे। मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त है। खाद्य मन्त्री एक स्टेटमेंट दे सकते हैं और उस आधार पर माननीय सदस्य अपने अपने विचार रखें। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बहस को यहां समाप्त किया जाय और जितना जल्दी हो, जैसी कार्य सलाहकार सिमिति की राय हो उसके अनुसार समय निर्धारित किया जायगा।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): लेकिन ये नोट के लिए एग्री कहां कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कल भी बात हो गई थी। नोट तैयार करवा रहे हैं, चाहे स्टेटमेंट दें चाहे नोट, सरकार खुद इसमें पहल करे, यह मैं उपयुक्त समझता हूं और उस पर वे राजी भी हैं। तो इस बात पर चर्चा का समय और अन्य कार्यवाही............

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, न तो नोट से लोगों का पेट भरना है, न कोई अध्यादेशों से पेट भरना है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप बोल चुके हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : He should not be allowed.

श्री हरिराम चौहान : जो स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री हरिराम चौहान : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। Order please !

श्री हरिराम चौहान : मैं यह समझता हूं....

(शोरगुल, व्यवधान)

उनका कोई असर नहीं है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। Order please !

श्री हरिराम चौहान : गम्भीरता पूर्वक....

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं वह रेकॉर्ड न की जाय।

(माननीय सदस्य श्री हरिराम के बोलते रहने पर)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (उप-मन्त्री,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
राजस्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे है उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। Order please !

एक प्रस्ताव है कि माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाला जाय।

श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : ××××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order lpcase ! माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करिये। माननीय सदस्य ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ×× ×

श्री अध्यक्ष : Order please ! आप स्थान ग्रहण कर लीजिए।

(विराम)

माननीय सदस्य। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। एक व्यवस्था दी जा रही है। विभिन्न दलों के नेताओं को बोलने का मौका दिया जाय। कार्यवाही निर्धारित की जा रही है। कुछ माननीय सदस्य इस प्रकार से व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। बहस करने का एक तरीका है। बहस के लिए नियम हैं। उनकी परिधि में रहकर यदि हम काम करना चाहते हैं तो वह उचित हो सकता है, अन्यथा मैं समझता हूं कि कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : Order please ! कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ××××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Order please ! आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

×××× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : xxxx

श्री अध्यक्ष : You can't hold the house to ransom like this.

श्री रामानंद अग्रवाल : xxxx

श्री अध्यक्ष : Order please !

(श्री रामानन्द अग्रवाल के भाषण जारी रखने पर)

माननीय सदस्य ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : On a point of order sir....

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : xxxx

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : xxxx

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order sir,...

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : xxxx

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of order sir,...

श्री अध्यक्ष : Order please ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : xxxx

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : xxxx

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये ।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत ही नहीं दी गई है वे यदि इस प्रकार से बोलते रहे और मर्यादाओंका उल्लंघन करते रहें तो सदन की कार्यवाही और किस प्रकार से व्यवस्था चल सकेगी ।

श्री रामकिशन (वैर) : सरकार ही व्यवस्था तोड़ रही है ।

श्री अध्यक्ष : बात कहने का तरीका हो सकता है .. ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : xxxx

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हांडा और श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो बातें कही हैं वे रिकार्ड पर नहीं आवेंगी ।

श्री मानिकचंद सुराणा : अध्यक्ष महोदय, अभी हम.... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : xxxx

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा । आपको बहस करने का मौका मिलेगा । इस प्रकार से अव्य-

xxxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Page No.63

वस्था पैदा करने से काम नहीं चलता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : xxxx

श्री अध्यक्ष : एक के चाहने से नहीं हो सकती। सदन में और भी माननीय सदस्य हैं।

श्री हरिराम चौहान : xxxx

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे व्यवस्था रखें।

श्री हरिराम चौहान : xxxx

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपको शर्म नहीं आती है कि अध्यक्ष महोदय के कहने पर भी आप बार बार सदन की व्यवस्था नहीं रखते हैं और आसन की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। माननीय सदस्य को बाहर निकालने का जो प्रस्ताव है उसको लिया जाय।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसे प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। एडजोर्नमेंट मोशन्स पेश होते हैं। आज के स्थगन प्रस्ताव भी इसी तरीके के हैं। उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। इंग्लैंड की हिस्ट्री में भी एक बार ऐसा मौका आया था जबकि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। सरकार की इसके स्वीकार होने से कोई प्रतिष्ठा गिरती हो, ऐसा प्रश्न नहीं है। क्या आप यह महसूस करते हैं कि आज जो अनाज की समस्या और मंहगाई है जो विधानसभा के सम्मुख अन्य प्रश्न हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं ? आज लोगों को आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह प्रश्न है जो विधानसभा के सामने एक स्थगन प्रश्न के रूप में उपस्थित है। आज राजस्थान के दो करोड़ इन्सान किस प्रकार मंहगाई से ग्रसित हैं, उनके घरों में एक वक्त की रोटी भी नहीं है....

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार जो जनतन्त्रीय और समाजवादी सरकार अपने आपको कहती है तो निश्चित रूप से आज जो राजस्थान के सामने खाद्यान्न की स्थिति है, आज जो अनाज के भाव चरम सीमा पर पहुंच गये हैं उसके लिये क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार भारत सरकार की तरह यहां भी जमा करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही कर रही है। जो व्यवस्था करने का आपने पहले सत्र में आश्वासन दिया था उस सम्बन्ध में आपने क्या किया ? आपके पास उसके बारे में जो तथ्य व आंकड़े हैं वे सब विधान सभा के सम्मुख आने चाहिये। यह प्रस्ताव रखना बहुत सरल है, फलां को सदन से निकाल दिया जाय, आप सदस्यों को बाहर निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं, जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है उनसे निवेदन करना चाहता हूं; बाहर निकाल कर जनता की भावना को दबा नहीं सकेंगे, केवल सदस्यों को बाहर निकाल देने से खाद्यान्न की स्थिति में सुधार हो जायगा, यह कतई नहीं है। इसके साथ साथ कांग्रेस सरकार का भी जनाजा निकाला जायगा, यह भी आपको विदित होना चाहिये।

xxxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

अध्यक्ष महोदय, आज मंहगाई प्रश्न हमारे सामने सबसे प्रमुख प्रश्न हैं । उसके लिये आपने क्या उपाय किये वह सदन के सामने रक्खें ? जब हम यहां सदन में भाग लेने के लिये आये, जितने लोग हमको मिले हैं, चाहे ट्रेन में मिले, चाहे आते जाते मिले हों, सबने हमसे एक ही सवाल पूछा है कि आप महंगाई के बारे में क्या सवाल उठा रहे हैं। बढ़ती हुई मंहगाई को अनाज के भावों का नियन्त्रण के लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं, यह जानना हमारा अधिकार है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम प्रश्न है जिस पर आज ही विचार किया जाना चाहिए । जनता ने हमारे में विश्वास करके जिस प्रकार से हमें भेजा है हमें अधिकार है हम आपसे मांग करे कि आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ? हम यहां इस बारे में पहले चर्चा करेंगे सब मसलों को छोड़ कर सबसे पहले इस मसले को लिया जाना चाहिये । मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आज ही इस बहस को शुरू करें और अपना वक्तव्य दें । इसके बाद में कल परसों इस पर बहस रखी जाया ताकि राजस्थान की खाद्य स्थिति की क्या हालत है, उसकी सही स्थिति सदन के सामने आ सके।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो खाद्यान्न की स्थिति हमारे प्रान्त में है वह गम्भीर स्थिति है इसके बारे में दो मत नहीं हो सकते । अनाज की स्थिति राजस्थान में बहुत खराब है । हमारे मित्रों के साथ सभी दल के माननीय सदस्यों ने इस स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिये हैं । कुछ मित्र इतने अधिक उत्सुक हैं कि इस पर आज ही बहस की जाय । मेरा निवेदन है कि यह मामला बहुत गम्भीर है, उसके लिये हमें ठन्डे दिमाग से सोचना है । इस तरह से यहां आज ही इस वक्त बहस करके यह हम सोच लें कि इससे राजस्थान की दो करोड़ जनता को अनाज दिला देंगे, यह नामुमकिन है । इस मसले पर बहस होनी चाहिये, इसके लिये यह वाया मिडिया हो सकता है कि सरकार के पास इस बारे में जो स्टेटमेंन्ट हों उसके लिये यह तैयारी करके आये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): कल बहस करने से क्या अनाज सबको मिल जायगा ?

श्री मानसिंह महार : यह निश्चित चीज है कि कुछ मित्र यहां....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप यह गारन्टी दे दें कि परसों बहस होगी तो सबको अनाज मिल जायगा ?

श्री मानसिंह महार : मैं गारन्टी दे रहा हूं, हमें उन लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं जिनकी दोस्ती हमारे दुश्मन से है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सरकार नहीं कर सकती ।

श्री मानसिंह महार : आप किस मुंह से बोल रहे हैं, आप तीन हैं और तीनों के रास्ते जुदा जुदा है ।

Page No.65

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके मामले में तो हम सब एक हैं।

श्री मानसिंह महार : हमारे मामले में आपके एक होने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो अनाज की स्थिति है उसके लिये सरकार उत्तरदायी है, इसमें दो राय नहीं है। इस बारे में सरकार की जो पॉलिसी है वह गलत है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसके लिए खाद्य मन्त्री को इस्तीफा दे देना चाहिये।

मेरा खाद्य मन्त्री से यह निवेदन है कि आप इस प्रकार की मिसाल कायम करिये इंगलेन्ड में प्रोफ्यूमों ने इस्तीफा दिया था, हमारे नाथूराम जी भी इस्तीफा दे दें वह इस बिना पर दें कि मेरे जमाने में फूड ग्रेन बहुत महंगा हो गया, अनाज की कीमतों को मैं व्यवस्थित नहीं रख सका इसलिये इस्तीफा देता हूं। सस्ता गेहूं कांडला बन्दरगाह में पड़ा रहा, उसको जयपुर तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर सके। जयपुर में आठ दिन तक आपके अनाज के गोदाम खाली रहे। आज खाद्यान्न की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता जब तक कि दो आदमी इस्तीफा नहीं दे देते। नाथूरामजी से मेरा निवेदन है कि स्वस्थ परम्परायें कायम करने के लिये उनको त्यागपत्र देना चाहिये। वे लालचीन वालों की बात में न आयें। हम भारतवासी जो बातें कहते हैं उनके अनुसार इसलिये.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अय्यूब खां के दोस्तों की बात मानें।

श्री मानसिंह महार : इन चीनी गुर्गों की बात में मत आइये। हम अय्यूब के दोस्त हैं, अमेरिका के भी दोस्त हैं कांग्रेस के भी दोस्त हैं, और भारत सरकार के भी दोस्त हैं। तुम्हारी तरह नहीं, उस चीन के इशारे पर चल रहे हैं जिसने हमारी छाती पर बन्दूक तान रखी है, उससे दोस्ती करके आप हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, आप हमारे दुश्मन हैं। आपको डालना तो जेलों में चाहिये लेकिन कांग्रेसी सरकार की कमजोरी के कारण आप यहां बैठे नजर आ रहे हैं। इस सरकार को चाहिये कि वे खाद्य स्थिति को सुधारने के लिये नाथूरामजी को मजबूर करे कि वे अपने पद से इस्तीफा दें।

मैं यह जानता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री अमेरिका और इंगलैंड हमारे मुख्यमन्त्री के साथ होकर आये हैं। मुख्य मन्त्री की नीयत उनको साथ में ले जाने की यही थी कि वहां की जो स्वस्थ परम्परायें हैं उन परम्पराओं को वे पालन कर सकें। हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब भी अभी अभी विदेश भ्रमण करके आये हैं, साथ में नयी गाड़ी भी लेकर आये हैं, उनसे भी मेरा यह कहना है वे उनके बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, वे उनके प्यारे भी हैं, वे उनको शिक्षा दें कि भाई इस देश के अन्दर अगर इस प्रकार की बात होगी तो हम डेमोक्रेसी की जड़ों को बहुत गहरा करेंगे, इसलिये नाथूरामजी को इस्तीफा देने के लिये कहें। खाद्यान्न की स्थिति एक

Page No.66

(श्री मानसिंह महार)

दिन में सुधर सकती है अगर नाथूरामजी इस्तीफा दे दें और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि अगर हमारे खाद्य मन्त्री और खाद्य आयुक्त से यह काम हटा लिया जाय तो गेहूं का भाव दस रुपये मन तक हो जायगा। अगर दस रुपया मन नहीं होगा तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब तक खाद्य मन्त्री नाथूरामजी मिर्धा है और खाद्य आयुक्त श्री हांडा हैं तब तक अनाज की स्थिति नहीं सुधर सकती, यह दावे के साथ कह सकता हूं। आप चाहे घंटों बहस कर लीजिये; एक दिन नहीं एक महिने तक कर लीजिये कोई नतीजा निकलने वाला नही। यह इनका षडयन्त्र है जिसका नमूना क्रय विक्रय संघ है जिसके अन्दर ७० लाख रुपये का घोटाला हुआ। सरकार आंखों पर पट्टी बान्धे सो रही है। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इस पर बहस तो होनी है। केवल नाथूराम जी को ही नहीं जाना है, इस सरकार को भी जाना है, नाथूरामजी के, पूंछ के बंध गये तो सरकार भी जायगी इसको भी उलट दिया जायगा। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं सिंगल एस. और डबल एस० एस० है उनका तो यही तरीका है आप उनकी बातों में मत आइये.......

श्री रामकिशन (वैर) : आपका डबल एस० एस० से क्या मतलब से मतलब है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये गधे तो अपने आपको ही मानते हैं।

श्री मानसिंह महार : डबल एस० एस० से मतलब है संयुक्त समाजवादी पार्टी से। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसकी शुरूआत नाथूरामजी मिर्धा के स्तीफे से की जाय और दूसरे जो खाद्य मन्त्री आवें वे अपनी नीति की घोषणा करें और उसके बाद इस सम्बन्ध में बहस की जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,... ....

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि इस तरह बहस चलाने से कोई फायदा हो इस तरह से बहस ठीक ढंग से नहीं हो सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन-प्रस्तावों के जरिये विरोधी दल के सदस्यों ने मांग की है कि इस खाद्यान्न की स्थिति पर बहस की जाय। आपने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दी है। अध्यक्ष महोदय, शासन को कोई आपत्ति नहीं होगी और न है और न हो सकती है कि सरकार यदि इस बात के लिये तैयार हो जाय कि इस बारे में आज ही बहस आरम्भ कर दी जाय इस संबन्ध में जो वाद-विवाद होगा वह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसके लिये बड़ी भारी तैयारी करने की आवश्यकता हो। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में तथ्यों के साथ तैयार नहीं है जिसके कारण वह वक्तव्य दे सके या जानकारी दे सके। ऐसा लगता है पिछली बार जब सदन स्थगित हुआ उस समय फूड ग्रेन लाइसेंसिंग ऑर्डर सरकार द्वारा जारी करने को कहा गया था और उसके जरिये जनता को यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विश्वास दिलाया गया था कि आने वाले चार-पांच महीनों में आज की समस्या नाम की समस्या ही नहीं रहेगी, किसी प्रकार भी मंहगाई में वृद्धि नहीं होगी।

हम यह जानना चाहते हैं कि फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग आर्डर के तहत कितना माल इकट्ठा किया उसके अन्तर्गत कितना सख्ती का रुख दिखाया। शायद सरकार ने उसके अन्तर्गत जमाखोरों के खिलाफ और ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा। जहां सरकार ने जनता को ठीक दामों पर अनाज उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाया वह पूरा नहीं हुआ।

लेकिन भीलवाड़ा के चुनाव का समय आया और आपने धीरे धीरे वार्निंग करना शुरू किया। आपने उस समय कुछ ढिलाई इसमें की और बाद में समय-समय पर किन कारणों से, किन मोटिवों से, पता नहीं, इसमें ढिलाई करते ही चले गये। यह समझ में नहीं आता कि उस समय सदस्यों ने बहुत कहा, बहुत मांग की कि इसमें बहुत सी व्यवहारिक कठिनाइयां आयेंगी, पर आपने उस समय तो एक नहीं सुनी, उन पर विचार तक नहीं किया। पर बाद में आपका यह फूड ग्रेन लाइसेन्सिंग आर्डर चरण बांधने के कागज के अतिरिक्त किसी उपयोग का नहीं रहा। आप यहां तक नीचे गिर गये। और यह हालत सरकार ने पैदा कर दी।

सदन का दूसरा अधिवेशन जब शुरू होने लगा और सरकार ने समझा कि यह सवाल फिर से सदन में खड़ा होगा और मेरा विश्वास है, मेरे स्वयं के मन में भावना थी कि कल तीन तारीख को जब सैशन शुरू होगा तो यही प्रश्न सबसे पहले आवेगा, पर जवाहरलाल जी का कन्डोलेन्स का मोशन आ गया कल, तो कल तो वह नहीं होता। यदि वह कल नहीं होता तो राज्य की अनाज की समस्या पर कल ही बहस की मांग करते, कि राजस्थान के अन्दर दो करोड़ लोगों के सामने खाद्य का सवाल विकराल रूप धारण किये खड़ा है, इसे सबसे पहले लिया जाय, बाकी सारे सवाल तो गौण हैं, तो इसलिये अगर कन्डोलेन्स मोशन नहीं होता तो कल ही मैं समझता हूं कि दूसरी कार्यवाही नहीं होती।

पर अध्यक्ष महोदय, कल विचार नहीं किया और अपनी भावनाओं को दबाकर रहे, पर मैं समझता हूं कि क्या सरकार स्वयं यह नहीं समझती थी कि यह प्रश्न सबसे पहले सामने आवेगा और उसके किये हुए कारनामों के सम्बन्ध में लोगों की तीव्र भावनायें हैं। लोग अपने अपने इलाकों में आयेंगे और उन सबके सामने भी यह समस्या बड़ी तीव्र समस्या है। सारे लोगों से सम्बन्ध रखने वाला यह सवाल है। इस पर पहले भी विचार हुआ था, पर सरकार के गलत कारनामों से उसने आज विषम रूप धारण कर लिया है। आज इस पर विचार होना चाहिये। इसमें परम्पराओं का सवाल है नहीं? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा विरोधी दल के नेता ने इसे लिया है सरकार इसके लिये समय मुकर्रर करे, यह सवाल नहीं रह गया है अब तो सवाल यह रह गया है कि जनता को और हमें इस सरकार

Page No.68

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को समय मुकर्रर करना होगा । वह वक्त आ गया है । आज इस सरकार के गलत कारनामों के कारण जगह २ हड़तालें चल रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं डी. आई.आर. के का डन्डा चलाया जा रहा है, सदन के माननीय सदस्यों तक को जेल के सींकचों में बन्द किया जा रहा है अनाज और रोटी के बदले लोगो को लाठियां और गोलियां खिलाई जा रही हैं। तो क्या आज इन गोलियों और लाठियों के आधार पर परम्परा को निभाने के लिए कहा जा रहा है ? ये कौनसी परम्पराएं कौन से नियम किस बात की परम्परा ? अब तो सवाल हमारे सामने है कि यह सरकार रहनी भी चाहिये या नहीं ? पिछले १७ साल के शासन काल में इस कांग्रेसी सरकार ने बहुत लम्बे-चौड़े एलान किए कि हम राजस्थान में ज्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं पर वास्तव में यह हालत हो रही है कि सदन में अपने को बनाने के लिए, सदन के विरोध का सामना करने के लिए,सदन के प्रारम्भ होने से २ दिन पहले इसने कानून बनाया कि जिससे वह कह सके कि वह यह कर रही है प्रान्त के कोने २ से असन्तोष लेकर आने वाले सदस्यों को दिलासा दे सकें। पर यह सरकार यह यकीन रक्खे कि अब इस तरह की धोखे की बातें नहीं चलने वाली हैं अब अधिक दिनों तक धोखे में नहीं रखा जा सकता । आप ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे इससे तो लोगों को मजबूर होकर इस सरकार को ही हटाने के लिए बाध्य होना पड़े, शायद लोग इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दें ।

सबकी इतनी तीव्र भावनाएं होने के बाद इतनी मांग करने के बाद, आधा घन्टा विवाद करने के बाद भी आप इस समस्या पर विचार करना नहीं चाहते । क्या दिक्कत है आपको ? क्या कठिनाई है इसमें आपको ?

श्री अध्यक्ष : सभी कहां कह रहे हैं ? आपकी पार्टी के नेता भी नहीं कह रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उनको दिक्कत नहीं है उन्होंने ऐतराज नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी क्या चाहती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही चाहती है कि अभी बहस हो । आप मेरी पार्टी को गलत क्यों समझते हैं ? मेरी पार्टी के नेता ने यह नहीं कहा कि अभी बहस न हो । वह तो सरकार की इनकारी है, उसकी लाचारी है, उसके पास आंकड़े नहीं हैं खाद्य के बारे में उनके पास सूचनाएं नहीं हैं । प्रशासन तन्त्र उनका सजग नहीं है इसलिए वे डरते हैं आज बहस करने से ।

श्री अध्यक्ष : अगर आपकी इच्छा है तो आधी बहस तो हो चुकी है मुझे कोई ऐतराज नही है सदन चाहे तो एक बजे तक बहस कर सकता है । पर सरकार के द्वारा तथ्यपूर्ण आंकड़ों से बहस शुरू हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा । फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आज एक बजे तक बहस कर ली जावे कल सरकार की तरफ से आंकड़े दे दिए जावें । पर विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा है

(श्री अध्यक्ष)

कि वे तथ्यपूर्ण तरीकों से बहस चाहते हैं सरकार से तथ्यपूर्ण आंकड़ों सहित वक्तव्य चाहते हैं। आप एक बजे तक बहस कर लें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्वेश्चन यह नहीं है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : इस प्रश्न को लेकर इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ दलों की तरफ से इस प्रकार का प्रचार, डिमॉन्स्ट्रेशन और दूसरी बातों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस बात को शो करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि सरकार इस प्रश्न पर चर्चा करना नहीं चाहती है, इस प्रश्न का महत्व नहीं समझती है और सरकार इसको टालना चाहती है ।

तो मैं यह बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इस पर बहस करने को टालने का कोई इरादा नहीं है ।

हम तो सिर्फ यह चाहते थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से सब मिलकर इसके लिए समय निर्धारित करदें और फिर उस तरह से बहस कर ली जावे हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Three days ..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आप चाहते हैं कि आज ही बहस होनी चाहिये तो आज भी शुरू कर सकते हैं । हमें इन्कारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह नहीं है । माननीय मुख्यमन्त्री ने समय निर्धारित करने में जो तत्परता दिखाई है यह सदन पर कोई अहसान नहीं है । सदन को अधिकार है बहस करने का । पर जब यह प्रश्न सरकार के सामने आ चुका तो आज सदन के समक्ष अपना स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया ? क्यों नहीं आज राजस्थान सरकारने सारी स्थिति हाउस के सामने रखी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पूरे विषय पर बहस करने के लिए फूड मिनिस्टर पूरे तथ्यों के साथ विस्तृत स्टेटमेंट दे और फिर सारा सदन सारी चीजों पर चर्चा करे, यह ज्यादा अच्छा है या यह कि एडजोर्नमेंट मोशन पर एक छोटा सा स्टेटमेंट देकर रह जाय यह अच्छा है ? हम चाहते हैं कि सारा इश्यू थ्रेश आउट किया जावे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहता हूं कि यह सारा इश्यू थ्रेश आउट हो और मुख्यमन्त्री होने के नाते क्या वे आज यह जरूरी नहीं समझते । जनता आज यह अपेक्षा करती है कि सरकार यह बताए कि वह किस नीति पर आचरण करने वाली है । जनता की समस्याओं का किस तरह से वह समाधान करना चाहती है । मुख्यमन्त्री होने के नाते क्या आप की भी यह जिम्मेदारी नहीं थी कि आज सर्वप्रथम किसी अन्य इश्यू को हाथ में लेने के पहले राजस्थान के अन्दर खाद्य समस्या के समाधान के सम्बन्ध मे सरकार क्या उपाय कर रही है यह बताते । वे स्वयं स्टेटमेंट देते

(श्री ... सिंह)

इस पर । क्या सरकार और मुख्य मन्त्री स्वयं इस बारे में इनीशियेटिव नहीं ले सकते थे । क्या खाद्यमन्त्री स्वयं इनीशियेटिव नहीं ले सकते थे ?

मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा नहीं करके राजस्थान के खाद्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ एक प्रकार से गैर जिम्मेदारी का व्यवहार इस सदन में प्रकट किया है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को स्वयं को इस पर एक विस्तृत नोट सदन में देना चाहिये था, पर नहीं दिया यह सरकार की सबसे बड़ी अकर्मण्यता है। इसके लिये सदन इस सरकार को क्षमा करने की स्थिति में नहीं आ सकता ।

मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के मुख्य मन्त्री सदन में खड़े होकर कह दें कि वे इस बहस के लिये तैयार हैं। मैं चुनौती देता हूं कि मुख्यमन्त्री और खाद्यमन्त्री दोनों खड़े हो जावें सदन में और मिल कर स्टेटमेन्ट दें कि पिछले दो सालों से लेकर आज तक कितना अनाज राजस्थान में आया, राजस्थान में कितनी शक्कर आई, कितना गुड़ आया, कितनी दूकानें खोली, किस प्रकार से अनाज का और दूसरी कॉमोडिटीज का वितरण किया और इन चीजों के भावों को उचित स्तर पर बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किया, क्या कन्ट्रोल किया और बाकी की उपभोक्ता वस्तुओं को किस तरह से प्राप्त कराया । यदि आप कहते है कि आपने यह सब कुछ किया है तो मैं कहूंगा कि यह आपके दिमाग में होगा, कागजों में आपने किया होगा, मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि कागज देखने की आवश्यकता नहीं है आप दोनों के दिमागों में क्या चित्र आप रखकर चलते हैं, वह सदस्यों की जानकारी के लिए यहां रखिये । हम तैयार है इस बहस के लिये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जैसा अध्यक्ष महोदय का निर्णय है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ११ बजे मिल कर इस समस्या के बारे में समय नियत करेगी और तब जो कुछ भी आपको बातें कहनी हैं वे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठकर नियम पूर्वक कह सकते हैं । तब बहस हो तो वह मेरे खयाल से उचित होगा और उभय पक्ष में ठीक होगा । तो यह आपके विचार के लिये नम्रता पूर्वक मैंने निवेदन कर दिया है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : विरोधी दल के नेता की ओर से....

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सदन में जिस तरह से इस मामले पर जोर दिया गया और एक पर्टीक्यूलर पार्टी की तरफ से जिस तरह कोई बात कही गई, मैं समझता हूं कि इधर के लोग जो चुपचाप बैठे हैं उनके लिये उनका यह इम्प्रेशन है कि इस समस्या के बारे में उनसे कम हमें चिन्ता है तो मैं समझता हूं कि यह उनका बड़ा गलत ख्याल होगा ।

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

पर साथ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर सदन में सीरियस नेस होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है उससे सही ढंग से हम जिम्मेदार लोगों की तरह यहां बहस करें और सरकार को किसी तरह से पर्सुएड करके या जो कुछ भी करके, इस समस्या के समाधान की दिशा में प्रयत्न करें। पर यह करने के बजाय एक वातावरण बनाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं और कहते है कि हम रेजिस्ट करेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे इस तरह से कुछ लोग जो सदन में जोर से बोल कर चेयर की व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करके कुछ करना चाहते हैं वह उचित नहीं है।

एक माननीय सदस्य : गलत है।

मैं कहता हूं इधर की पार्टी वाले इस सदन की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं और उन लोगों को पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिये कि इस सदन को ठीक तरह से चलाना है या नहीं....

एक अन्य माननीय सदस्य : चलाना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इस सदन के अन्दर जनता की जो दुख और पीड़ा है उस पीड़ा और दुख के ऊपर जो अपनी बाटियां सेक कर खाना चाहते हैं उनका मुंह बंद करना चाहिए और उसके बाद में सही तौर पर बहस आज हो या कल हो वह होनी चाहिए। जिस तरह से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमेशा से करती आई है इसके लिए एक नहीं दो दिन रखे जायें। यही नहीं बल्कि पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी इसका निराकरण किया जाये।

कुछ लोग अधिक दुखी हैं, हम भी आंख से देखकर आये हैं, हमको भी उसके लिए दुःख है। लेकिन सब काम तरीके से होते हैं। इस तरह से जो यहां पर प्रयत्न किये जाते हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे शुबहा होता है कि आज भी आप खेल करना चाहते हैं जो कि आपके लिए XXXX है और कर्त्तव्यच्युत करने वाला है।...........

श्री अध्यक्ष : यह XXXX शब्द उपयुक्त नहीं है, इसको प्रोसीडिंग्ज से हटाया जाये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय के ऊपर चर्चा चल रही है उसमें राजनैतिक दृष्टिकोण कतई नहीं है, मगर मेरे साथी ऐसा समझते है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि यह बात इसमें कतई नहीं है, बल्कि यह न्यायसंगत बात है। सदन के अन्दर स्थगन प्रस्ताव आज से करीब ४ दिन पहले भेजा गया। क्योंकि मैंने खुद ने भेजा है और सारी परिस्थिति को देखते हुए कि यह विषय बहुत महत्व का है और सरकार के पास पहुंच जाये और सरकार इसके ऊपर विचार कर सके इसलिए मैंने यह स्थगन-प्रस्ताव ४ दिन पहले ही भेज दिया था। कल भी क्योंकि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की थी उस दिन भी इस पर चर्चा नहीं की गई और इस तरह से कल का दिन भी सरकार को मिला, जबकि

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री मुरलीधर व्यास)

एडजोर्नमेन्ट मोशन पहले से ही मौजूद था। कल का दिन मिला और इसके बावजूद भी सरकार इतने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जबकि राज्य के अन्दर, देश के अन्दर महीनों से ऐसी बुरी स्थिति है और यह स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है उसके बाद भी सरकार स्टेटमेन्ट नहीं दे सके, सरकार-सरकार की तौर से बैठने में अयोग्य हैं, ऐसी स्थिति में भी कि सरकार के पास कोई स्टेटमेन्ट देने को नहीं है। अगर स्टेटमेन्ट तैयार है तो मैं समझता हूं कि उनको दे देना चाहिए। अगर नहीं है जैसा कि वे कहते है ठीक ढंग से आंकड़े निकाल कर देने की व्यवस्था की बातें की जाती हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे यही होता है कि स्थगन-प्रस्ताव इतना जल्दी आने के बाद भी उसको आप महत्व नहीं देते और वह भी इन परिस्थितियों के बीच में जबकि सब जगह अनाज की भयंकर स्थिति हो रही है, उसकी लूट हो रही है, लोग परेशान होते हैं और आपको ४ दिन के पहले स्थगन-प्रस्ताव भेज दिया जाये और आपके पास आंकड़े न हों, स्टेटमेन्ट देने को नहीं हो तो फिर यह सरकार किस बात की सरकार है? आप इसको इस तरह से क्यों लेते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। हम तो न्याय के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि यह सवाल महत्वपूर्ण है और अगर सरकार अपनी तरफ से स्टेटमेन्ट नहीं देती है तो सरकार खुद बदनाम होती है और विरोधी दल के नेता ने जैसा कहा वह माननीय स्पीकार महोदय की तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा है कि आंकड़े उनके पास नहीं हैं। सरकार खुद कहती है कि हमारे पास इस तरह की कोई चीज नहीं है। अगर सरकार कहती है तो सरकार का निकम्मापन इससे ही जाहिर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने बड़े जोश के साथ में विरोधीदल कोxxxx भी कह दिया मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप खुद किशनगढ़ के इलाके में जले जाइये, वहां अनाज मिल रहा है क्या? आप यह कहते हैं कि विरोधीदल के लोगXXXX हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग आप करते हैं तो यह कोई ठीक परम्परा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब आप खुद महसूस करते हैं कि हालत खराब है तो वहां सदन में आपको तैयार होकर आना था। यहां मकसद सिद्धान्त का है। आपको टाइम मिला है। अगर इन परिस्थितियों में सरकार डिले करती है तो सरकार खुद अपना निकम्मापन साबित करती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर पहले आपको स्टेटमेन्ट देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्टेटमेन्ट दिया है कि अगर बहस आज हो जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। विरोधी पक्ष के नेता का यही सुझाव है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार किया जाये, लेकिन काफी बहस इस समय हो चुकी है, चर्चा चल रही है। इसलिए माननीय विरोधी पक्ष के नेता से कहूंगा कि वह मेरी बात स्वीकार करलें। आज ही इस पर बहस शुरू कर लें और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

(श्री अध्यक्ष)

भी इसको तय कर लें कि इसका जवाब कब दिया जाये। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर माननीय सदस्य चाहें तो बहस अभी कर सकते हैं, लेकिन सरकार का उत्तर कब होगा यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर देगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से पहले स्टेटमेन्ट आना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेन्ट दो दफा स्टेटमेन्ट दे सकती है। एक तो अभी और दूसरी बहस होने के बाद।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय तो सर्वमान्य होगा ही, लेकिन सरकार की तरफ से कोई न कोई पहले स्टेटमेन्ट हो और उस स्टेटमेन्ट के ऊपर बहस हो तब तो कोई सार्थक बहस भी हो सकती है, नहीं तो बिना सिर पैर के बहस करना है। लेकिन माननीय सदस्य जो मेरे बाईं ओर बिराजमान हैं उनसे मैं करबद्ध यही निवेदन करूंगा कि इस पर ठीक से और व्यवस्थित रूप से बहस हो तब तो वह सार्थक है वर्ना यह व्हिपिंग दी डैड होर्स के समान होगा। मेरा पुनः यही निवेदन है कि सरकार को ही बाध्य किया जाये कि वह एक स्टेटमेन्ट पहले दे और उस स्टेटमेन्ट के बेसिस पर बहस हो तो तो ठीक होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट की तरफ से जो भी डिसीजन्स इस बीच में लिये गये, वह गवर्नमेन्ट को खास तौर पर फूड मिनिस्टर को एक्सप्लेन इस हाउस में करने चाहिए या जितनी भी उनकी जानकारी वगैर रेकार्ड के है वह सदन को देना चाहिए। मेरे ख्याल से उनकी तैयारी भी होगी क्योंकि जैसी स्थिति डवलप हो रही है उसकी गंभीरता को गवर्नमेन्ट ने खुद ने भी माना है बयानों में और जिस तरह से केन्द्र में मीटिंग हुई उसमें भी। इसलिए हम समझते हैं कि गवर्नमेन्ट के पास कुछ तथ्य अवश्य हैं। अगर कुछ अधूरे हैं तो जबाब देते समय पूरी इन्फोर्मेशन दे दें, इसलिए ठीक बहस शुरू होने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि फूड मिनिस्टर साहब इस पर पहले अपना बयान दें। पिछली असेम्बली स्थगित हुई थी उसके बाद जो डवलपमेन्ट्स हुए हैं, नये नये गवर्नमेन्ट ने कदम उठाये हैं उनके बारे में सारी स्थिति रखें और हम अभी बहस करने के लिए तैयार हैं और फिर इसके लिए कितना समय रखा जाये यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर देगी।

श्री हीराभाई (कुशालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस शुरू करने के पहले........

श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कौन से सुझाव माननीय सदस्य ने दिये, उनका निराकरण करने की दृष्टि से कौन से सुझाव आये जिनके आधार पर यह कहा जाये........

Page No.74

(अध्यक्ष)

श्री रामानन्द अग्रवाल : The Sound system is not proper today.

श्री मानसिंह महार : Not audible.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसी परम्परा के पालन करने के लिए जो नियम बने हुए हैं, उसके आधार पर हमको कार्य करना चाहिए। हम यह याचना करते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि राज्य पक्ष की ओर से इस सारी समस्या के ऊपर प्रकाश डाल जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह कतई मन्शा थी कि खाद्य का जो प्रश्न आज सारे देश में है और राजस्थान जिसका एक अंग है उसमें भी यह है। जैसे कल मुलाकात हुई थी और आपने इन सारे स्थगन प्रस्तावों की कॉपियां मुझे दी थीं और आपके हुक्म से ही यह तय हुआ था कि इसके लिए एक दिन, दो दिन का समय निश्चित करेंगे और उसके ऊपर एक तरीके से सदन में होगी। मैं चाहता था और शुरू में सदन के कई माननीय सदस्यों की यह राय थी कि बिजनेस एडवाइजर कमेटी में इस मामले को सोच कर समय इसका निश्चित कर लिया जाये, पर फिर जैसा कि सदन की दूसरे पार्टीयों के कई माननीय सदस्यों ने राय जाहिर की कि सरकार ने पहले काफी लम्बी-चौड़ी बातें कहीं और इस तरीके से कहीं कि मैं उन बातों में नहीं पड़ना चाहता कि न यह इतना अहम विषय है कि आज ही इस विषय को चालू किया जाना चाहिए और जैसा कि सदन के माननीय नेता ने फरमाया और भी कई पार्टीयों के माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार को इसकी शुरूआत करनी चाहिए। मैं अभी भी इस बात की तैयारी रखता हूं कि अगर आपकी आज्ञा हो जो इस विषय पर स्वयं सरकार की तरफ से गत सदन के बाद में इस समस्या को हल करने के सिलसिले में जो कदम उठाये गये हैं और उसके जो परिणाम सामने आये हैं और उसके बावजूद आज और कितनी ही समस्यायें उलझी हुई हैं, उन सब बातों का चित्र सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखूं। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है।

मैं आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि उस दिन की जब हमने सदन के आखिरी दिन में जब कि हम जा रहे थे तो फूड लाइसेंसिग ऑर्डर के बारे में हमने यहां पर वाद-विवाद किया था। मैं उस याद को ताजा करवाना चाहता हूं कि यह फूड लाइसेंसिग ऑर्डर जिसका कि पैटर्न सेन्टर ने बनाकर हमारे देश के अन्दर अलग-अलग राज्यों के सामने रखा है, वही है। उसी पैटर्न के ऊपर राज्य सरकारों ने विचार किया और अपनी कन्डीशन्स के आधार पर उस मौडल को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों में नया फूड लाइसेंसिग ऑर्डर बनाया। हमारा जो पुराना फूड लाइसेंसिग ऑर्डर था उसमें और इस नये फूड लाइसेंसिग ऑर्डर के काफी प्रावधानों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चेन्जेज हैं और उन चेन्जेज पर काफी तौर से इस सदन में डिस्कशन किया जा चुका है। उसके बाद सदन के माननीय सदस्यों को कई दफा अखबारों में पढ़ने को मिला। कई लोगों ने कहा और आज भी कह रहे हैं कि उसमें उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो कि आज व्यापार का काम करते हैं और अनाज का धन्धा करते हैं, चेन्जेज किये गये हैं। मैं उन सारी स्थितियों को आपके सामने साफ करना पसन्द करूंगा।

जो फूड लाइसेंसिंग ऑर्डर हमारे राजस्थान में बना और जो कि अप्रेल के महीने से लागू हुआ उसके बारे में दो मुख्य विवाद थे। एक तो उस विषय को लेकर था कि सिक्योरिटीज बिल्कुल लागू नहीं होनी चाहिए और यदि लागू की जानी चाहिए तो उसको बोण्ड्स में या दूसरे तरीकों से उस सिक्योरिटी को लेना चाहिए, बैंक गारन्टी के रूप में लेना चाहिए। काफी विवाद उस समय भी हुआ था और सरकार ने यह कहा था कि सिक्योरिटी के प्रावधान को हम रखेंगे और केश में रखेंगे और अलबत्ता उसमें कितना आंकडा होगा उसकी अलग मदों के अन्दर जो कि रिटेल डीलर्स होंगे उनके लिए ढाई सौ क्विन्टल का जो बिजनेस करेंगे उनके कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे।

(१०.५३. म. पू.)

[श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन]

होलसेलर्स से ५८० क्विन्टल के अन्दर वालों से सिक्योरिटी नहीं रहेगी और इसके बाद में ऊपर जो करीब १ हजार क्विन्टल तक का धन्धा करेंगे उनसे ढाई सौ रुपये की सिक्योरिटी लेंगे और उनसे ऊपर वालों से ५००) रु० की सिक्योरिटी होगी। यह सारा चेन्ज भी इस सदन के द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया था। उसके बाद कोई रद्दो-बदल इस पहलू में नहीं किया गया। लाइसेन्स सब लोगों ने लिया। कैश सिक्योरिटी देकर लिया। हमने कहा था कि कोई रिलेक्सेशन सदन के बाद में नहीं किया जायेगा।

दूसरा मुख्य विवाद का विषय उसमें यह था कि फॉर्म बी की क्लॉज (सी) जिसमें यह था कि होलसेल ट्रान्जेक्शन एक दफा करे और बाद में होलसेलर को अपने ट्रान्जेक्शनस रिटेलर के मारफत ही करना पड़ेगा। यानी ट्रान्जेक्शन्स के हमने इस धारा के अन्दर रेस्ट्रिक्शन्स रखे थे, हालांकि इस धारा को हिन्दुस्तान की कई स्टेट्स ने जिस रूप में हमने लागू किया उस रूप में लागू नहीं किया और उसके बाद काफी रिप्रेजन्टेशन्स व्यापारियों के इसके बारे में हमारे सामने आये। कई रिप्रेजेन्शटेन्स आये कि प्रेक्टिकल रूप में इस पर अमल करने में कई प्रकार की बाधाएं हो रही हैं। उसके बारे में जो कुछ किया गया उसकी जानकारी मैं आपकी मारफत सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखता हूं।

धारा ६ के अन्दर यह प्रावधान था कि होलसेलर के द्वारा खरीदने के बाद वह इलाके के रजिस्टर्ड रिटेल डीलर्स हैं उन्हीं के

Page No.76

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मारफत काम करेंगे। पर अभी जो मौजूदा स्थिति थी, ट्रेड के बारे में जो चैनल्स थीं, खास तौर से ट्रेड के कई मंडियों में पैटर्न हैं कि किसान मंडियों में नाज को लेकर आते हैं उस नाज को सबसे पहले जिसको कि हम अच्छा आड़तिया कहते हैं, वह नाज की बोली लगवाता है और नाज की बोली लगवाकर उसका पेमेन्ट किसान को करता है और वह उसी वक्त नाज को होलसेलर को अपनी बारह आना व एक रुपया आड़त लेकर बेच देता है और रुपया लेकर वह रोज का अपना आड़त का धन्धा चलाता है। इस प्रकार से इसकी टर्मिनोलॉजी में जो कच्चा आड़तिया है वह एक प्रकार से होलसेलर हो गया, क्योंकि ट्रान्जेक्शन पूरा हो जाता है। किसान को वह खुद पेमेन्ट करता है और खुद खरीदता है। इस तरह से वह होलसेलर बन जाता है, हमारे कानून की धारा ६ के मुताबिक। कच्चे आड़तिये पर अगर हम इस धारा को उसी रूप में लागू करें तो स्वयं को आगे रिटेलर की मारफत बेचना चाहिए। कच्चा आड़तिया एक छोटा आदमी होता है। वह एक लिमिटेड पूंजी से काम करता है। उसको होलसेलर मानकर वह रिटेलर की मारफत धन्धा करे तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही थी, उसी आड़तिये को होलसेलर बनाकर रिटेलर की मारफत बेचने को कहें तो प्रेक्टिकल डिफिकल्टी के रूप में ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of clearification, Chairman, sir. मैं सम्मानीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये फेक्ट्स सरकार के सामने उस समय नहीं थे जब कि सम्मानीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि सब में रिलेक्सेशन कर सकते हैं, लेकिन नाइन सेक्शन में कोई रिलेक्सेशन नहीं देने वाले हैं। यह सोलेम प्रोमिज किया था तब यह फेक्ट्स जो अब नोटिस में आये हैं तब सरकार के नोटिस में नहीं थे क्या ? क्या ये अब बाहर से आए हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह बिलकुल सही है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस तरह की बहस सदन में हुई थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : बहस हो चुकी है। अभी जो स्थिति है वह मैं बताना चाहता हूं। आपने कहा कि मैं शुरू करूं और अब सब प्रश्न करना शुरू कर देंगे तो मैं जिस स्थिति को रखना चाहता हूं कैसे रख सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वास्तविक तथ्य रखें।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of order sir.

श्री सभापति : There is a point of order please.

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें आपकी राय क्या है, वह मैं फिर सोचूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : On a point of order, sir. यह आप खाद्यस्थिति बता रहे हैं क्या ? फूड ग्रेंस लाइसेन्सिंग ऑर्डर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के बारे में सुनने के लिए हमने दो घन्टे का जद्दो-जहाद नहीं किया था। यह जो इतनी लम्बी-चौड़ी बहस की है वह खाद्यस्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए की है और अपने विचार देने के बारे में की है। आपने फूड ग्रेंसलाईसेन्सिग ऑर्डर की किस क्लॉज में क्या किया और क्यों किया, यह बहस सुनने के लिए हमने दो घन्टे बराब नहीं किये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहस खाद्य स्थिति पर की जाय, न कि फूड ग्रेंस लाइसेंसिग आर्डर पर।

श्री सभापति : It is not the point of order. आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वह ध्यानपूर्वक सुन लें। I rule this point out of order.

श्री मानिकचंद सुराणा : स्टेटमेंट इर्रेलेवेन्ट है। This is irrelevant.

श्री सभापति : There is a lot of relevancy.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं सारी स्थिति माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहता हूं। आज की फूड की स्थिति के बारे में कहलाना चाहते हैं तो मैं ५ सेंटेंस में ही खत्म कर दूंगा तो क्या फायदा होगा? इस फूड ग्रेंस ऑर्डर को लेकर तमाम जो डवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में मेरी जो जानकारी है वह आपके सामने रखना चाहता हूं।

यह सारे सदन की मंशा थी, क्या डवलपमेन्ट्स हुए हैं, उस सत्र से आज दिन तक उन सबके बारे में कहूं, इसलिये मैं उन सब बातों के बारे में मेमोरी रिफ्रेश कराना चाहता हूं। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, धारा इस में लगाई। कच्चे आड़तिये जो थे उनके बारे में हमने कहा कि इनकी होलसेलर्स की डेफिनेशन में नहीं लें। गांवों में ये छोटे महाजन किसानों से सीधा धान खरीदते हैं और उनको पेमेन्ट करते हैं उनके बारे में हमने कहा कि इनको होल सेलर नहीं मानेंगे और उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया कि वे एक साथ १८० क्विन्टल से ज्यादा अनाज अपने पास नहीं रख सकते इसलिये उनको तुरन्त मन्डी में पक्के होलसेलर्स के पास अनाज भेजना पड़ेगा। कहने का मतलब यह था कि कच्चे आड़तिये और महाजन जो होल सेलर्स में आते थे वे माल एक साथ अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनकी पूंजी सीमित होने से उनकी क्षमता नहीं थी। नोरमली उनको हम फूड के कानून से रिमूव नहीं कर सकते थे इसलिये यह कहा कि इनको होलसेलर की डेफिनिशन में नहीं मानेंगे, लेकिन होलसेलर के पास पहुंचाने वाले आदमी मानकर चलेंगे। सिवाय इसके इस कानून में किसी प्रकार का रिलेक्सेशन नहीं दिया है, न देने की इच्छा है। इस बात को हमने हमेशा व्यापारियों से कहा है, जनता से कहा है। इस वजह से यदि हमें माननीय सदस्य इसके लिये जिम्मेदार मानेंगे तो जब उनको बोलने का अवसर मिले तब कहने का उनको अधिकार है........

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : On a point of information.

Page No.78

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इन्फोर्मेशन बाद में ले लें । यदि एक एक आदमी इन्फोर्मेशन मागेंगे........

श्री मोहन लाल सारस्वत (रतनगढ़): फिर ये भूल जायेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं भूलूंगा नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर प्रश्न चल रहा था कच्चे और पक्के आड़तिये का और इसमें मिनिस्टर महोदय को कन्फ्यूज़न हो रहा है । एक कच्चा आड़तिया है वही होल सेलर भी हो सकता है और होलसेलर कच्चा आड़तिया भी हो सकता है । कच्चा आड़तिया उसी दिन पेमेन्ट लेता है । इसलिये आप होलसेलर और रिटेलर और कच्चा आड़तिया कह कर कन्फ्यूज़न में न डालें; होलसेलर भी कच्चा आड़तिया हो सकता है और रिटेलर भी हो सकता है; इसलिये आप जो फरमा रहे हैं कच्चा आड़तिया और होलसेलर के बारे में, उसमें मैं समझता हूं आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा है कि माननीय सदस्य कहेंगे उसके बाद में फिर स्पष्टीकरण कर दूंगा । इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि कोई रिलेक्सेशन नहीं किया है । जो कुछ किया है होलसेलर की डेफिनिशन

श्री मोहनलाल सारस्वत : करप्शन की बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : करप्शन हुआ है तो बाद में कह लीजिये ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : ये भी करप्शन में शामिल है, इसलिये शायद इनको पता है

(व्यवधान)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके सिवाय किसी भी प्रकार का रिलेक्सेशन कानून में जिसे माननीय सदस्यों ने पास किया है, नहीं किया है । इसके अलावा राजस्थान के १३ जिलों में अकाल की स्थिति थी, ५ हजार गांवों में फेमिन रिलीफ वर्कस काफी बड़े पैमाने पर चल रहे थे, नाज की स्थिति जिस प्रकार की होनी चाहिये थी, नहीं हुई । रबी की फसल आने के बाद राजस्थान में खरीफ और रबी का टोटल उत्पादन इस साल पल्सेज़ और ओइल सीड्स को अलग निकालने के बाद नोरमली ४४ लाख टन या ४२ लाख टन करीब होता है वह इस साल ३२ लाख टन हुआ । दो लाख टन चावल और जोडें तो १०-११ लाख टन उत्पादन नोरमल से कम हुआ । पिछले चार-पांच सालों का औसत लेते हैं तो उससे १०-११ लाख टन कम उत्पादन इस साल हुआ । राजस्थान अलग वीट जोन ..

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राम भी शामिल हैं क्या इसमें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां जी, सब शामिल हैं । राजस्थान में उत्पादन कम हुआ ।

रबी की फसल के बाद हिन्दुस्तान के ७-८ दूसरे प्रदेश और राजस्थान वीट जोन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

घोषित हुए हैं। यह तय हुआ कि वीट जोन के प्रदेशों का गेहूं वहीं पर स्टोर रहेगा बाहर नहीं जायगा। इससे यह समस्या हल हो गई। राजस्थान में १०-११ लाख टन गेहूं होता है वह इस साल ७ लाख टन हुआ। इस प्रकार नोरमल उत्पादन के हिसाब से वीट में ४।। लाख टन की कमी हुई, लेकिन जोन बनने से यह कमी पूरी हो गई। जो गेहूं हुआ वह राजस्थान में ही रहा और आज भी मौजूद हैं। चोरी-छिपे कुछ गया हो तो उसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन वीट राजस्थान का अधिकांश राजस्थान में ही रहा।

इसके बाद दूसरा प्रश्न उत्पन्न हुआ ग्राम और बार्ले के बारे में। यह प्रश्न पिछले सत्र के बाद सामने आया तो हमने तुरन्त राजस्थान की स्पेशल समस्या को भारत सरकार ने सामने रखते हुए उनसे कहा कि राजस्थान में एबनोर्मल कन्डीशन्स हैं, खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ है, स्केर्यसिटी और फेमीन की कन्डीशन हमारे यहां पर है इसलिये आप महरबानी करके स्पेशल कन्सीडरेशन कीजिये। हमारी बात पर भारत सरकार ने गौर किया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका परिणाम था ग्राम, बार्ले एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर के रूप में जो आज भी राजस्थान में लागू है। राजस्थान के बारे में निर्णय लिया कि जितना चलना राजस्थान में उत्पन्न हुआ है उसका ३३ परसेन्ट चना जो होलसेलर खरीद कर इकट्ठा करेंगे उनको अपने स्टॉक का ३३ परसेन्ट राजस्थान के बाहर भेजना पड़ेगा, यह व्यवस्था इसलिये की गई कि हिन्दुस्तान के कई इलाके; जैसे मद्रास साउथ, सेन्ट्रल इंडिया आदि हैं वहां पर चने की सप्लाई पंजाब और राजस्थान से होती है इसलिये उन्होंने कहा कि इसके एक्सपोर्ट को बिल्कुल बान करना हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों में समस्या पैदा करेंगे, इसलिये ३३ परसेन्ट खुला रखना पड़ेगा और जो होलसेलर स्टॉक करेंगे उसका ६६ परसेन्ट रिटेलर्स को मारकेट में धारा १० की तहत बेचना पड़ेगा।

उसके साथ ही बार्ले (जौ) के बारे में यह व्यवस्था की गई कि कुछ इलाकों में जौ का उत्पादन होता है और वहां के लोगों का मुख्य खाना भी जौ है। इसके अलावा जौ मिलिटरी की नेसेसिटी की चीज है और यह पिछले ५-७ सालों से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, इसके बावजूद भी भारत सरकार ने हमारे यहां की स्थिति पर विचार करके यह छूट दी कि जो होल सेलर जौ का स्टॉक बनायेंगे उसका २५ परसेन्ट एक्सपोर्ट करने की उनको इजाजत है और यह जरूरी भी हैं इसलिये कि मिलिटरी की नीड्स है और दूसरे प्रकार की नीड्स को भी मीट करना जरूरी है, इसलिये २५ परसेन्ट जो आज जो राजस्थान मे होलसेलर स्टॉक बनाते हैं उसमें से बाहर भेजना पड़ता है और बाकी रिटेल एजेन्सीज़ की मार्फत इस कन्ट्रोल ऑर्डर के नीचे बेचना पड़ता है। इसलिये यह कहना कि राजस्थान के बारे में हमें चिन्ता नहीं थी, सही नहीं है। यदि हमें चिन्ता नहीं होती तो भारत सरकार ऐसा एटिट्यूड नहीं लेती और हम भी भारत सरकार के पास नहीं जाते। भारत सरकार के सामने यहां की विषम

Page No.80

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्थिति रखी गई। चीफ मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें सारे देश की स्थिति के बारे में विचार किया गया है। इसलिये सरकार को इस बारे में चिन्ता है।

हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री ने ज्यों ही चार्ज लिया....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप यह बता दें कि आपने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किये ३३ पर्सेन्ट और २५ परसेन्ट इन सबके बावजूद राजस्थान से कितना कोर्स ग्रेन और कितना व्हीट अब तक एक्सपोर्ट किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास इस वक्त स्टेटमेंट मौजूद नही है। वैसे मेरे पास सारे आंकड़े मौजुद हैं जिन्हें मैं आपको दे सकूंगा। मुझे पता नहीं था कि आज ही मुझे बहस शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं स्टेटमेंट लेकर आ जाता। जितनी जानकारी दिमाग में है और जो मुझे याद है उतनी आपको दे दूंगा और बाकी के आंकड़े फिर रखने की कोशिश करूंगा।

पहले मैं उस पहलू पर आऊंगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) मक्का और ज्वार के बारे में क्या स्थिति थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मक्का और ज्वार के बारे में भी बताऊंगा। वह स्टेज आयेगी तब मैं बताऊंगा कि हमने क्या प्रयत्न किये। उस समय सारी चीजें आ जायेंगी।

उसके बारे में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) आपने दस लाख टन की शोर्टेज बताई....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप शांतिपूर्वक सारी बात सुन लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसमें से इम्पोर्ट कितना हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इम्पोर्ट तो इस साल मे कुछ हुआ नही है क्योकि व्हीट बाहर से यहां आ नहीं सकता, दूसरे ग्रेन राजस्थान के बाहर जा रहे हैं, राजस्थान मे इम्पोर्ट नहीं हुए। अगर हुए हैं तो बहुत लिमिटेड हैं और वह दूसरी चीजों के रूप मे हैं, इस फूड ग्रेन के मामले मे नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फोरिन ग्रेन्स को इन्कलूड करके मैं कह रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : फोरिन ग्रेन्स के अन्दर इम्पोर्ट किया है। उसके मन्थ वाइज जो आंकड़े हैं मैं आपको बता दूंगा। फोरिन व्हीट कितना कितना भारत सरकार से आया है इसके हर मन्थ के आंकड़े हैं। कितना अलॉटमेंट हुआ है और कितना आया है उसके आंकड़े मैं बता दूंगा। इस वक्त मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

Page No.81

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपके पास डिपार्टमेंट, है आप आंकड़े मंगवा लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मंगवाने का कहां मौका मिला ? आपने कहा कि तुरन्त चालू कीजिये । मंगाने का वक्त कहां मिला ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आंकड़े नहीं हैं तो बहस क्या होगी ? अगर डेफिसिट एरिया है तो अभी तक आपने क्या किया ? क्या आपने भारत सरकार को एप्रोच की, कोई सब्सिडी मिली ? क्या बाहर से खाद्यान्न मंगाने की व्यवस्था है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा हूं, इम्पोर्टेड व्हीट का सिलसिला आयेगा तब इसके सम्बन्ध में कहूंगा । अभी तो जो फूड ग्रेन्स के स्टॉक की कमी है, किस तरह के रेस्ट्रिक्शन करने हैं कि कैसे ज्यादा राजस्थान को रखना है; क्या व्यवस्था की है, इस सबकी आउट लाइन रख रहा हूं ।

उसके बावजूद जब हमारे राजस्थान के अन्दर फूड ग्रेन्स की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास में एकमात्र रास्ता खुला रह गया है क्योंकि व्हीट जोन्स बन गये हैं और दूसरे प्रान्तों से खरीद कर ला नहीं सकते, तो राजस्थान के अन्दर कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमको भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया (विराम)

अभी मेरे सामने फूड कमिश्नर सारे आंकड़े लेकर आ रहे हैं। जब तक जो मुझे याद है वह मैं रख देता हूं ...

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपके आंकड़े आ जायं तब तक आधा घंटा के लिए रिसेस कर लें । आप आंकड़े देख लें....

श्री नाथूराम मिर्धा : रिसेस करने से फायदा नहीं होगा । मैं बहुत काफी बातें ऐसी बताऊंगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिना आंकड़े देखे हुए बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो माननीय सदस्यों को मालूम होनी चाहिए ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आधा घंटा रिसेस कर लें । इतने में आप आंकड़े देख लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्यों को उदार होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी इच्छाओं की रेस्पेक्ट करने के लिए मैं तुरन्त....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हमारी इच्छा नहीं थी कि आप बिना आंकड़ों के बोलें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिना आंकड़ों के नहीं बोलूंगा । जो आंकड़े मैं दूंगा वे सही दूंगा । सब आंकड़े मेरे दिमाग में नहीं, मैं

Page No.82

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं रख सकता, जितने आंकड़े मेरे दिमाग में याद है बोलूंगा।

इसलिए....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय....,

श्री नाथूराम मिर्धा : इम्पोर्टेड व्हीट आने के साथ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करना चाहता हूं ...

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आंकड़े पेश नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आप तथ्य भी गलत रख रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं गलत तथ्य नहीं रख रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप आंकड़े देख लें और विचार कर लें।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपका रोड़ा करने का विचार हो और रोड़ा करके ही जाना चाहें तो वह दूसरी बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरे पास तथ्य मौजूद है।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपकी बात को हमने चुपचाप सुना है। हमारी बात को आप सुनेंगे नहीं और कहते चले जायेंगे कि गलत है, गलत है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो आगाह कर रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा: आप आगाह नहीं करें। मैं काफी आगाह हूं।

मैं निवेदन कर रहा था, इस प्रकार भारत सरकार ने हमारी इन मांगों को, इन मुसीबतों को सामने रख कर सहानुभूति का एटीट्यूड लिया है। उसी का परिणाम था कि ग्राम-बार्ले का ऑर्डर राजस्थान में लागू हुआ। इस वजह से काफी बचत हुई और इसकी वजह से ही काफी बार्ले और ग्राम राजस्थान में है और काफी मात्रा के अन्दर होने से मुसीबत के दिनों को निकालने के लिए सहायक हो रहा है।

दूसरा रास्ता हमारे पास फूड प्रोब्लम को सोल्व करने के लिए हो सकता था, वह था कि भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि इम्पोर्टेड व्हीट की जितनी राजस्थान की जरूरत होगी और जितना दे सकते हैं वह देंगे........

श्री मानिकचन्द सुराणा: उसकी व्यवस्था क्या की ?

श्री नाथूराम मिर्धा: जब हमने हमारी मांग को सामने रखा कि महीने में इम्पोर्टेड व्हीट की नीड इतनी है, तो आज, मैं आपको

Page No.83

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बताऊं, राजस्थान में करीब २ लाख २५ हजार टन के लगभग इम्पोर्टेड व्हीट आ चुका है। राजस्थान में बढ़ती हुई स्केयरसिटी को ध्यान में रखते हुए........

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : यह कैसे बांटा ? प्रत्येक जिले की आबादी के हिसाब से दिया गया निष्पक्ष रूप से ?

श्री नाथूराम मिर्धा: प्रत्येक जिले के अन्दर नेसेसिटी के अनुसार फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो, जिले की प्राइसेज, वहां के लोगों की जरूरत और वहां के कलेक्टर की डिमाण्ड-इन सारी बातों को ध्यान में रख कर राजस्थान में जितना टोटल अलॉटमेंट हुआ है उसमें से अलॉटमेंट हुआ है........

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं मंत्री महोदय को अर्ज कर दूं कि जिले की जो जरूरत थी उसके माफिक एक चौथाई भी नहीं दिया गया है। माधोपुर के बारे में निश्चित रूप से अर्ज कर रहा हूं। मैं आपसे मिला हूं, कई बार मिला हूं, कमेटी में मिला हूं। वहां से जो मांग की गई है उसका एक आना भी नहीं मिला है। दूकानें खुल गई हैं, लेकिन अनाज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा: एक एक माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं तो अकेला हूं और सदन के १७५ सदस्य हैं। एक एक माननीय सदस्य बोल कर वकेरी करते चले जायेंगे तो अंत नहीं होगा।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैंने आपके नोटिस में लाने की गरज से कहा है। आपकी रिपोर्ट है कि प्रत्येक जिले को वहां की आवश्यकता के अनुसार दिया गया है--वह गलत है।

श्री नाथूराम मिर्धा: आवश्यकता का मतलब पिछले महीने में लोगों की आवश्यकता से नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पिछले महीनों में लोगों की आवश्यकता ज्यादा बढ़ी है। मैं जुलाई की बात कह रहा हूं। उस वक्त जितनी जरूरत थी, जितनी मांग थी वह नहीं दे पाये हैं। टोटल अलॉटमेंट जो मिला है वह अलॉटमेंट अभी तक आ नहीं पाया है। अलॉटमेंट आयेगा अगस्त के पहले सप्ताह........

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : जरूरत आज है और कार्तिक में अलॉटमेंट आयेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ! जो मंत्रीजी बात कह रहे हैं वह सुने तो।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मजबूरी के कारण दो शब्द कहने पड़े।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अलॉटमेंट कहां पड़ा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कांडला से लेकर खाने वाले के मुंह तक पड़ा हुआ है। कांडला से लेकर खाने वाले के मुंह तक पड़ा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कांडला से लेकर खाने वाले के मुंह तक ताल-मेल नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा: वह हुआ है। आज वही स्थिति चल रही है।

मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरा रास्ता खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए रह जाता है वह था इम्पोर्टेड व्हीट को देने का मेजर। राजस्थान के अन्दर जो खाद्यान्न उपलब्ध थे उसको लेने के बाद इम्पोर्टेड व्हीट के सिलसिले में जैसा मैंने निवेदन किया, टोटल अलॉटमेंट जुलाई के आखरी सप्ताह तक इस राजस्थान का जितना था वह था, ४७ हजार टन अनाज महीने में आ जाना चाहिए था। लेकिन ४७ हजार टन आज भी नहीं पहुंच पाया है और नहीं पहुंचने के कारण मैं एक मिनट में अर्ज करूंगा, फिर भी राजस्थान सवा दो लाख टन नाज पिछले महीने में आया है किसी महीने में १४ हजार टन, किसी महीने में २४ हजार टन, किसी महीने में ३२ हजार टन, किसी महीने २५ हजार मन आया। इस प्रकार हर महीने का जो टोटल बैक-लॉग रहा है वह मैंने निवेदन किया। राजस्थान के अन्दर ढाई लाख मन के करीब आना चाहिए। ढाई लाख टन जो आना चाहिए था वहां ४७ हजार टन का बैक लौग २२ जुलाई के आस-पास में था। वह इसलिए था कि कांडला के ऊपर जो जहाज आकर खड़ा हुआ था, उसमें से कुछ कोटा राजस्थान के लिये अलॉटेड था। लेकिन हिन्दुस्तान के दो हिस्सों की राजस्थान से ज्यादा खराब स्थिति थी-खास कर बिहार के अन्दर और गुजरात के अन्दर खाद्यान्नों की कमी थी। इसलिए स्पेशल तौर पर जो टोटल वैगन्स राजस्थान को देने के लिए तैयार थे वह इन दोनों स्टेट्स को दिये गये। भारत सरकार ने कह दिया था कि राजस्थान के लिए पचास वैगन्स रोज तो सेन्ट्रल गोडाउन्स के लिए और ७५ वैगन्स राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट के सिलसिले में लिये जायेंगे। लेकिन ७५ और ५० के बजाय क्योंकि दो स्टेट्स का प्रशर था और वहां की हालत चिन्ताजनक थी इसलिए फूड ग्रेन्स के काफी वैगन्स तीस तीस और चालीस चालीस वैगन्स जा रहे थे। इस तरह जुलाई के महीने में जहां राजस्थान को १२५ वैगन्स मिलने की बात थी वहां जुलाई के अन्दर १५-१६ तारीख के लगभग २०-३० वैगन्स के हिसाब में राजस्थान को सप्लाई चल रही थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: १२५ वैगन्स के बजाय २०-३० वैगन्स ही रह गये।

श्री नाथूराम मिर्धा: १२५ वैगन्स के बजाय २० और ३० के बीच में रह गये, लेकिन अब बिहार को बंगाल के साथ और गुजरात को बम्बई के साथ फूड के मामले में लगा दिया है। और अब १०० और १२५ वैगन्स के बीच में राजस्थान को बुक हो रहे हैं इससे हम जितना एलॉटमेंट है और बैक लॉग है उसको पूरा करने के लिए, सिवाय ६ जिलों को छोड़कर, बांट देंगे। हमारा ५१ हजार टन का जो एलॉटमेंट जुलाई के महीने का था उसको मिलाकर ४७ हजार टन का बैक लॉग था। उस सबको अगस्त १० तक हम पूरा कर सकेंगे और उसके बाद अगस्त का कोटा अभी नहीं आया है वह भी आ जाए तो जितना भी बैक लॉग है उसको पूरा कर सकेंगे। आज जो स्थिति पैदा हो रही है वह यह है कि कहीं पर ७ दिन का और कहीं पर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

५ या ६ दिन का नाज है। वहां पर हमारे दूसरे स्थानों पर जहां पर स्टॉक है वहां से दिया जाता है और राजस्थान में तीन हजार शोप्स हैं जिसमें कोऑपरेटिव की और राजस्थान सरकार की और कुछ इन्डिविजुअल्स की भी हैं। वहां पर जो हमारी व्यवस्था थी वह यह थी कि हम एक बोरी तक गेहूं देने को तैयार रखते थे उसमें परिवर्तन आ गया। क्योंकि राजस्थान सरकार के पास सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी स्टॉक नहीं है और जिलों का स्टॉक भी ५ या ७ दिन का रहा। यह दिक्कत ट्रांसपोर्ट की वजह से और कुछ दूसरी स्टेटों में हालत खराब होने के कारण उत्पन्न हुई। अब भारत सरकार भी जो सहायता दे सकती है; और रेल्वे मिनिस्टर भी जितनी सहायता दे सकते हैं देने को तैयार हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर कांडला में हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि एक सप्ताह का धान दिया जावे। ५, ७ और १० किलो अलग-अलग स्केल्स हैं। राशनिंग सिस्टम को हमने लागू नहीं किया है। मगर सुगर ने आइडेन्टीफिकेशन कार्ड्स हैं उनमें जितना वे धान लें उसका इन्द्राज कर दिया जावे। इससे यह पता लगता रहे कि कितना धान कौन किस वक्त में ले गया। ऐसा न हो कि लोग मिसयूज करें। इसलिये इस नाज को बेचने से बचाने के लिए यह कार्ड पर दिये जाने का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां स्पेशल घास की गाड़ियें, आज फर्टीलाइजर की जरूरत थी इसके लिये भी गाड़ियें चलती थीं, ट्रेंस चल रही थी, इसके अलावा कुछ दूसरी स्टेटों में फूड की कमी के कारण प्रेशर होनेके कारण हमारे यहां स्टॉक नहीं आ सका। इस कारण से हमें क्वान्टिटी कम करनी पड़ी और कई इलाकों में मैंने जैसा कहा, जितना ग्रेन एवेलेबल होना चाहिये नहीं हुआ और यह मुसीबत राजस्थान के कई गांवों में और कई जिलों में खड़ी हुई और वह काफी चिंता का विषय आपके लिए हो सकती है और हमारे लिए भी है। हम चाहते हैं कि अभी आने वाले तीन महीने जुलाई, अगस्त और सितम्बर मुसीबत के महीने हैं। इसको टाइड ओवर करने के लिए काफी मेहनत से काम करना पड़ेगा। इसके बाद तो खरीफ की फसल आ जाएगी। राजस्थान में खरीफ की फसल के लिए तालाबों में पानी आ गया है, घास हो गया है इससे लोगों की हालत में काफी सुधार हुआ है। इन दो समस्याओं में सुधार हुआ है। राजस्थान में वर्षा हुई है जिससे कई स्थानों पर तो यानी २५ परसेन्ट ऐसे स्थान हैं जिसमे बैशाक की बाजरी है। दूसरे ऐसे स्थान हैं जहां पर खरीफ की फसल बोई गई है और अब तक अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। आगे आने वाले दो तीन महीने, जो सावन का महीना है, भादवा और आसोज का महीना है, जो अभी महीने वर्षा के रह गये हैं इन दो ढाई महीनों में दो बार भी वर्षा हो जावेगी तो काफी अच्छी खरीफ की फसल पैदा होने के आसार नजर आ रहे है। अगर यह फसल अच्छी हो जाती है तो इस मुसीबत से खरीफ की फसल आने के बाद हम बाहर निकल सकेंगे।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इसलिए सभापति महोदय, व्हीटके इम्पोर्ट करने के लिये, व्हीट को लाने के लिये प्रश्न था। हमने भारत सरकार को ८०:६० हजार टन का रिक्विजिशन कर रखा है। लेकिन उन्होंने जहां तक एलॉटमेंट का प्रश्न है, एक महीने में एक लाख टन का एलॉटमेंट किया। इसके बाद कोई ५० हजार टन, २० हजार टन, इसका एलॉटमेंट किया और कुछ बैक लौग रहा। अब हमारी स्थिति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। अगर ५० हजार टन अगस्त में एलॉट हो जाता है और बैक लॉग नहीं रहता, हमारे फेयर प्राइसेज़ शॉप्स में कुछ इलाकों में धान की कमी हो, हो सकता है, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि इम्पोर्टेड व्हीट पर आज बहुत बड़ा प्रेशर है। १५, १६ रुपये मन अलग अलग स्थानों पर मिलता है, इसको ध्यान में रखकर देखें तो आज बाजरे की प्राइसेज हैं वे भी १८) और १६) रुपयें हैं, किसानों ने ज्वार २२ या २३ रुपये मन इस वक्त खरीदी है, जो अच्छे गेहूं होंगे जिनके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। अव्वल नम्बर के फार्म के गेहूं २५ या २६ और २७ रुपये मन पर मिलते हैं उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन जो शरबती व्हीट है जिसको आम लोग काम में लेते हैं उसका भाव भी आज २२) और २३) रुपये मन का है काठे और घटिया किस्म के गेहूं हैं उनका भाव आज १८) या १६) रुपये मन का है और इससे कम में वे भी नही बिकते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि इम्पोर्टेड व्हीट के मुकाबले में दूसरे गेहूं और नाजों का भाव ऊंचा है। ये प्राइसेज़ इसकी वजह से ऊंची नहीं गई। पहले यह १५) रु० से लेकर १६); १७) और १८) या १६) से ज्यादा ऊंचा गेहूं नहीं गया था उसी लेवल पर चल रहा है। यह स्थिति एक दफा जैसा निवेदन किया था कि जितना इम्पोर्टेड व्हीट तय किया गया था वह नहीं आया और हालत राजस्थान की जब गम्भीर होती हुई देखी तो जिले के कलेक्टरों ने निर्णय लिया कि कोर्स ग्रेन को रोकना चाहिये क्योंकि इम्पोर्टेड व्हीट आ नहीं रहा था। इसलिये अगर १० या २० वैगन्स जो कुछ भी धान है अगर बाहर निकल जावेगा और व्हीट बाहर से नहीं आवेगा तो स्थिति और भी खराब हो जावेगी। इसलिये कलेक्टरों ने डी. आई. आर. के नीचे बाजरा, ज्वार आदि कोर्स धान को भी राजस्थान से बाहर जाने से ५-७ दिन के लिए बान कर दिया और वह ५-७ दिन तक बान रहा।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उसमें कुछ खाद्यान्नों के सम्बन्ध में और कुछ नीतियों के विषय पर विचार किया गया कि गेहूं की मेग्जिमम प्राइस पर खरीफ का क्या प्रभाव रहा, मेग्जिमम प्राइस क्या रहे। दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था उसमें कुछ मुद्दों पर और नीतियों पर विचार किया गया खाद्यान्नों का ट्रेड है उसमें डोमिनस स्टेट का होना चाहिये और इसके लिए हमें क्या कदम उठाना है इसके बारे में कुछ विचार किये गये। वे विचार हमारे देश के खाद्य मंत्री ने देश के कोने कोने में समय समय पर कहे हैं, जो अखबारों में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

छपे हैं, माननीय सदस्यों को उनसे जानकारी होगी । वे कहते हैं कि इस "डोमिनस" स्थिति को पैदा करने के लिये राज्य सरकारें ट्रेड न करके एक कार्पोरेशन बनाई जाय, चावल जो कि हिन्दुस्तान के अधिकांश इलाकों का मुख्य भोजन है और फिर व्हीट को हाथ में लेना चाहिए। वह कार्पोरेशन सामने आने वाला है, उसका क्या रूप होगा। स्टेट वाइज होगा या सारे देश का एक ही कार्पोरेशन होगी, यह अभी भारत सरकार की केबिनेट के विचाराधीन है, उसका स्वरूप तुरन्त महीने भर में सामने आयेगा। वह देश के सामने आने पर पता चलेगा कि वह कॉर्पोरेशन कितनी पूंजी से कार्य करेगी, किस रूप में, किस उसूल से काम करेगी। उस कॉर्पोरेशन को यह अधिकार होगा कि मेग्जिमम से मिनिमम रेट्स के बीच के रेट्स पर लोगों से अनाज खरीद सकेगी, लोगों को गोडाउन का खर्चा देकर खाद्यान्नों की मेग्जिमम प्राइसेज तय करने के बारे में खास तौर से व्हीट की प्राइसेज के बारे सब स्टेट्स से फीगर्स मांगे हैं, क्योंकि आस-पास की स्टेट्स में कोरिलेशन होना चाहिये। अलग अलग स्टेट्स से राय मांगी जा चुकी हैं, क्या निर्णय हो, यह भी चन्द दिनों में देश के सामने आने वाला है। व्हीट की प्राइस रिटेल में फिक्स कर के कि इससे ज्यादा रेट पर कोई नहीं बेच सकेगा, यह निर्णय लेकर भारत सरकार राज्य सरकारों को देने वाली है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आपने कितना अनाज स्टेट ट्रेडिंग में खरीदा ? यह भी तो बता दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली): वे आंकड़े भी आ गये होंगे, वह फाइल भी आ गई होगी कि कितना अनाज राजस्थान में दोनों फसलों का पैदा हुआ, कितना राजस्थान से बाहर गया, कितना राजस्थान में बाहर से आया; अब तो वह फाइल आ गई होगी माननीय मंत्रीजी बतादें।

श्री नाथूराम मिर्धा: सब आंकड़े हैं, आप बैठिये। हमारे यहां काफी चर्चा की जाती है, सदन के बाहर भी........

श्री मुक्तिलाल मोदी: गुड़ शक्कर के बारे में फाईल आ गई होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: सब हैं, आप बैठ जाइये........

श्री मुक्तिलाल मोदी: इतना अनाज राजस्थान में पैदा हुआ, इतना राजस्थान से बाहर गया, इतना राजस्थान में बाहर से सेंटर से आया, ये आंकड़े बता दीजिये, सब पता चल जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: हां हैं, बैठ जाइये सब मिल जायगा।

राजस्थान में स्टेट ट्रेडिंग की बहुत बातें चलती हैं। सदन के बाहर और सदन के अन्दर कहा जाता है कि स्टेट ट्रेडिंग का कितने जोर से नारा लगाया, पर इस सदन के माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहा था ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप भूल जाते हैं, हम नहीं भूलते ।

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने उस समय भी कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग को नीति के रूप में नहीं अपना रहे हैं । अनाज के व्यापारियों ने हड़ताल करके जो राजस्थान के अन्दर स्थिति पैदा कर दी है एक मजबूरी पैदा कर दी है तो राजस्थान के किसानों को मजबूरी से बचाने के लिये अगर अनाज के ट्रेडिंग को हाथ में लेना पड़ा तो हम स्टेट के हाथ में लेंगे, मंडियों में आया हुआ किसानों का अनाज नहीं लौटने दिया जायगा, कीमतें निश्चित की थीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अनाज वापिस लौटा और हर मंडी से वापिस लौटा ।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपको पता नहीं है, आप बैठे, हम भी गांवों में घूमते हैं । उस फूड ग्रेन्स ऑर्डर के नीचे अनाज के व्यापारियों ने लाइसेंस लिये और काम करना निश्चित कर लिया तो राजस्थान सरकार की कतई यह नीति नहीं थी कि उनके कम्पिटिशन में खड़ा होकर ट्रेडिंग को हाथ में ले । ४००, ५०० क्विन्टल अनाज जहां तालेड़ा में व्यापारियों ने काम नहीं किया वहां फिक्स प्राइस में सरकार ने खरीदा, उसके बाद कोई ग्रेन नहीं खरीदा गया । न हमारी नीति थी स्टेट ट्रेडिंग की और न हमें जरूरत ही थी । जितनी ज़रूरत थी उतना ही करती है, आगे करती नहीं । फिर नोर्मल ट्रेड चैनल उस ऑर्डर के नीचे काम करने लग गई, वह किसानों का अनाज खरीदती है । तो स्टेट ट्रेडिंग के बारे में न बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर हमने कहा था............

श्री मानिकचन्द सुराणा: क्या ५०० क्विन्टल अनाज खरीदने की इच्छा को लेकर ही राजस्थान सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की घोषणा की थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं कहता हूं कि हमने घोषणा की ही नहीं ....

श्री मानिकचन्द सुराणा: हम स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, यह बड़े जोश और जोरों के साथ आपके योजना मन्त्री जी ने, आपने और मुख्य मन्त्री जी ने कहा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य बहुत इन्टेलिजेन्ट हैं, वे कहते हैं कि ऐसा कहा और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं कहा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने विधान सभा में आश्वासन दिया है । कि हमने अनाज खरीदना शुरू कर दिया हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर व्यापारी इस काम को नहीं करेंगे तो राजस्थान सरकार काम को करेगी; यह बात मैंने कही थी । वह करने की जरूरत पड़ती तो हम करते, वह जरूरत पड़ी नहीं इसलिये हमने किया नहीं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५०० क्विन्टल अनाज खरीदते ही सारी स्थिति बदल गई, सारी स्थिति में एक दम परिवर्तन हो गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : परिवर्तन उससे यह हुआ कि व्यापारियों ने खरीदना शुरू कर दिया, इसलिये हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तिलवाड़ा में ५०० क्विन्टल खरीद लिया तो सारी स्थिति बदल गई, यही अगर आपके सोचने का तरीका है तो खाद्य स्थिति किसी तरह से सफल नहीं हो सकती।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आप बाद में ही कह लेना, आपके हुक्म से ही तो मैं बोल रहा हूं । पहले मुझे कह लेने दीजिये ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपके पास तथ्य नहीं हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर यह बात है तो आप बता दीजिये कि मैंने ऐसी कौनसी बात कही है जिसमें तथ्य नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप इस बात को मंजूर करते है कि व्यापारियों ने आप पर प्रेशर डालकर व्यापारियों ने किसानों का अनाज सस्ती कीमतों पर खरीदा आप अपनी घोषणा के बाद भी खरीददार की स्थिति में बाजार में नहीं आये । आपकी घोषणा गर्जना थी कि किसानों का अनाज कम भावों में नहीं बिकने देंगे, उसके बावजूद भी व्यापारियों ने कम भावों में किसानों से अनाज खरीदा ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : On a point of order, sir.

एक माननीय सदस्य : On a point of order, sir.

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष : उनका पॉइन्ट ऑफ आर्डर है........

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

पहले मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि सरकार अनाज खरीदेगी, अगर व्यापारी अनाज खरीदेंगे, बाजार में भाव डाउन हो जायगा तो सरकार नहीं खरीदेगी। यह प्रस्ताव दिया है तो हम इस स्थगन-प्रस्ताव के जरिये सरकार से यह चाहते हैं कि चूंकि राजस्थान सरकार के पास ये सारे स्टेटस्टिक्स आ गये होंगे कि कितना अनाज राजस्थान मे दोनों फसलों में पैदा हुआ, उसमें से कितना अनाज राजस्थान से बाहर गया कितना अनाज सेंटर ने दिया, कितना कुल अनाज राजस्थान की दो करोड़ जनता में खर्च होना चाहिये था, कितना गुड़ आया; कितनी चीनी आई, कितना कितना वितरण किया गया, कितनी शक्कर आई, कितने चावल आये, यह सब आप बताइये, बाकी फालतू बातों से हमें मतलब नहीं है ।

नाथूराम मिर्धा : सारा स्टेटमेंट सुनिए तो सही।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : Point of order, sir. सदन के समक्ष एक एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया गया कि खाद्य स्थिति पर विचार किया जाय। जहां तक मेरी धारणा है, एडजोर्नमेंट मोशन पर डिबेट नहीं चल रही है, उसकी चेयर की तरफ से व्यवस्था नहीं दी गई है।

श्री सभापति : डिबेट चल रही है, सरकार की तरफ से यह स्टेटमेंट है, उसके बाद में बहस होगी।

श्री अब्दुल जब्बार : आया एडजोर्नमेंट मोशन एडमिट हो गया है या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : कम से कम मालूम होना चाहिए कि आया एडजोर्नमेंट-मोशन स्वीकार हो गया है और दूसरी कार्यवाही को रोक लिया गया है। कम से कम यह मालूम होना बहुत अनिवार्य है।

श्री सभापति : यह जो एडजोर्नमेंट-मोशन था वह स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन हाउस की मन्शा के अनुसार इस पर बहस आज ही चल रही है। उससे पहले कहा गया था कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट होना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर्स न थे तो भी कहा गया कि जितनी भी सूचना है, वह आपके सामने रखी जाय। उस हाउस की मन्शा के अनुसार सरकार की तरफ से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बाद में बहस होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापति महोदय, मैं दिल्ली की उस कांफ्रेंस की चर्चा कर रहा था जिसमें पॉलिसी की बातें हुईं और उसमें खास तौर से निर्णय यह लिया गया कि कोई भी स्टेट मोटे अनाज के मूवमेंट पर जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं वे नहीं रहनी चाहिए और हमने........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Point of order sir, आपने यह कहा है कि १० लाख टन प्रोडक्शन हमारा शोर्ट था सीरियल्स और व्हीट को मिलाकर। मैं जानना चाहता हूं कि क्या १० लाख टन शॉर्टेज के कारण कीमतें इतनी बढ़ रही हैं। आप अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में १० लाख टन कम उत्पादन होने से देश में या राजस्थान में ये प्राइसेज हुई हैं, मैं इस कारण को नहीं मानता। देश का टोटल प्रोडक्शन और उसके साथ में देश में जो दूसरे फैक्टर्स हैं वे सारे जिम्मेवार हैं, हिंदुस्तान के प्राइस स्ट्रक्चर को ऊंचा उठाने में। राजस्थान हिंदुस्तान का एक अंग है, उसका असर राजस्थान में भी आया है। तो माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सारी थीरिज को डवलप करने में समय लगेगा।

तो माननीय सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उस कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी के तौर पर निर्णय लिया गया कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खाद्यान्नों के अन्दर खास तौर से मोटे अनाजों में, ऐसी दो-तीन स्टेट्स हैं, जहां सरकार ने डी. आई. आर. के नीचे कदम उठाये हैं, उन स्टेट्स को उन रेस्ट्रिक्शन्स को विदड्रा करना चाहिये और कोर्स ग्रेन के मूवमेंट के अन्दर हिंदुस्तान के अन्दर कोई मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। राजस्थान ने इस बात को स्वीकार किया कि समूचे देश की नीति के सिलसिले में हमको भी इस लाइन पर चलना पड़ेगा। और जो डी. आइ. आर. के नीचे रेस्ट्रिक्शन्स पिछले कुछ दिनों के लिए लागू थीं वे हम आज विदड्रा कर चुके हैं और राजस्थान के अन्दर कोर्स ग्रेन-बाजरा, ज्वार मेज और दूसरी ऐसी चीजों पर कोई रेस्ट्रिक्शन्स नहीं है।

अब मुझे खास तौर से लेटेस्ट आर्डर के बारे में जिक्र करना है। जब सदन मिल रहा था उससे पहले हमने एक आर्डर पास किया। डिफेन्स ऑफ इन्डिया के तहत एक प्रावधान और रखा और जो हिंदुस्तान के अन्दर दो-तीन स्टेट्स ने किया है। भारत सरकार की नीति है कि हमें इस बात का पता रहना चाहिये कि खास तौर से कहा जाता है कि कुछ व्यापारी, और किसान मिलकर अनाज के कोठों में रख देते हैं, जो मूवमेंट होना चाहिए वह नहीं होता है। इसकी वजह से प्राइसेज के अन्दर उतार-चढ़ाव आता है उसे चेक नहीं कर पाते। इस आलोचना को ध्यान में रखकर हमने जो आर्डर आपके सामने रखा २ अगस्त को उसमें इसने कहा है कि राजस्थान के अन्दर हर प्रोड्यूसर को यानी किसान को सब तरह का टोटल अनाज मिलाकर ५० क्विंटल से अधिक यदि उसके पास अनाज है जो करीब १२५ मन के लगभग है तो उसके स्टॉक का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद खास तौर से डीलर्स के अलावा है जो लाइसेंसिंग आर्डर से कवर नहीं होते हैं ऐसे लोगों के पास यदि सब अनाज मिला कर २५ क्विंटल से ज्यादा हो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक फार्म में तहसील हेडक्वार्टर पर। हमने १५ अगस्त आखिरी तारीख रखी है उससे पहले स्टॉक का डिक्लेरेशन करना चाहिए और उसके बाद में रखे हुए स्टॉक में जो परिवर्तन होगा, वह भी डिक्लेयर करना होगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): चाहे ५ बीघा वाला, चाहे १० बीघा वाला किसान हो?

श्री नाथूराम मिर्धा: जिसके पास ५० क्विंटल से ज्यादा है, उसमें ५ बीघा या १० बीघा का सवाल नहीं है। जिसमें १५ अगस्त तक ५० क्विंटल से ज्यादा अनाज है, सब अनाज का टोटल मिला कर चाहे ५ बीघा चाहे १० बीघा, उसको स्टॉक डिक्लेयर करना होगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: आपने जो किसान की डेफीनिशन दी है........

श्री नाथूराम मिर्धा: मैंने वर्ड "प्रोड्यूसर" माना है। हमारे इस डिक्लेरेशन से मन्शा यह है कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स ने मिलकर अनाज के पलों को रोक रखा है इसलिए भावों में बहुत उतारचढ़ाव आता है, कीमतें ऊंची चढ़ रही हैं, उनको रोका जाय और

Page No.92

(श्री नाथूराम मिर्धा)

स्टॉक की क्या पोजीशन है, यह मालूम हो जाय, खास तौर से व्हीट के बारे में उनके बाद में सरकार को क्या कदम उठाने हैं उसका क्लॉज डाला है । राज्य सरकार यदि चाहे तो उस स्टॉक को डी. आई. आर. के तहत जो प्रावधान है उन कीमतों के अन्दर रिक्वीजीशन कर सकती है । गत सत्र के बाद जो खाद्यान्नों की स्थिति है उसकी थोड़ी सी तस्वीर मैंने माननीय सदस्यों के सामने रखी ।

दूसरी बात जिस पर सदन के माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं, उसके बारे में मैं निवेदन करूं कि जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में इस साल उत्पादन करीब ३२ लाख टन के लगभग रहा रबी और खरीफ दोनों को मिलाकर राजस्थान में आमतौर से सिवा व्हीट के कभी कभी उसकी मार्जिनल डिपोजिट्स होती हैं, उस वक्त दूसरे इलाकों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिस एक-दो साल के, जबकि बाजरा कम हुआ, मेरे खयाल से ५८-५६ का साल था उस समय हमने १० लाख क्विंटल बाजरा राजस्थान में इम्पोर्ट किया था । तीन कामेडिटीज को छोड़ कर अमुक एक साल को लेकर राजस्थान ने अपने फूडग्रेन्स को इन सालों के अन्दर एक्सपोर्ट किया । एक्सपोर्ट की मात्रा इस साल की स्केर्यासिटी कन्डीशन होते हुए भी बहुत हैं। खास तौर से ज्वार बाजरा के, मेज के, ग्वार के, मोठ और मूंग की जितनी भी पल्सेज और धान है, उनके दामों में राजस्थान में हिन्दुस्तान के दूसरे व्यापारियों के लिए आज भी पड़ता खाता है और बड़े पैमाने पर इन चीजों का एक्सपोर्ट हो रहा है । इनके ऊपर हम पाबन्दी नहीं लगा सकते । इसलिए इसका फ्लो राजस्थान से नोर्मल ईयर्स के बजाय इस साल का फ्लो काफी बड़े पैमाने पर है ।

अब मैं प्राइसेज के बारे निवेदन करना चाहता हूं । यह सवाल सारे देश का है । जैसे मैंने कहा खाद्य नीति सारे देश का प्रश्न है, प्राइसेज का प्रश्न सारे देश का प्रश्न है, क्योंकि हिन्दुस्तान के अलग अलग इलाकों के अन्दर अलग अलग चीजों के अलग अलग प्राइसेज हैं । केवल एक स्टेट रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकती ।

हमारे देश के अन्दर, जैसा मैंने निवेदन किया, फूड ग्रेन्स की प्राइसेज, दूसरी चीजों की प्राइसेज, खास कर कन्ज्युमर्स कमोडीटीज, कपड़ा, माचिस और अन्य कई चीजें हैं, उनकी कीमतों में काफी बढोतरी आयी है । सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, वे समझदार हैं; जब योजनाओं का असर हमारी इकोनॉमी पर होने लगता है तो प्राइसेज में बढोत्तरी महसूस होने लगती है । पहली योजना २।। सौ करोड़ की थी, दूसरी योजना ४८०० करोड़ की थी, तीसरी योजना भी स्टेट सेक्टर की योजना और प्राइवेट सेक्टर की योजना मिलाकर काफी है । इस तरह से पिछले दस-बारह वर्षों में जनता के अन्दर पैसे का फ्लो हुआ है । इससे लोगों की क्रय शक्ति बढी है । उत्पादन किस तरह से होना चाहिए; कितना फूड प्रोडक्शन होना चाहिये और कितना कॉमर्शियल प्रोडक्शन होना चाहिए, उन सब पर इसका काफी असर पड़ता है । यानी प्रोडक्शन का प्राइसेज पर काफी असर पड़ता है । सारे देश के चावल के आंकड़ों को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

देखेंगे तो आपको विदित होगा कि ३२ मिलियन टन्स के करीब औसत प्रोडक्शन चावल का हुआ। इस साल ३३ मिलियन्स टन्स के करीब है। चार मिलियन टन्स अधिक होने पर भी प्राइसेज़ अधिक हैं।

श्री विजयसिंह झाला : (नाथद्वारा) : चावल की खपत राजस्थान में कितनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ५० हजार टन।

इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इकोनोमी के अन्दर प्लान का जो मनी आया है इससे एक तो क्रय शक्ति बढ़ी है दूसरी प्राइसेज के बढ़ने के कारण यह है कि चीजों की अवेलेबिलिटी जितनी मात्रा में होनी चाहिये न होने से भी यह कुछ स्थिति उत्पन्न हुई है। तीसरा फेक्टर ट्रेड एजेन्सीज़ का है। जो ट्रेड एजेन्सीज एक तरीके से काम करती हैं, स्वार्थ के जरिये से काम चलाती हैं, ब्लैक मनी हाथों में जमा हुआ है, स्टॉक की होर्ड करने की उनके पास सामर्थ्य अधिक हो गई है, नोर्मली प्रोफीटियरिंग की टेन्डेन्सी अधिक बढ़ी है, जिनको कानून के जरिये से एक सीमा तक कन्ट्रोल किया जा सकता है, ज्यादा कन्ट्रोल करना भी दूसरी बुराइयों को अधिक पनपाना है।

श्री मुकिलाल मोदी (कोटपूतली) : हमारे दिमाग में एक शंका है, क्या कल भी बहस होगी या नहीं या आज ही यह हो जायगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितनी जल्दी हो जाय उतना ही अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : हमें बोलना है। कल जारी रहेगी ना बहस ?

श्री सभापति : अभी इस सम्बन्ध में कोई भी समय निश्चित नहीं किया गया है बिजनेस एडवाइज़री कमेटी बैठ रही है। इस पर जितनी देर तक बहस चलेगी, वह इस पर निर्णय करेगी। अभी तो टाइम अनिश्चित है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो माननीय सभापति महोदय, मैं प्राइसेज़ के सिलसिले में अर्ज कर रहा था। जिन चीजों की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो नतीजा यह होता है कि क्रय शक्ति के बढ़ जाने पर उनकी प्राइसेज बढ़ जाती है। सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। प्राइस स्ट्रक्चर १२० से लेकर कई चीजों में १६० परसेन्ट तक ऊंचा हो गया गया है। सारे देश में प्राइस स्ट्रेक्चर में परिवर्तन आया है। इस सदन के माननीय सदस्य चाहे इसको अच्छा महसूस करें या न करें, लेकिन सारे हिन्दुस्तान के इलाकों देखते हुए, सिवाय पंजाब के वहां की स्थिति को छोड़ दीजिये, जहां पर काफी पैमाने पर खरीफ और रबी में उत्पादन हुआ है, जहां पर व्हीट का उत्पादन नोर्मल ईयर से भी अधिक हुआ है, जो बने हुए हैं, हिन्दुस्तान के दूसरे इलाकों के प्राइस, स्ट्रक्चर, व्हीट पलसेज, सीरियल्स, ऑइल सीड आदि में परिवर्तन आया है........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) :

(श्री हरिराम चौहान)

पंजाब में गेहूं के भाव क्या हैं इसके बारे में जानकारी की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप नींद ले रहे थे जब मैं बता रहा था । मैंने उन सब भावों को बताया था उस समय आप सो रहे थे ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपने फाइल मंगाई थी वह आ गयी क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब आ गई । जो आप चाह रहे हैं वह बता रहा हूं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : फाइल आ गई या नहीं !

श्री नाथूराम मिर्धा : आ गई है । उसी में से बोल रहा हूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने आंकड़ों में झांका भी नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उनको छांट लिया है । जब उन्होंने पांच मिनट तक पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया था तब मैं उस फाइल को देख रहा था ।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान में जो दूसरी स्टेटस हैं पंजाब को छोड़ कर उन स्टेट्स का जो हाल है, जो प्राइस स्ट्रक्चर है पंजाब को छोड़ने के बाद राजस्थान का दूसरा नम्बर आता है । यहां का जो प्राइस स्ट्रक्चर है, आज भी बहुत सारी चीजें बाहर जा रही हैं फिर भी दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कम हैं । राजस्थान से बाहर जाते हुए भी राजस्थान की स्थिति दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में अच्छी है । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह नहीं चाहते हैं कि इतना ऊंचा प्राइस स्ट्रक्चर रहे, लेकिन फिर भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइस स्ट्रक्चर छः, सात महीने पहले था, १६), १७) रुपये मन में गेहूं कन्ज्यूमर्स को मिले यह कल्पना लेकर चलते थे और १४) और १५) रुपया मन किसान को मिले, अब यह स्थिति देश में नहीं चल सकती है । यह सब स्थिति प्रोडक्शन के ऊपर निर्भर करती है जब सीरियस का भाव ऊंचा चढ़ने लगता है तो कामर्शियल चीजों का प्रोडक्शन का एरिया सीरियल्स में चेन्ज होने लगता है । कन्ज्यूमर्स को प्राइसेस अधिक देनी पड़ती है इस कारण किसान कम भाव में बेचे तो जो खतरा इससे आगे जाकर पैदा होने वाला है वह हम नहीं उठा सकते । क्योंकि आज की हालत को देखते हुए जो किसान को इन्सेन्टिव होना चाहिये वह नहीं होगा । फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन वह तब ही बढ़ायेगा जबकि उसको इन्सेन्टिव मिलेगा ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जब आप छः महीने के बाद सही रास्ते पर आये हैं । हमने आपको कहा था कि जो आप प्राइसेज किसान के लिये मुकर्रर कर रहे हैं । वे कम हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रोड्यूसर्स को भी रिजनेबल प्राइसेज मिले और कन्ज्यूमर्स को भी दिक्कत न हो, हमारा प्रोडक्शन बढ़े आदि बातों पर विचार करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा रही है ।

Page No.95

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) उनकी रिपोर्ट कितने सालों में आयेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी ही आने वाली है। रबी की क्रोप से पहले ही आने वाली है। देश के सामने जल्दी ही उपलब्ध होगी।

रामानन्द अग्रवाल : जब पानी सिर पर से गुजर जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल्टीवेटर को इन्सेन्टिव होना चाहिये। आज की प्राइस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुये बाजार में १६), १७) रु० मन पर ला रहे थे वह हालत वापिस आ जाय तो सम्भव नहीं है।

श्री हीराभाई : मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने दो बातें बतायी; एक तो उन्होंने यह कहा कि डीलर्स २५ क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता और किसान ५० क्विन्टल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकता। इसके अलावा जिसके पास ज्यादा अनाज होगा उनको नोटिस दिया जायगा, उसको जब्त किया जायगा। मैं खाद्य मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रकार से जो अनाज प्राप्त करेंगे उसका किस तरह से वितरण करेंगे। जिन लोगों के पास गल्ला मौजूद होते हुए भी वे जनता को देना नहीं चाहते, अगर उनकी दुकानों को लूटा जाता है तो आप गोलियां और लाठियां चलाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जिस माल को सरकार जब्त करेगी उस माल को किस रेट पर सरकार जनता को देगी, क्या इस बारे में कोई नीति है, इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये। २५ क्विटल से ज्यादा रखेगा क्या, उसके अनाज को सरकार लेकर किस भाव पर बिकवायेगी या उसी डीलर को अपनी मर्जी के मुताबिक बेचने की इजाजत देगी या आपके द्वारा निर्धारित भावों पर बेचेगी ?

श्री सभापति : अब आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्राइसेज क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे; इस बारे में विचार हो रहा है लेकिन यह मानकर नहीं चल सकते कि आज से ६ महिने पहले जो प्राइसेज थे वे ही होंगे यह मानकर नहीं चल सकते।

आज की हालत में उन परिस्थितियों में जाना मुश्किल होगा। हमें मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करने होंगे जिससे प्रोडक्शन करने वाले को इनसेन्टिव मिले, रिटेलर्स को भी अपना रोजगार चलाने में मदद मिल सके लेकिन आज से चार-पांच वर्ष तक जो प्राइसेज चले आ रहे हैं वह प्राईसेज का लेवल रह जायगा, यह नहीं हो सकता। प्राइसेज का स्ट्रक्चर उपभोक्ता के लिये क्या हो, पैदा करने वाले के लिये क्या हो, इसका निर्णय करना देश के सामने है। कन्ज्यूमर के लिये क्या होगा, जैसा कि मैंने कॉर्पोरेशन का जिक्र किया उस उस तरह से ट्रेड एजेन्सी भी एक मार्जिन देकर काम देना है, उसको भी लिमिट

Page No.96

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में रहते हुए एक्शन करना पड़ेगा जो प्राइसेज आर्टिफिशियल तरीके से जो रोजाना बढ़-घट रही है वह स्थिति ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। फूड ग्रेन जो बेसिक कॉमोडिटी है उसके प्राइसेज में स्टेबीलिटी हो, रिजनेबल लेवल पर हो हांलाकि वे गत ६ महिनों के भावों से मिल नहीं सकते, उससे कुछ ज्यादा हों, एक लिमिट तक स्टेबिलाइज हो इस पर, योजनाबद्ध तरीके से सरकार के लिये विचार करना जरूरी है। ऐसे अहम मसले को हम एक स्टेट लेवल पर तय नहीं कर सकते। सारी स्टेट्स मिल कर, भारत सरकार मिल कर इस पर विचार कर रही है, समय समय पर कॉफ्रेन्सों का आयोजन होता है उसमें सब अपने अपने विचार रखते हैं। आगे भी कॉफ्रेन्स की जरूरत होगी तो वे भी होंगी। इन कॉफ्रेंसों के जरिये कुछ निर्णय लिये हैं। गेहूं का मैक्जीमम भाव क्या हो ? उसको तय करने में मैं समझता हूं एक सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये, एक सप्ताह में व्हीट का क्या मैक्जीमम भाव हो, यह सामने आ जायगा। लोगों से डिक्लेरेशन से हम ले रहे हैं अगर उस भाव के अनुसार वे माल बेचने को तैयार नहीं होगे तो सरकार उनके व्हीट पर कब्जा करके निर्धारित भावों पर बेचने के लिये मशीनरी बनायगी। सरकार अपने एजेन्टस के जरिये उसका वितरण करायगी, उस इन्तजाम को करेगी। जब तक मैक्जीमम प्राइसेज फिक्स न हो, कितना अनाज हमारे व्यापारियों के पास है इसका पता न चल जाय स्टॉक डिक्लेरेशन कानून के तहत वे अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं उसमें ज्वार, बाजरा, जौ गेहूं इस प्रकार से पांच-छः धान के स्टॉक का डिक्लेरेशन हम ले रहे हैं। वैसे भी फूड ग्रेन्स लाइसेन्सिंग ऑर्डर के तहत हमारे पास हर पन्द्रहवे दिन कितना स्टॉक मौजूद है उसकी जानकारी आती है। सरकार इस बात की जानकारी रखना चाहती है कि लोकल कितना अनाज उपलब्ध है उससे यहां की समस्या का कितना समाधान हो सकता है, इसके लिये समय समय पर जो भी कदम उठाने की सरकार को आवश्यकता पड़ी है वे कदम सरकार ने उठाये हैं। उसके जो परिणाम आये हैं वे सदन के सामने हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं; पंजाब स्टेट को छोड़कर राजस्थान ही एक ऐसा प्रान्त है जहां व्हीट की प्राइसेज अन्य प्रान्तों से कम हैं। राजस्थान की हालत दूसरी स्टेट्ट की हालत से बहुत सन्तोषजनक है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : स्टॉर्वेशन से पांच-पचास डेथ्स न हो जाय तब तक आप स्थिति को सन्तोषजनक ही कहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक स्टार्वेशन से कहीं भी किसी की डेथ नहीं हुई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको पता नहीं है लोग पेट पर पट्टी बांधकर सोते हैं और आप कहते हैं कि स्टार्वेशन से कोई मर नहीं रहा है।

(व्यवधान, शोरगुल)

Page No.97

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : १८ रुपया मन मक्का आपने खरीदा है, लेकिन आज मक्का का भाव २२ रुपये मन है। आप उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा: विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों को चिन्ता है, इस बारे में वे चाहे जिस प्रकार से डिमोन्स्ट्रेशन करें, उसके लिये मैं डाइरेक्शन देने वाला नहीं। लेकिन जो स्थिति है वह हमारे लिये सन्तोषजनक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपकी आत्मा स्वीकार करती है क्या कि यह स्थिति सन्तोषजनक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा: मेरी आत्मा में जब सन्तोष होता है तभी मैं कहता हूं......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप यह चाहते हैं कि हालात और बिगड़ जायं।

श्री नाथूराम मिर्धा: हम तो बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो और उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं.... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यही बातें आपने ११ अप्रेल को भी कही थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): जब पचास लाशें निकल जायगी तब आपको सन्तोष होगा... ....

श्री नाथूराम मिर्धा: आपको भी बोलने का समय मिलेगा, आप अपने वक्त में बातें कह दीजिये। मैं, आप जब बोलते हैं उस समय इस तरह से खड़ा होकर हल्ला नहीं करता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी क्या यह मान्यता है कि ११ अप्रेल को जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ है ? आज जो स्थिति है उसके अन्दर आपकी जिम्मेदारी कितनी है ? क्या गवर्नमेन्ट का यह असेसमेन्ट है, ११ अप्रेल के बाद स्थिति में कितना सुधार हुआ है और कितना बिगाड़, इस बारे में प्रकाश डाल दें।

श्री नाथूराम मिर्धा: सभापति महोदय, जुलाई के अन्दर जितने माल की अपेक्षा हम करते थे उसमें बैक-लॉग नहीं होता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। उसमें बैक लॉग रह गया। एक वक्त ऐसा आ गया जहां स्टॉक महीने भर का रहता था वहां सात-आठ दिन का रह गया, उस वजह से आपको असन्तोषजनक हालात लगती है। इसके लिये जो फेक्टर्स रेसपोन्सिबल हैं उसका जिक्र मैंने किया। मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि यह बता सकूं कि दस, पन्द्रह दिन में जो स्थिति बनी है उस पर काबू कर लेंगे, लेकिन हम यह पता लगा रहे हैं कि स्टॉक पोर्जीशन क्या है ? उसके बाद हम, आज जो स्थिति, है उस पर काफी मात्रा में काबू कर लेंगे। अनाज की स्थिति को आप जिस प्रकार एन्विसेज कर रहे हैं; जब तक खरीफ की फसल मार्केट में न आ जाय मुश्किलातें रहेंगी। इसको टाइट ओवर करने के लिये हमने बैक ग्राउन्ड तैयार कर ली है। इसके अलावा जो और कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह उठायेंगे। सरकार ज्यादा मात्रा में व्हीट का इम्पोर्ट करके इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करेगी.......

Page No.98

श्री सभापति: श्री कालाबादल कुछ जानकारी करना चाहते हैं।

श्री भैरवलाल "कालाबादल" सभापति महोदय; मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या सरकार यदि भूखों मरती हुई जनता लूट-खसोट कर लें तो क्या सरकार उन पर गोली या लाठी वर्षा नहीं करेगी? सरकार जब जनता के लिये अनाज का इन्तजाम नहीं कर सकती तो कम से कम लाठी चार्ज तो नहीं करे।

श्री नाथूराम मिर्धा: जनता पर जहां तक गोली या लाठी चलाने का सवाल है, वह नौबत राजस्थान में न आयी और न आने दी जायगी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर एक भी ऐसी घटना आज तक घटी नहीं है और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था, कोई विघटन नहीं है कि जिससे घटना घटे। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनायें यहां हमारे राजस्थान में न हों और आज तक हमने इसमें कामयाबी भी हासिल की है। हालांकि अखबार में छापा गया कि अजमेर में अनाज की दूकान लूटी गई और आज भी लोग प्रयत्न करना चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनायें हों ....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपका क्या ख्याल है, अखबार वाले गलत छापते है?

श्री नाथूराम मिर्धा: सभापति महोदय, विरोधी दल के लोगों का हक है कि वे अपनी बात को रखें। अगर यही हक नहीं हो अपनी आवाज को जोर से कहने का और ऐसे नाजुक वक्त में वे चुपचाप बैठ जायें तो विरोधी पार्टी फिर वह क्या हुई? ठीक है जो उनका काम है वह अपने काम को करें। हम भी अपने काम को कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: लेकिन समस्या में गम्भीरता नहीं है आपके ख्याल से?

श्री नाथूराम मिर्धा: क्यों नहीं है? समस्या में पूरी गम्भीरता है। इससे कोई इन्कार नहीं करता। लेकिन जो आपको अच्छा लगता है वह आप करो।

(व्यवधान)

इसलिए माननीय सभापति महोदय, परिस्थितियों को देखते हुए उनको रंग दिया जा रहा है। एक बार भी राजस्थान में दूकान नहीं लुटी है....

श्री रामानन्द अग्रवाल: धौलपुर में क्या हुआ?

श्री नाथूराम मिर्धा: उसके ऊपर भा माननीय मुख्यमन्त्रीजी कह देंगे। आप सुनना चाहें तो मैं अभी कह दूं।

(व्यवधान)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): धौलपुर में तो श्री मुकुटबिहारीलाल की बादाम रोगन से मालिश की है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर जरूरत पड़ी तो आपकी भी करनी पड़ेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर हालात ऐसे ही रहे तो करनी ही पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : Order please !

श्री हरिप्रसाद जी कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी करना चाहता था कि जैसा आपने बताया कि आपने ३००० सस्ते अनाज की दूकानें खोली हैं, तो क्या आपने कोई नीति निर्धारित की है ? जैसी मेरी जानकारी है ५००० की आबादी पर सस्ते अनाज की दूकानें आपने खोली हैं और अगर कहीं पर ४००० की आबादी है वहां आपने नहीं खोली। इस हालत के पन्द्रह और बीस मील दूर जाकर लोगों ने अनाज प्राप्त किया है। लोगों की हालत खराब है। इस बारे में आपने क्या नीति बनाई, यह स्पष्ट करें।

श्री सभापति : यह तो बहस के दौरान में कहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर इस तरह सवाल पूछते जायेंगे तो सारा समय इसी में समाप्त हो जायेगा। फिर भी जैसा माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में नीति रही है। सरकार ने सस्ते अनाज की दूकानें ३ हजार खोली हैं। खास तौर पर तहसील हैड क्वार्टर पर, पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर और ७ हजार से ऊपर के कस्बों पर और रूरल एरिया में ५ हजार से लेकर १२ हजार तक की आबादी के बीच में एक दूकान खोली है। अभी धान की स्थिति में ज्यादा सुधार होगा और जैसे मैंने कहा कि कोर्स ग्रेन बाहर जा रहा है और रबी की फसल आये उसके पहले धान की कमी हो सकती है। उस समय हमारे धान की परिस्थिति इम्प्रूव हो जायेगी तो हम और दूकानें खोलेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास स्टॉक ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ५ हजार की आबादी पर एक दूकान खोली है लेकिन जिस इलाके में अकाल पड़ा है वहां क्या होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले सुन तो लीजिए। मैंने कहा कि स्टॉक की बैटर पोजीशन होने के बाद जिन एरियाज में अनाज की आवश्यकता होगी वहां दूकानें खोली जायेंगी और लोगों को मुसीबत में नहीं पड़ने दिया जायेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर दो करोड़ जनता के अन्दर साल भर में कितना अनाज लगता है और राजस्थान में कितना अनाज पैदा हुआ और कितना बाहर भेजा और....

श्री नाथूराम मिर्धा: आप बैठिये आपको जवाब देता हूं। राजस्थान में एक साल में २ करोड़ जनता जो राजस्थान में है अगर

Page No.100

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१६ औंस के हिसाब से खाने का अन्दाजा लगाया जाये तो हमारे स्टेटिस्टिक्स विभाग का कहना है कि राजस्थान की जनता के लिए ४० लाख टन अनाज खाने को चाहिए । राजस्थान का औसत प्रोडक्शन ४४ से ४५ लाख टन के करीब है । इस साल का उत्पादन ३२ लाख टन हुआ है । ३२ लाख टन और ४० लाख टन के बीच में ८ लाख टन का गैप है । ८ लाख टन में से २। लाख टन इम्पोर्टेड व्हीट इस समय में आ चुका है और बाकी का लाने के लिए, जितनी कमी है उसको पूरा करने के लिए, हमारे पास अनाज आयेगा और पूरे साल खायेंगे । सुन लिया अब तो आपने ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक्सपोर्ट कितना हुआ ?

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल पूछें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने ३२ लाख टन कुल प्रोडक्शन बताया है । इसमें यह बतायें कि कितना तो इसमें गेहूं है............

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस समय मैंने कहा था उस समय तो आप बाहर तफरी करने चले गये थे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप तसल्ली रखिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तफरी में चले गये, मैंने बताया था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप सुनें तो सही ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मौजूद नहीं रहे और मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बौखलाइये नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नहीं आप बौखला रहे हैं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो अन्न है वह कितना एक्सपोर्ट हो चुका है, आज राजस्थान में कितना उपलब्ध है ? व्यापारी लोग अपना 'सी' फार्म सबमिट करते हैं उसके अनुसार आज राजस्थान के अन्दर, मोटा या गेहूं का अन्न जैसा भी हो, कितने व्यापारियों ने तो रिटर्न्स के द्वारा राजस्थान गवर्नमेन्ट को शो कर रखा है, इस प्रकार कितना अन्न व्यापारियों के पास है और कितना अन्न आज किसानों के पास मौजूद है ? इसके पश्चात् यह सूचना दीजिए कि जो इम्पोर्टेड व्हीट है और जो हमारा दूसरा अन्न है इसका डेली कन्जम्पशन कितना हमारे पास अवेलेबल है और जो राजस्थान का है और कितना इम्पोर्टेड व्हीट आप मार्केट में डाल रहे हैं । इन दोनों को देखने के बाद क्या सरकार यह नहीं समझती है कि जो इम्पोर्टेड व्हीट है वह खाद्यान्न रूप से आदमियों को न मिलकर अण्डरग्राउन्ड जाकर ब्लैक में बिकता है ?

Page No.101

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस प्रकार का आपने सवाल रखा वह फाइलों से सारा ट्रेस होकर आयेगा और पहले पहले बात मैंने बता दी थी कि आपने यहां ३२ लाख टन पैदा हुआ है। इसमें ७ लाख टन गेहूं है। वैसे १०।। लाख टन नोर्मली होता है। अब वह कितना होगा, कितना व्यापारियों में है और कितना किसानों के पास है, कितना रोज चाहिए इन सारी चीजों का ब्यौरा तो सवाल पूछें तो दफ्तर की फाइलों में है...........

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना एक्सपोर्ट हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो सालों में नोर्मली एक्सपोर्ट है, सिवाय व्हीट का एक्सपोर्ट तो बन्द है नोर्मली कोर्स ग्रेन का एक्सपोर्ट दूसरे सालों से ज्यादा है, यह मैंने कहा है और वह कितना ज्यादा है वह करीब २ लाख क्विन्टल से ज्यादा है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि १।। महीने पहले के कितने थे २ लाख क्विन्टल उस समय ज्यादा था। एक्सपोर्ट कोर्स ग्रेन का ज्यादा है, यह मैं मानता हूं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक्सपोर्ट करने के पहले क्या आपने सोचा है कि आपके यहां पर्याप्त मात्रा में है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं फिर पूरे आंकड़े लाऊंगा। अभी एण्ड थोड़े ही हो रहा है ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : फिर आप क्यों कह रहे है ? आंकड़े आपके पास नहीं आये तो आप क्या कह सकते हैं ?

श्री सभापति : आप आपस में ज्यादा बातें न करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तो आपके हुक्म की तामील करता हूं। आप कहें तो बोलूं ही नहीं।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोतपुतली) : मेरा निवेदन है कि चालीस लाख टन की आवश्यकता है और बत्तीस लाख टन पैदा हुआ, तो आठ लाख की तो यह कमी रही और इसके बाद दो लाख टन एक्सपोर्ट होने दिया, तो क्या आपने इतना अनाज भारत सरकार से मांगा या नहीं और अगर नहीं मांगा तो इसके लिये राजस्थान सरकार जिम्मेदार है या नहीं ? यह बतायें।

(१२. २१ म.पू.)

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

श्री विजयसिंह झाला : आप आंकड़े दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सभी बातें फीगर्स और आंकड़ों सहित कही है। कौनसी बात इसके बिना कही, आप बता दें। फिर जितने आंकड़े मैंने दिये बताये, वे आपको याद रह जावें तो मुझे कहना। मैंने तो सारी बातें आंकड़ों से कही हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने तो आंकड़े मांगे हैं वे दे तो दें। कितना मुझे याद रहता है, इसे छोड़ें आप।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सदन में इतने आदमी बैठे हैं। कुछ तो इन्साफ करें। कोई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बात बिना आंकड़े दिये मैंने कही हो तो कहें मुझे ।

श्री मुकिलाल मोदी (गोगुन्दा) : सभापतिजी........

श्री अध्यक्ष : सभापतिजी तो चले गये हैं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारीजी ।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : अभी आपने कहा था कि हमेशा के बजाय दो लाख क्विन्टल का ज्यादा एक्सपोर्ट किया किया गया । तो यह ज्यादा एक्सपोर्ट इस-किया गया था कि यहां अकाल पड़ गया था इसलिये क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक्सपोर्ट करने की बात हमने नहीं कही । यह तो नॉर्मल ट्रेड चैनल खुला है और इसमें कई लोगों को भावों में पड़ता पड़ता है और मूवमेन्ट खुला होता है तो ले जाते हैं, यहां से खरीदकर ले जाने वाले । तो हमने इसको एन्करेज किया हो ऐसी बात नहीं है । जो स्थिति हुई है वह इसलिये हुई है कि नॉर्मल ट्रेड एजेन्सी खुली रहती है । रेस्ट्रिक्शन हम इस पर नहीं लगा सकते । अब इसमें कम-ज्यादा चला जावे तो सरकार जिम्मेदार नहीं है । तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एन्क्लूड करना चाहिये । इसलिये ये जो बीच में आपत्तियां खड़ा करते हैं उनसे प्रोटेक्शन चाहता हूं आपका ।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैंने प्राइस स्ट्रक्चर, फूड स्केयरसिटी, उसकी उपलब्धि उसके वितरण आदि के बारे में बयान किया, अब शक्कर और गुड के बारे में कह दूं ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : On a point of information, Sir...

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को भाषण देने दें ।

श्री अब्दुल जब्बार : बहुत जरूरी प्रश्न है अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : जरूरी बात के लिये फिर मौका मिलेगा ।

मन्त्री महोदय, कृपया आप पांच सात मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका हुक्म हो तो कहूं ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आप पांच-सात मिनिट मे कह दें जो कहना हो ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं शर्तिया पांच मिनिट में समाप्त कर दूंगा, अगर बीच में टोका नहीं तो ।

श्री अब्दुल जब्बार : एक जरूरी सवाल है बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : जरूरी सवाल है, इसीलिये तो इसके लिये तीन चार दिन दे रहे हैं। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, शुगर का प्रश्न है। राजस्थान को पहले ६ हजार टन का आटा मिलता था। इस पर भारत सरकार को हमने कहा कि राजस्थान की जन संख्या दो करोड़ है और दो करोड़ की जनसंख्या वाली दूसरी स्टेटों को जब आप बारह और तेरह हजार टन देते हैं तो राजस्थान को भी अधिक देने के बारे में विचार करें। इस पर जैसा मैं पहले कह चुका हूं भारत सरकार ने दूसरी स्टेटों के कोटा में से पांच परसेन्ट कट किया है वहां राजस्थान को एक हजार टन अधिक कोटा दिया है। छः की जगह पिछले दो माह मे सात हजार टन है। जो कोटा मिलता है उसे हर जिला वाइज तीन हिस्सों में बांटा है। रूरल जन-संख्या के लिये, अर्बन के लिये और हलवाइयों के लिये। रूरल जनसंख्या का कोटा ३५ सौ टन के लगभग है दो हजार टन का इसके अलावा शहर वालों के लिये; ८०० टन का कोटा हलवाइयों के लिये। कुछ रिजर्व में रखते हैं। जहां की जैसी परिस्थिति हो कलेक्टर देखकर देता है तो दो-चार डिब्बे स्पेशल रखते हैं। स्पेशल परमिट शादी और जापे के लिये देते हैं दूसरी तरह के परमिट न दिये जावें, ऐसी व्यवस्था कर दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हलवाइयों को खाण्डसरी शुगर भी देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक हजार टन का एक बार दिया था। बहुत कोशिश करने ने बाद यह रिलीज किया था। हलवाई एसोसियेशन ही वह कोटा का शुगर लाई।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसके बदले में क्रिस्टल शुगर का कोटा काट लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं काटा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह सारा उन्होंने ब्लेक में बेच दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हलवाइयों को क्रिस्टल शुगर का कोटा नहीं दिया इसके बदले में। तो जितना अवेलेबल है इक्विटेबल लेबल पर बांट देते हैं। और कई समस्याएं इसके साथ जुडी हुई है। मैं इस समय उन सब की डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप पूछेंगे तो जवाब के रूप में निवेदन करूंगा।

इसके अलावा गुड का कोटा है। इसके लिये अखबारों में भी प्रचार चलता है, इन्डिविजुअल ट्रेडर लोग नाराज हैं, शिकायतें भी करते हैं कि लाखों रुपया इसमें खा गये। हमारे लिये भी कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं.... ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a Point of order sir !

आप कहते हैं, अखबार वाले झूठा प्रचार करते हैं कहते हैं लोग कि आप खा गये। अगर ऐसा नहीं है तो दावा कोर्ट में करके इन लोगों को पकड़ाओ, इनका चालान करवाओ। यहां रेफर करना इस तरह से तो यहां कोई अर्पा-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लेट कोर्ट नहीं है यह सदन। कानून खुला है। आप दावा करो उन पर। अखबार वाले कहते हैं कि खा गये, तो दावा करके उनको बन्द करवाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोर्ट में करेंगे तो एक तो खादीवाला ने की, नतीजा क्या हुआ ? देखा आपने।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी इस सलाह के लिये धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में इस क्रय-विक्रय संघ की मार्फत हमने एक सैल और पर्चेज एजेन्सी गुड़ के लिये कायम की। इसे राजस्थान के गुड का कोटा मिलता था। किसी महीने में चार हजार टन, किसी में पांच हजार टन; एक महीने में दस हजार टन भी मिला। ६ महीने की औसत करीब ४३ हजार टन की होती है। इसमें से पहले दो महीनों में कुछ कोटा लैप्स हो गया। इस तरह से ३५-३६ हजार टन का कोटा इस क्रय-विक्रय संघ ने खरीदा। इसमें से पांच छः हजार टन के लगभग, पूरे में से, जहां राजस्थान में कोऑपरेटिव सोसाइटी या इसकी एजेन्सी नहीं ले सकी, वहां प्राइवेट लोगों को मुकर्रर करके दिया। इसके अलावा २६-३० हजार टन कोऑपरेटिव एजेन्सियों की मार्फत डिस्ट्रिब्यूट हुआ है।

अब इस क्रय-विक्रय संघ के लोगों द्वारा खरीद करने के सम्बन्ध में शिकायतें आईं कि एक आदमी खरीद करता है, कम पैसे देता है और ज्यादा पैसा बीजक बिल में लगाता है। तो इनकी जांच करने के लिये हमारे अफसर, कोऑपरेटिव विभाग के जोइंट रजिस्ट्रार अलग अलग इलाकों में गये हैं, जा रहे हैं। जो परिणाम होंगे मैं सदन के माननीय सदस्यों के रखूंगा। अब इसमें से २६-३० हजार टन सामने का वितरण कोऑपरेटिव एजेन्सियों की मार्फत हुआ है तो कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटियों की शिकायत हो सकती है। उनकी शिकायत सुनने के लिये कोऑपरेटिव विभाग मौजूद है।

इसके बाद में क्रय विक्रय-संघ के द्वारा खरीदने के बारे में जो डिफेक्ट्स नजर आये और जो पुख्ता तरीके किये जा सकते थे, वे दो-तीन महीनों में किये गये। खरीदने के लिये गये। खरीदने के लिये तीन प्रतिनिधि रखे गये। एक फूड विभाग की तरफ से एक कोऑपरेटिव विभाग की ओर से और एक वहां की कोऑपरेटिव संघ का आदमी। तो दो तीन महीने में इन्होंने कोटा खरीद किया है, उसमें जो होल नजर आये उनको ठीक किया है।

जहां तक सरकारी नीति का प्रश्न है सरकार की नीति रही कि यह कोऑपरेटिव सोसाइटियों के मार्फत बिके। जिले में होल सेलर वही हो, रिटेलर भी वही हो। तो इस प्रकार की नीति के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की गई। और गुड़ का डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिए तो आखिर गुड़ का प्रश्न तो हल हो चुका है, और उसके बारे में रेस्ट्रिक्शन कन्ट्रोल वगैरह

Page No.105

(श्री नाथूराम मिर्धा)

था वह सारा विदड्रॉ हो चुका है और अब गुड़ के हिन्दुस्तान के अन्दर आने-जाने के लिए खुला रास्ता बन गया है। इसके बारे में चर्चा में पड़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मुकिलाल मोदी (कोटपुतली) : गुड़िया शक्कर का क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गुड़िया शक्कर के साथ में गुड़ है। वह उसकी डेफिनिशन में आता है। गुड़ के बजाय गुड़िया शक्कर जितनी लाये हैं वह उसमें इन्क्लूडेड है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Mis Gur is Guriya.

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा हो सकता है।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि गुड़ का प्रश्न तो हल हो चुका है।

शुगर के प्रश्न पर मैं आपकी मारफत सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। तीन-चार महीने जितना उपयोग करना चाहें वह करें। आने वाली फसल में गन्ने की जिस प्रकार की स्थिति है, जिस प्रकार की कोप गन्ने की हुई है तो अगले साल में शुगरकेन का उत्पादन ३३-३४ लाख से कम होने वाला नहीं है और जिस समय यह होगा तो गुड़ की जो स्थिति हुई है वही शुगर की स्थिति होगी और उस पर जो मंदा ज्यादा कहने का मिल रहा है वह शायद नहीं मिले। चार महीने के बाद में वह मौका मिल जायगा।

खाद्यान्न की स्थिति के बारे में, जैसा कि मैंने निवेदन किया २-३ महीने खास तौर से मुश्किल की परिस्थितियों में से गुजरना है, जितने मेजर्स लेने की आवश्यकता है — ज्यादा धान लेकर, ज्यादा ऐजेन्सी ज्यादा दुकानें खोलकर, वितरण के बारे में, लोगों की कठिनाई के बारे, में सरकार को चिन्ता है और सरकार उस चिन्ता के साथ में आगे बढ़ रही है और उस समस्या को समाप्त करना चाहती है।

मैं सोचता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसको बेस मानकर आप फिर कमी के पहलुओं को ठीक करें और आगे क्या सुधार किया जा सकता है, राजस्थान के लोगों की और परिस्थिति खराब न हो और अच्छी चीज को और आगे बढ़ाया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजनैतिक दृष्टिकोण की बिल्कुल पृष्ठ भूमि नहीं रखते हुए इन सारे मुद्दों पर बहस करके और सुझाव देंगे तो राज्य सरकार ओपन माइन्ड रखती है, ओपन आइज़ रखती है और ओपन आर्म रखती है। चाहे आप कितनी ही नाराजगी से कहें, लेकिन जो कदम जरूरी हैं वह तो उठायेगी। आपकी वेल्यूएबल सलाह से फायदा उठायेगी और ज्यादे से ज्यादा उसका उपयोग करेगी।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने भाषण को समाप्त करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो बातें इम्पोर्टेन्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : अब समय काफी हो गया है बाद में समय देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ज्यादा समय रहेगा ठीक है, लेकिन आज की स्पीच में जो मसले इम्पोर्टेन्ट थे शायद वे इनएडवर्टेन्ट से रह गये। टोटल डेफिसिट नहीं बताया और दूसरे वर्ष में उसको डाउन लाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : वे प्रश्न आ चुके हैं। यह प्रश्न कर चुके हैं आप।

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्हीट प्राइसेज को डाउन लाने के लिए क्या स्टेप ले रहे हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कह चुका हूं इसके बारे में।

श्री अब्दुल जब्बार : ५०० क्विन्टल बिकवाया है ....

श्री अध्यक्ष : सारा बहस का समय मिलेगा। इसलिए बहस समाप्त यहीं की जाती है अब। जैसा कि कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन माननीय सदस्यों के सामने आयेगा, १०, ११ और १२-तीन दिन और खाद्य समस्या पर बहस की जा रही है, इसलिये मैं आपकी अनुमति से इस बहस को यहीं समाप्त कर रहा हूं, और जो स्थगन-प्रस्ताव आये हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूं, और सदन की जो आगे की कार्यवाही है उस पर कार्यवाही की जायगी; मैं इस तरह की व्यवस्था करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि जब बहस शुरू करवाई गई थी तो आपने यह माना था कि सदन के अन्दर इस पर बहस होनी चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से अपना स्टेटमेंट रखा जाना चाहिए। उसके बाद हम यह मानकर चले थे कि आप स्थगन-प्रस्ताव को स्वीकृति देंगे और उस पर बहस चालू हो जायगी। परन्तु अब, यह बात सही है कि कार्य-सलाहकार समिति में इस बात पर चर्चा हुई है और मैंने वहां पर भी अपनी असहमति इस बात से जाहिर कर दी कि जो हाउस की फीलिंग है और जिस तरह से हाउस यह महसूस करता है कि यह मोस्ट अर्जेन्ट प्रोब्लम है और फोरन ही इस बात पर डिस्कशन चालू हो जाना चाहिए और गवर्नमेंट जिस तरह का भी स्टेटमेंट दे सकती है दे, लिखित दे सकती है तो लिखित दे और उसके बाद हम बहस करके अपने विचार रखने को तैयार हैं। तो मैं यह समझता हूं कि वह बहस चालू रहे और जो इस सदन की भावना थी उसी के अनुसार और तीन दिन यह बहस चालू रहे और फिर गवर्नमेंट इसका जवाब दे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष........

श्री अध्यक्ष : इसको पह ले लेते या अभी............

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो स्टेटमेंट माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने दिया है उसमें जो भी आंकड़े आवश्यक हैं उनकी कोई डिटेल्स इन्होंने अभी तक सदन में

Page No.107

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पेश नहीं की। इम्पोर्टेड व्हीट किस किस जिले में कितना-कितना, किस-किस महीने में दिया गया ? राजस्थान में कोर्स ग्रेन का एक्सपोर्ट किस-किस महीने में कितना कितना हुआ ? ये सारे आंकड़े इस सारी बहस की शुरुआत करने के लिये बहुत आवश्यक हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये आंकड़े जो भी तारीख मुकर्रर हो इस पर बहस करने के लिए, उससे पहले ये आंकड़े सदन में पेश कर दिये जायं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : फूड ग्रेन्स की कमी होते हुए भी मेज एक्सपोर्ट की गई है स्टार्च के लिए। खाने के लिए जिस की कमी है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है और किया गया है, तो उसके कितने आंकड़े हैं और राजस्थान सरकार उसको बन्द करने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, यह भी बतलाया जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जिस समय इस विषय पर बहस चालू की गई थी उस समय मेम्बर्स की यह राय थी कि इस विषय पर बहस चालू रहे। इस सम्बन्ध में आपकी ओर से इस प्रकार की व्याख्या हुई थी कि बिजनेस एडवाइजर कमेटी ने निर्णय किया है और उसके अनुसार इस विषय पर बहस शायद तीन दिन बाद प्रारम्भ होगी। मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस की मान्यता तो यह थी कि जारी रहे बहस, तो इसमें यह परिवर्तन हुआ है यह परिवर्तन क्या इन कारणों से हुआ है कि सरकार के पास में इसके पूरे आंकड़े नहीं हैं और नहीं होने की वजह से बहस नहीं हो सके, अगर यह क्लेरिफिकेशन है तो मैं समझता हूं कि सदन को संतोष हो सकता है। अगर यह नहीं है तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहस शुरू रहनी चाहिए। सारे हाउस की राय थी जिसके ऊपर प्रारम्भ किया गया था और आपने भी स्वीकार किया था, उसके बाद में यह क्वेश्चन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों उठा, यह सदन जानना चाहता है? इस सम्बन्ध में आपकी ओर से जानकारी मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को उनकी पार्टी के मेम्बर ने बताया होगा इस पर कि किस से क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा; इस पर बहस करना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों परिवर्तन हुआ ?

कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवे प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर सहमति

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करती है।

Page No.108

श्री अध्यक्ष : इसको आप पढ़ दें क्योंकि यह सक्युलेट नहीं हो पाया है।

श्री मथुरादास माथुर : कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक ४ अगस्त, १६६४ को हुई। ५ अगस्त से १४ अगस्त, १६६४ तक लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिए समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे :

दिनांक ५ से ७ अगस्त, १६६४
शासकीय विधायी कार्य

निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(१) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६४।

(२) राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १६६४।

(३) राजस्थान यात्रा तथा माल कर (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६४।

(४) राजस्थान अकाल सहायता कार्य कर्मचारी (श्रमिक विधियों से मुक्ति) विधेयक, १६६४।

दिनांक १० से १२ अगस्त, ८ और ६ की छुट्टी है।

राज्य की खाद्य स्थिति पर बहस।

दिनांक १३ अगस्त, १६६४

राजस्थान जनसेवा आयोग के १३ वें प्रतिवेदन पर विचार।

दिनांक १४ अगस्त, १६६४
गैर-सरकारी सदस्य कार्य

गैर सरकारी संकल्पों पर विचार।

उपरोक्त समय के बंटवारे में "अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।"

यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट है जो मैंने पढ़कर सुना दी। और जहां तक १० से १२ अगस्त तक खाद्य स्थिति पर बहस का सवाल है इसके लिये राज्य सरकार की ओर से बहुत से आंकड़े दिये हैं, फिर भी फैक्ट्स एण्ड फीगर्स सहित एक मेमोरेन्डम उपलब्ध कर दिया जायगा ताकि और भी सुचारु रूप से आप बहस कर सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा इसमें संशोधन यह है कि ५, ६ और ७ अगस्त को जो कार्य इस प्रतिवेदन में रखा है उसे १० से १२ तक लिया जाय और फूड पर बहस ५,६ और ७ तारीख को रखी जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, हम सबने मिलकर युनेनिमसली फैसला किया था। फिर भी माननीय सदस्य यदि चाहें तो ८०-८५ कांग्रेस के सदस्य हैं और ४० स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य हैं

(श्री मानसिंह महार)

हम सब की यह निश्चित धारणा है कि इसे पास किया जाय । सदन को बार बार मुगालते में में डाला जाता है फूड पर डिबेट के लिये। डिबेट हो उससे पहले सरकार की ओर से एक नोट बना कर सभी सदस्यों को सर्क्यूलेट किया जाय और उस आधार पर १०, ११ और १२ अगस्त को तीन दिन डिबेट हो और बाद में किसी निर्णय पर पहुंचें और राजस्थान की जनता को बढ़ती हुई मंहगाई से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकें, इसलिए यह डिबेट रखी गई है, इसलिये नहीं कि हम बोल जांय और कुछ भी न हो और कुछ भी न होकर मामला खत्म हो जाय। मैं खास कर अपील करूंगा इधर बैठनेवाले जनसंघ के माननीय सदस्यों से, संयुक्त समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों से .

एक माननीय सदस्य : कम्युनिस्टों से नहीं ?

श्री मानसिंह महार : वे तो आदत से लाचार हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है इसे बचपना तरीके से नहीं लेना चाहिये। जिस प्रकार हमने तय किया हैं उसी प्रकार रखा जाय । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है । सदन का कोई वर्ग एग्रीड नहीं हैं कल बहस करने के लिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आज जब स्थगनप्रस्ताव आया था तब सदन की कंसेन्सस ओपीनियन यह थी कि ३० दिन की प्रोसिडिंग्स से भी ज्यादा अहमियत का यह कार्य है और इसीलिये आपने बहस के लिए आज्ञा दी थी और कृषि मन्त्रीजी भी पूरे डेढ़ घन्टे तक इस पर बोले, बिना उनके पास किसी फाइल के उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किये ...

एक माननीय सदस्य : उनके आंकड़ों से आप सहमत तो हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किये, मैं उनसे सहमत नहीं हूं । प्रश्न यह नहीं है कि १०, ११ और १२ तारीख को इस पर बहस होगी, तो कोई विशेष बात होगी लेकिन प्रश्न यह है कि हम इस समस्या को कितना महत्व दें, प्रश्न यह है कि जन जीवन पर कितना इफेक्ट हैं, प्रश्न यह है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता त्रस्त है, प्रश्न यह है कि यह समस्या किसी भी अन्य समस्या से अधिक गम्भीर है इसलिए बहस करने के लिए यह कोर्स अपनाया था। मेरे दल के नेता और मेरी पार्टी का निश्चित मत है और हम इसके लिए प्रोटेस्ट व्यक्त करेंगे । हम किसी भी अन्य कार्य से इसको अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं । सरकार इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं । उनका दफ्तर मौजूद है, काफी हिस्सा कृषि मन्त्रीजी ने कहा है, यह कोई दलील नहीं है कि यह बहस कल नहीं हो सकती । सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग यह चाहते हैं ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : On point of order, अध्यक्ष महोदय एक प्रस्ताव इस सदन के सामने माननीय विधि मन्त्री ने प्रस्तुत किया

Page No.110

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हूं कि आया कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को सदन स्वीकार करता है या नहीं। मैं समझता हूं सदन के सम्मुख कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हो, खास कर इस प्रकार का प्रस्ताव तो इस सम्बन्ध में साधारण परम्परा और नीति सदा से यह रही है कि हर दल की तरफ से एक व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर दे जब तक कि जनरल डिबेट इस पर न हो और यदि जनरल डिबेट कर रहे हैं तो अनेक व्यक्ति बोल सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस पर जनरल डिबेट नहीं हो रही है और न यह कोई विचार का सवाल है। सवाल इस बात का है कि दल के प्रतिनिधियों ने बैठकर फैसला किया है। कम्युनिस्ट नेता ने कहा कि उनकी असहमति थी, फिर भी उनको बहुमत की ओर देखना चाहिये, कार्य सलाहकार समिति का निर्णय है। निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य बहुमत से निर्धारित कार्य सलाहकार समिति की व्यवस्था को साधारणतः ओवरलुक नहीं कर सकते और न इसके लिए कोई भाषण या वाद-विवाद की आवश्यकता है। उनकी पार्टी के नेता ने अपनी राय व्यक्त कर दी है तो फिर एक पार्टी के तीन मेम्बर हों और तीनों को एक दूसरे से या नेता की बात से सन्तोष नहीं हो तो यहां भाषण देने के बजाय घर में तय कर लें कि रामानन्दजी नहीं बोलेंगे, हरिरामजी बोलेंगे तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है। जब एक बार दल के नेता बोल लें, उनका तर्क सदन ने सुन लिया अब सदन निर्णय ले सकता है। मैं समझता हूं विचार आज शुरू होना चाहिये, यह शुरू में विरोधी पक्ष की मांग होने पर भी आसन ने डेमोक्रेटिक वे में इसे स्वीकार किया और नियमित कार्यवाही को स्थगित करके फूड पर बहस शुरू कराई। सरकार की इच्छा नहीं होने पर भी आसन ने सरकार को मजबूर किया यह विरोधी पक्ष की बहुत भारी जीत थी। लेकिन उनके विरोध के कारण भाषण कार्यवाही से एक्सपंज होगया, अब बोलेंगे वह भी कार्यवाही से एक्सपंज होगा, अखबारों में छपेगा तो नहीं, फिर फायदा क्या होगा?

We should put it to vote and create healthy traditions.

हरिरामजी फिर खड़े होंगे और बोलना शुरू कर देंगे। इनकी पार्टी के तीन हैं, तो तीन बोलें और स्वतन्त्र पार्टी के ४० हैं तो क्या ४० बोलेंगे?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने भैरोंसिहजी से फैसला कर लिया है क्या?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भैरोंसिंह जी बोल जाते हैं तो मैं आधा घण्टा चुप बैठ जाता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप गलत कह रहे हैं। वे इस पक्ष में थे कि बहस खत्म की जाय और आप इस पक्ष में थे कि बहस चालू रखी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : So far as each member is standing, one should speak howsoever they might be devided.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You should not teach surmons.

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री): The member should address the chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am never going to give any surmons to devils.

आप नाराज मत होइये। यह आवश्यक नहीं है कि हर पक्ष के लोग बोलें, दो हैं तो दोनों ही बोलें। रामानन्द जी बोले हैं इसलिये उनका समर्थन है, हरिराम जी बोलेंगे तो समर्थन नहीं होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ने उनको लीडर माना है। Ramanandji is not the leader, HariRam Ji is the leader. जहां मामला डिस्प्यूटेड हो कि लीडर कौन है तो यहां पर इतना समय क्यों खराब किया, १५ रु० भत्ते के क्यों खराब किये.... ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is to be decided by the Chair and not by you. It is none of your business.

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कम्युनिस्ट पार्टी का नेता गरीब नहीं हो सकता। सेठ और जागीरदार हो सकते हैं, गरीब कम्युनिस्ट पार्टी का नेता नहीं हो सकता। हम गरीबों की हिमायत करते हैं। सेठ रामानन्दजी लीडर हैं हांडा जी जागीरदार लीडर हैं .. ....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : अब नई बहस न शुरू हो जाये।

Order please !

अब श्री वाढ़दार कुछ कहेंगे। श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह हम जानते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम अमीर हैं, अमीरों की पार्टी है। आप गरीब बनते हैं और गरीबों के नेता सेठ बनते हैं।

(शोरगुल-व्यवधान एक साथ अनेक सदस्यों के आपस में वाद-विवाद करने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! इस तरह आपस में वाद-विवाद न करें और शांति से बहस के तरीके से बात करें।

श्री दुर्गालाल वाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) : मैं अर्ज करना चाहता हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : Somebody is interested in creating such scenes in the House,

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करते हुए मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जितने भी माननीय सदस्य इस सदन में बैठते हैं वे कोई व्यक्तित्व भी रखते हैं। उनकी महानता इसमें नहीं कि वे अपना परिचय इस प्रकार से दें। मैं समझता हूं, चाहे मेरी पार्टी के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों और चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, इस प्रकार दोषारोपण करने की दृष्टि से बात न कहें। प्रत्येक माननीय सदस्य हजारों व्यक्तियों के रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में इस विधान सभा में उपस्थित होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब यह गीता पाठ भी सुनना पड़ेगा....'

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहूंगा, A point of order, has been raised.

(शोरगुल-व्यवधान अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ आपस में वाद-विवाद करने के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसे हम सहन नहीं कर सकते।

श्री मानसिंह महार : The House is supreme,

श्री अध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य इस तरह व्यवहार न करें। उत्तेजित न हों, इस तरह व्यवहार न करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सदन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत होती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप विराजमान हों।

श्री नत्थीलाल : अध्यक्ष महोदय नियम जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आज्ञा दें तो आगे की कार्यवाही करूं मैं ?

प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति का १५वां प्रतिवेदन स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इन्होंने (कम्युनिस्ट सदस्यों ने) No कहा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : पीते हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कठपुतलियां हो।

अनुमति प्राप्त विधेयक

(सदन की मेज पर रखना)

सचिव विधान सभा (श्री अनोपसिंह) : मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४

(२) राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(३) राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४।

(४) राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(५) राजस्थान भूर-राजस्व (अधिभार) (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(६) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४।

(७) राजस्थान नगरीय भूमि-कर विधेयक, १९६४ ।

सदन की मेज पर रखे गये अध्यादेश, नियम एवं विनियोग लेखे इत्यादि

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (वेलीडेशन) ऑर्डिनेन्स, १९६४ को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : It is not audible.

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई ।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित सदन की मेज पर रखता हूं।

एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स....

श्री अध्यक्ष : श्री भीखाभाई ।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (अमेंडमेंट ऑर्डिनेन्स, १९६४ सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, १९६४ सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) Together with reasons.

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९९ (२) के अन्तर्गत निम्नांकित नियम पुन: सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री भीखाभाई)

(अ) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (ग्रान्ट ग्रॉफ कोपीज ग्रॉफ रेकार्ड्स) नियम, १९६३ ।

(आ) राजस्थान पंचायत समिति (यूज ग्रॉफ विहिकल्स) नियम, १९६३ ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्पलॉइज (एग्जेम्प्शन फाम लेबर लॉज) ग्रार्डिनेन्स, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : I put on the table of the House.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : This should be expunged.

श्री मथुरादास माथुर : सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बिल को पुरः स्थापित किया है । उसको विड्ड्रा करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पुरः स्थापित करने की इजाजत ली है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कर नहीं सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इजाजत मांगते हैं, यह होना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : पूरा कर दूं ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल रूल्स, १९६४ की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या चीज है, दा साहब ? यह जो रखी है यह क्या चीज है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक्सीडेंट्स के कारण जो क्लेम्स होते हैं उनके नियम हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हैं नियम ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, विहिकल्स अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत, होम बी विभाग की अधिसूचना संख्या एफ १ (३) । ४७ एच. बी. जी. आर. १।६३ दिनांक ७ जुलाई, १९६४ को, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स नियम १९५१ के नियम ५४ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

Page No.115

श्री अध्यक्ष : भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (पंचायत मन्त्री): मैंने रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने दोनों रख दिये?

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री): रख दिये साहब उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित सदन की मेज पर रखता हूं :

(१) राजस्थान विनियोग लेखा, १९६२-६३

(२) राजस्थान वित्त लेखा, १९६२-६३; तथा

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६४।

श्री अध्यक्ष : सलेक्ट कमेटी रिपोर्टस।

प्रवर समिति के प्रतिवेदनों काउपस्थापन

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकण्डरी एजूकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति पत्रों सहित) उपस्थान करता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : समय बढ़ाया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एं!

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४ एवं राजस्थान पंचायन समिति तथा जिला परिषद् (द्वितोय संशोधन) विधेयक, १९६४ (पुर : स्थापन)

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं। अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थोन पंचायत समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पुर : स्थापित करता हूं। अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय, दो मिनट।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान फेमिन रिलीफ वर्क्स एम्प्लाइज (एग्जेम्प्शन फ्रोम लेबर लॉज) बिल, १९६४ को पुरः स्थापित करता हूं। अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : I challenge the competence of the Government to bring the bill before this Legislature, Sir.

मैं राज्य सरकार को जो भी वैधानिक अधिकार हैं इस बिल को सदन में पेश करने के उनको चुनौती देता हूं। मैं निवेदन करना

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

चाहूंगा, यह बिल शुरू होने से पहले क्योंकि सदन का समय समाप्त हो रहा है, इस पर अर्ज करने की इजाजत मुझे देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं।

Whether this is tenable or not......

स्थगन प्रस्ताव करना है........

श्री अध्यक्ष : चुनौती इस पर दी है। इसको लेने से पहले उन्हें सुन लिया जाय।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तनर सदन की कार्यवाही म. प. १. १ बजे बुधवार, दिनांक ५ अगस्त, १९६४ के ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट ?

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

फिजीकल ट्रेनिंग कालेज, जोधपुर के भवन को खरीद

१६. (२४। ई० एम०) श्री मुरलीधर व्यास, एम. एल. ए. (बीकानेर) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जोधपुर फिजीकल ट्रेनिंग कालेज के लिए बिल्डिंग की खरीद की आफर १.४५ लाख रुपये की जो मालिक की तरफ से प्रिन्सिपल को दी गई थी वह प्रिन्सिपल ने सम्बन्धित (अधिकारी) डायरेक्टर को नहीं भेजी ? यदि भेजी, तो कब, किसके जरिये या इसका प्रमाण रजिस्ट्री स्लिप सरकार ने देख ली है ?

(ख) यदि यह सही नहीं है तो फिर सरकार ने किस आधार पर बिल्डिंग की खरीद रु। ११ लाख में की ?

(ग) इस खरीद के लिये किस तारीख को किसके द्वारा मंजूरी दी गई, तथा इसका प्रारम्भिक कागज किसने किसके जरिये प्रारम्भ किया ?

[सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है (शिक्षा विभाग का पत्र संख्या एफ ११।२६१। इजु सी आई।६४, दिनांक ४ अगस्त, १६६४)]

क्षेत्र प्रचार कार्य के लिए मूल्यांकन समिति

२० श्री केदारनाथ (गंगानगर) : Will the Public Relations Minister please reply :—

Is it a fact that a Committee was appointed by the Directorate of Public Relations to evaluate field publicity work in Rajasthan ? If yes, what are its findings and recommendations ?

उत्तर

जी हां। सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय ने अपने क्षेत्रिय प्रचार कार्य के मूल्यांकन करने हेतु एक विभागीय समिति नियुक्त की थी। उसने एक प्रतिवेदन दिया है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की उसके निष्कर्षों और तथ्यों के संबंध में अन्यथा सम्मति है। अतएव दोनों पर विस्तार से विचार हो रहा है। अंतिम निर्णय करने में अभी थोड़ा समय लगेगा।

तहसील भवन की मरम्मत सुनेल

२१. श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नायब तहसील सुनेल भवन का कुछ भाग गिर गया है?

(२) यदि हां, तो कब?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त भवन की मरम्मत जब से सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला, नहीं कराई गई है?

(४) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार सुनेल का हैडक्वार्टर पिडावा इसी बिना पर बदला गया कि नायब तहसील भवन गिरने वाला था?

(५) क्या सरकार उपरोक्त भवन की मरम्मत करवाने का इरादा रखती है?

(६) यदि हां, तो कब तक इसकी मरम्मत करादी जावेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सन् १९६१ में।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी नहीं।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूर्तियों की चोरी

२२. श्री रामकिशन (वैर) ; क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि श्री विद्यारतन भटनागर, एडी० चीफ इंजीनियर को पुलिस ने मूर्तियों की चोरी के मामले में गिरफ्तार करके दस हजार रुपये की जमानत पर छोड़ा है और जांच अभी जारी है ?

(२) क्या श्री विद्यारतन भटनागर एडी० चीफ इंजीनियर आजकल मौअत्तिल हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराके पता लगाया है कि श्री विद्यारतन भटनागर एक लम्बे समय से मूर्तियों की चोरी द्वारा धन कमा रहे थे ?

(४) क्या सरकार ने इनके कोटा स्थित मकान की तलाशी ली है और क्या यह सत्य है कि वहां चोरी की मूर्तियां रखी हुई हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु जमानत एक हजार की ली गई थी। न कि दस हजार की और तफतीस पूरी कर ली गई अब कोई जांच बाकी नहीं है।

(२) जी नहीं। मुकदमा का चालान पेश होने पर विथडा कर लिया गया।

(३) जी नहीं।

(४) जी नहीं। कोई तलाशी नहीं ली।

राजस्थान की आजादी की लड़ाई का इतिहास

२३. श्री भंवरलाल, 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान की आजादी की लड़ाई का इतिहास लिखने के लिये एक कमेटी की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) इस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं और अब तक इस कमेटी ने कितना काम पूरा कर लिया है ?

(३) उपरोक्त इतिहास कब तक प्रकाशित हो जाने की सम्भावना है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

माजी-का-बाग की भूमि-ग्राम देवली तहसील सांगोद

२४. श्री जुझारसिंह (चेचट):—क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या ग्राम देवली, तहसील सांगोद (कन्वास(में "माजी का बाग" की भूमि तहसील के कब्जे में है जिसे तहसील द्वारा हर साल पट्टे पर काश्त करवाई जाती है ?

(२) क्या इस भूमि को ग्राम पंचायत देवली द्वारा पंचायती काम के लिये मांगा जा रहा ? यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

पंचायत को भूमि देने में रेवेन्यू विभाग का नुकसान है इसलिये देने का विचार ही नहीं उठता है।

बकरा बाव अथवा घासमारी लाग (टैक्स) की वसूली—तहसील बाली, देसूरी

२५. श्री मोहनराज (बाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत बकरा बाब (बकरालाग) अथवा घासमारी नामक लाग (टैक्स) वसूल करना जायज नहीं है ?

(२) क्या यह भी सही हैं कि इस प्रकार की लाग बाग बाली व देसूरी तहसीलों के रायकान (पशु-पालक) से संवत् १९१७ तक की वसूली की जा रही हैं जबकि राजस्थान के अन्य डिविजनों व जिलों में उस वर्षों की इस प्रकार की कोई लाग अथवा टैक्स वसूल नहीं किया गया व नहीं किया जा रहा है ?

(३) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की नाजायज वसूली को तत्काल बन्द करने और जिनसे इस प्रकार की गलत वसूली की गई है उन्हें उनकी रकम लौटाने की आज्ञा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में बकरा बाब (बकरालाग) अथवा घासमारी नामक टैक्स वसूल करने तथा न करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(२) जी हां। घासमारो राजस्थान डिसकन्टीन्यूस्स श्राफ सैसेज एक्ट १९५९ के तहत वसूल की जा सकती है।

(३) कोई नाजायज वसूली नहीं की गई है और उसको वापिस करने तथा बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

आयरन ओर के लिए सर्वे—गांव नठारा, तहसील सराड़ा

२९. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गांव नठारा (Nahara) तहसील सराड़ा आयरन ओर (Iron-ore) का सर्वे राज्य सरकार के खनिज विभाग ने कराया था ? यदि हां, तो यह सर्वे किस तारीख से किस तारीख तक चला और राज्य सरकार का उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) सरकार को उक्त सर्वे की क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सर्वे रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त रिपोर्ट पेश होने के बाद उक्त क्षेत्र किसी को लीज पर दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस को लीज एग्रीमेंट की एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या उक्त लीज होल्डर को ? राज्य सरकार ने चार ट्रक्स-माल ढोने के लिए दे रखी हैं ? यदि हां, किन शर्तों पर ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त लीजहोल्डर द्वारा यूगोस्लाविया सरकार के साथ कोलोबोरेशन में कोई आयरन व स्टील प्लांट लगाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना के लिए ग्राम कानपुर व उसके आसपास के गांवों की जमीन को अवाप्त करने की भी कोई योजना है ?

(६) क्या यह सही है कि डायरेक्टर माइन्स व जीओलोजी ६३-६४ में यूगोस्लाविया गये थे ? यदि हां, तो किस कार्य से ?

उत्तर

(१) सर्वे का काम इस प्रकार हुआ:—

(१) प्रारम्भिक सर्वे।

१ मार्च सन् १९५५ से ३० सितम्बर १९५५ तक

(२) विस्तृत रूप से भुवेज्ञानिक नक्शों के तैयार करने का काम

८ मार्च सन् १९६१ से २९ अप्रेल १९६१ तक

(३) ड्रिलिंग —

१ नवम्बर १९६१ से ८ जून १९६२ तक।

इन तीनों कार्यों में कुल रुपये १,०८,५९४--०५ रु० खर्च हुए।

(२) इन तीनों कार्यों की रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) जी हां, मेसर्स पी० पी० सिंहल एण्ड कम्पनी, उदयपुर को लीज पर दिया गया है। लीज एग्रीमेन्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी हां वे वहां के खनिजों के सम्बन्ध में अध्ययन करके जानकारी प्राप्त करने के लिये गए थे।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पिक्चर पैलेस सिनेमा, उदयपुर की लीज

२७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर का पिक्चर पैलेस सिनेमा हाउस भूतपूर्व मेवाड़ सरकार द्वारा जिस अवधि के लिये लीज पर दिया गया था वह अवधि समाप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे वापस अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है?

(२) क्या यह सही है कि म्युनिसिपेलिटी ने भी इस सिनेमा हाउस को लेने के लिए मांग की थी!

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

वर्षा के अभाव के फलस्वरूप अकाल-जिला जालोर

२८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि इस वर्ष वर्षा के अभाव से जिला जालोर में भयंकर अकाल पड़ गया है ? अगर हां तो अकाल पीड़ितों के लिये सरकार क्या २ राहत कार्य इस जिले में करना चाहेगी ?

(२) क्या यह सच है कि अकाल की वजह से सांचोर तहसील में पानी व चारे की भयंकर कमी है ? अगर हां, तो सरकार इसके लिए क्या २ उपाय सोच रही है ताकि इस क्षेत्र के पशु बच सकें ?

(३) अकाल पीड़ितों को बचाने के लिए सरकार तमाम व्यवस्था कब तक कर देगी ?

(४) क्या यह सच है कि इस वर्ष अकाल की वजह से सांचोर तहसील के नेयड क्षेत्र में चारे व पानी की भयंकर कमी है ? अगर हां, तो उसको दूर करने के लिए सरकार क्या २ कदम उठायेगी ?

(५) अकाल पीड़ितों को रोजी देने के लिये सरकार क्या २ काम कब तक शुरू कर देगी ? पशुओं को बचाने के लिये नेयड़ क्षेत्र में सरकार क्या राहत कार्य करने का सोच रही है ?

(६) जिला सांचोर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या २ राहत कार्य सम्पन्न कराए गए हैं ? बाकी अब कितने कार्य अपूर्ण हैं और वे कब तक पूरे कर दिए जावेंगे ?

उत्तर

(१) इस वर्ष वर्षा के अभाव में जालोर जिले के १२० गांवों को राज्य सरकार ने खरीफ सम्वत् २०२० की फसल नष्ट होने के कारण अभावग्रस्त घोषित किया था। अभावग्रस्त क्षेत्र में ३० तालाबों व नाड़ी खुदाई के काम चालू किये गये जिन पर ३८,२५० रु० ६० न० पै० खर्च हुए तथा सिंचाई विभाग के अधीनस्थ चितलवाणा पर पांच बांधों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया जिन पर १,०३,७५६) रू० खर्च हुए। एक सड़क तखतगढ़ से मोकलसर तक जालोर जिले में अकाल सहायता मद से निर्माण कराई गई है जिसके लिए कुल २ लाख रू० स्वीकृत किए गए हैं।

(२) चारे की कमी वाले क्षेत्रों में सरकार ने फीडर डिपो खोले थे जिन पर कुल ६७६५ मन चारा वितरण किया गया। चारा बितरण एवं पशु सुरक्षा हेतु ४७०००) रू० स्वीकृत किये गये। पानी की व्यवस्था के लिए २०,०००) रू० ६३-६४ में तथा १३,०० रू० ६४-६५ के लिए स्वीकृत किये गये थे।

(३) अकाल पीड़ितों को बचाने के लिए सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है।

(४) सरकार ने बाहर से चारा मंगवाकर वितरित किया तथा चारा खरीदने के लिए व अन्य आवश्यक कार्य के लिए १,४६,२०० रू० तकावी के लिए दिये गये।

(५) भाग १ व ४ में स्पष्ट किया जा चुका है।

(६) भाग १ में स्पष्ट किया जा चुका है। चितलवाणा पर बाढ़ नियंत्रण का कार्य चल रहा है जो भी जुलाई के अन्त में समाप्त हो गया है।

रवीन्द्र मंच

२६. श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) रवीन्द्र मंच के प्रबन्ध हेतु क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि स्टेज संबंधी आवश्यक सज्जा सामग्री के अभाव के कारण संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने में कठिनाइयों का अनुभव किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उसका निराकरण किए जाने की क्या संभावना है और इस ओर क्या आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ?

(३) क्या यह सच है कि रवीन्द्र मंच पर होने वाले कार्यक्रमों के अवसर पर कलाकारों एवं दर्शकों के लिए पेय जल की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ?

(४) क्या यह भी सच है कि रवीन्द्र मंच में बने विभिन्न ग्रीन रूम्स में तत्संबंधी अभी तक कोई सज्जा सामग्री उपलब्ध नहीं है ? इन्हें व्यवस्थित रूप देने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(५) मंच का नियमित उपयोग होता रहे, इस बारे में क्या योजना विचाराधीन है ?

(६) रवीन्द्र मन्च बन जाने के बाद राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का कार्यालय जयपुर स्थानान्तरण होने के विषय में राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

(१) रवीन्द्र मन्च के प्रबन्ध के लिये राज्य सरकार ने एक विशिष्ट समिति का निर्माण किया है। यह समिति राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के तहत कार्य कर रही है। रवीन्द्र मंच की व्यवस्था सम्बन्धी कार्य अकादमी को प्रदान किया गया है ।

(२) साधारणतया जो सामग्री नाट्य गृह सुलभ करते हैं वह सामग्री रवीन्द्र मन्च पर है। स्टेज पर फ्रन्ट करटन, बैंक करटन, दो अन्य करटन, अठारह विंग्स एवं रोशनी की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को ही करनी पड़ती है

(३) रवीन्द्र मंच में विभिन्न स्थानों पर नल लगे हुए हैं। किन्तु कभी कभी पानी की सप्लाई बन्द हो जाने पर कठिनाई अवश्य आई है। निर्माण की स्थिति में व प्रेशर न होने के कारण बहुत सी बार टन्कियां नहीं भरी जा सकी। अब समुचित पानी की व्यवस्था हैं। अन्य सिनेमा एवं मनोरंजन गृहों की भांति रवीनन्द्र मंच प्रयक से पानी की व्यवस्था नहीं कर पायेगा। केन्टिन बन जाने पर यह सुविधा अवश्य मिल सकेगी।

(४) अभी ग्रीन रूम्स में सज्जा व फर्नीचर आदि नहीं है। किन्तु आवश्यक सामग्री प्रत्येक कार्यक्रम के लिये प्राप्त की जाती रही है। शीघ्र ही फर्नीचर आदि बन रहा है। और उन्हें फिट कर दिया जायेगा। यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्पन्न करवा रहा है।

(५) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि रवीन्द्र मंच के साथ एक प्रोफेशनल नाट्य संस्था की स्थापना की जाय। इस विषय में अभी प्रस्तावित बातचीत चल रही है।

(६) जी हां, राज्य सरकार संगीत नाटक अकादमी के कार्यालय को राजधानी में लाने की सोच रही हैं।

राजकीय माध्यमिक शाला, चंडावल

३०. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या शिक्षामन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा स्कूल भवन पर व्यक्ति विशेष का नाम

लिखने बाबत व स्कूल का नाम व्यक्ति के नाम पर रखने बाबत नियम बनाए गए हैं ? यदि हां, तो उनकी कापी सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह भी सच है कि राजकीय माध्यमिक शाला चंडावल, जिला पाली के भवन निर्माण में समय समय पर विकास खन्ड, शिक्षा विभाग व पंचायत समिति से भी सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी २ कब २ दी गई व उक्त सहायता से क्या क्या कार्य करवाया गया ?

(३) क्या यह भी सच है कि चन्डावल माध्यमिक शाला के कमरों पर चन्द व्यक्तियों के नाम लिखे गये हैं व साथ में उनके द्वारा किया गया चन्दा भी दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो वे कोन कौन व्यक्ति हैं और क्या यह सही है कि राजकीय सहयोग से बने स्कूल पर इस तरह का नाम नहीं दिया जा सकता ।

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त स्कूल के निर्माण में जिन व्यक्तियों के नाम कमरों पर लिखे हैं उनके अलावा भी जनता ने आर्थिक सहयोग दिया है ? यदि हां, तो कितना ?

(५) उक्त स्कूल भवन का निर्माण कार्य किसने कराया और क्या कमरों पर नाम लिखने की कार्यवाही विधिवत है व राजकीय आदेशानुसार है ? और अगर ऐसा नहीं है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(६) क्या यह भी सच है कि इस तरह से जन सहयोग से व राजकीयसहयोग से बने भवन पर इस तरह चन्द व्यक्तियों के नाम लिखने की वजह से दूसरे दान दाताओं ने ऐतराज राजकीय अधिकारियों के पास किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां । सरकार द्वारा नाम व्यक्ति के स्कूल का नाम से रखने बाबत नियम बनाए गये हैं । नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी है ।

(२) जी हां । राजकीय माध्यमिक शाला चन्डावल जिला पाली के भवन निर्माण हेतु विकास खन्ड सोजत द्वारा २०००) रुपये और पंचायत समिति सोजत द्वारा ४२५०) रु० दिये गये हैं । शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई धनराशि स्वीकृत नही की गई है उक्त सहायता की धनराशि भवन निर्माण कार्य को पूरा करने एवं गरडर्स आदि खरीदने में व्यय की गई ।

(३) जी हां। चण्डावल माध्यमिक शाला के कमरों पर चन्द व्यक्तियों के नाम जिन्होंने उक्त कार्य के लिए धनराशि दी, लिखे हैं। साथ में केवल एक कमरे पर दीपमल बालचन्द सुराणा चन्डावल के साथ उनके द्वारा दिया गया चन्दा २५००) रु० भी दर्ज है यह सत्य नहीं है कि स्कूल पर इस तरह का नाम नहीं दिया जा सकता। यह नियम के अन्तर्गत है।

(४) जी हां। इस स्कूल के भवन निर्माण में जिन व्यक्तियों के नाम कमरों पर लिखे गये हैं उनके अलावा भी जनता ने छोटी छोटी धनराशि के रूप में कुल १०८२०) रु० की सहायता दी है।

(५) इस भवन का निर्माण कार्य ग्राम पंचायत चंडावल द्वारा निर्मित स्थानीय भवन समिति द्वारा कराया गया था और पंचायत समिति सोजत के ओवरसीयर द्वारा उक्त कार्य का निरीक्षण किया गया। कमरों पर नाम लिखने की कार्यवाही नियमांतर्गत है।

(६) इस सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र हाल ही में शिक्षा निरीक्षक पाली के कार्यालय में प्राप्त हुआ और क्योंकि उक्त शाला का भवन अभी तक विभाग को नहीं सौंपा गया है अतः इस सम्बन्ध में जानकारी शिक्षा विभाग से प्राप्त की जा रही है।

Copy of letter No. F. 1 (57) GA/4/57 dated 5-11-57 from the Chief Secretary to the Govt. General Administration Department, 'A' Rajasthan, Jaipur to the All Heads of Departments.

Sub:—Rules regarding naming of buildings or institutions after the names of donors.

Govt. has been pleased to direct that in case where Donors desire that the Building of institutions for which they have contributed be named after them or their relatives, the following rules shall be observed :—

1. In case where 50% to 75% of the non-recurring expenditure inclusive of the cost of furniture and equipment, has been donated by a person, the institution may be named as desired by the donor but that the word 'Government' must be placed invariably after the desired name e. g. 'Ramjilal Government dispensary';

2. In cases where more than 75% of such non-recurring expenditure has been donated by a person, the wold 'Govt.' need not be attached to the name of the Institution e. g. 'Ramjilal Dispensary';

3. In cases where smaller mounts have been donated for particular blocks or wards, such blocks or wards may be named as desired by the donor on the lines mentioned above.

बरामदों का अलॉटमेन्ट—अलवर

३१. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर नगर में होप सर्कस की कैजासबुर्ज का बरामदा मालिक गोविन्दराम व्यापारी अंग्रेजी शराब को २१) रु० माहवार पर अलॉट किया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त बरामदा कुछ अर्सा पहले नीलाम किया गया था जिस पर किराये की बोली १८०) रु० माहवार लगी थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस बरामदे के पास इसी बुर्ज का ऐसा ही बरामदा १८०) रु० माहवार पर डबल हाथी सोप फैक्ट्री के मालिक श्री ठाकुरदास को अलॉट हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि मालिक गोविन्दराम को जो बरामदा अलॉट किया गया है उस बरामदे को नीलाम करने के तारीख २८-५-६३ के लिए नोटिस भी जारी हो चुके थे लेकिन बरामदा नीलाम न किया जाकर मालिक गोविन्दराम को अलॉट कर दिया गया ?

(५) क्या सह सही है कि ये बरामदे जबसे बने हैं तबसे अलॉटमेन्टों से पहले कभी किसी व्यक्ति को अलॉट नहीं हुआ और इनको गांवों से आने वाली जनता धूप और वर्षा में विश्राम के लिए इस्तेमाल करती थी ?

(६) सरकार ने इस सार्वजनिक हित को नजर अन्दाज करके इन बरामदों को अलॉट क्यों किया ? क्या सरकार इसकी उपयोगिता पर पुः विचार करेंगी ?

उत्तर

(१) जी हां। किन्तु पिछला व मौजूदा किराया १८० रु० माहवार के हिसाब से वसूली के आदेश जारी कर दिये है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) राजस्व वृद्धि के विचार से।

जी नहीं।

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिए)

Statement to form the basis of supplementaries to Assembly question No. 5/C. M. by Shri Raghunath Bishnoi.

Cattle lifting including cattle theft.

District Jalore.				F. R. Given				Challen			Disposal by court.			Property.		
Year.	Cases registerred	Recovery in full	That u/s 157 Cr. P.C.	Un-occurred	Un-traced	For want of proof.	pending investigation	Challan for trail	Challan u/s 512 C.r P.c.	Acquited.	Compromised.	Convicted	Pending trial.	Stolen	Recovered.	Percentage of recovery.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1962	66	51	1	9	6	6	-	41	3	3	8	11	19	30767/-	22012/-	94%
1963	-78	37	–	11	8	1	3	31	4	–	1	3	27	27615/-	25880/-	22%

1	2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Burgalries.									
1962	95	12	1	8	57	1	-	27	1	3	4	9	11	32164.64	5223.25	16%
1963	96	13	-	5	53	3	4	31	-	1	4	7	19	31479.20	11.004	10.34%

Percentage of detention to true cases completely investigated — Cattle theft (i) 1962.65% (ii) 1963.74%
Burgalaries (i) 1962-33% (ii) 1963.37%

percentage of comrition to cases decided on merits. — Cattle thefts (i)1962-78% (ii)1963-100%
Burgalaries (i) 1962-75% (ii) 1963-87.5%

❀ शुद्धि-पत्र

(कार्य--विवरण, दिनांक ४ अगस्त, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१०	अन्तिम से २	श्री भवानीशंगर	श्री भवानीशंकर
१३	१०	किया है जिसके नाम	किया है, किसके नाम से इश्यू किया है
१५	८	चतुर्थ पंचत्रर्षीय योजना में	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में
१७	अन्तिम से ७	No There	No, there
२७	अन्तिम से ५	स्केयर्रसिटी	स्केर्यासिटी
३१-३२	शीर्षक	४ अगस्त १९-	-४ अगस्त, ६४-
४०	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
४८	५	इम्पार्शिल	इम्पर्शियल
,,	६	Noted by .	Noted by......
५०	१०	बार्गलरी	बर्गलरी
५८	अन्तिम से ३	श्री उमावसिंह	श्री उमरावसिंह
६५	६	श्री मानिकचन्द	१. श्री मानिकचन्द
,,	१०	एग्जामिनेसन्स	एग्जामिनेशन्स
,,	अन्तिम से ३	हुए है	हुए हैं
६६	२	शामल	शामिल
,,	४	से है	से हैं
,,	५	आवश्वकता	आवश्यकता

(२)

१	२	३	४
७३, ७४ व ७७से ८०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७५	शीर्ष	(श्री (मुख्य मन्त्री)	(श्री मुख्य मन्त्री)
७७-७८	शीर्षक	-४ गस्त	४ अगस्त
६१	,,	सम्बन्धा	सम्बन्धी
१०६	,,	राज्य की खाद्य	राज्य की खाद्य स्थिति
११७	१३	जनता	जनता........
,,	१७	तो भूख	जो भूख
,,	२०	से निवेदन	और सिचाई मंत्री से निवेदन
११८	१८	इस साल मामले	इस मामले
,,	२१	पूर्र में	पूर्व में
,,	२३	चितिति हैं	चिंतित हैं
,,	२७	सदस्यो ने	सदस्यों ने
,,	अन्तिम	न हो और	न हों और
१२३	१५	श्री रामानंन	श्री रामानन्द
,,	१८	Order please !	Order please ! कृपया स्थान ग्रहण करें।
१२५	शीर्ष	——	(श्री अध्यक्ष)
१२७	,,	——	(श्री मानिकचन्द सुराणा)
१३२	१३	अग्रबाल	अग्रवाल
१३७	अन्तिम से२	श्री माहनलाल	श्री मोहनलाल
१३६	शीर्ष	(श्री रोंसिह)	(श्री भैरोंसिह)

१	२	३	४
१४०	८	श्री लक्ष्मणसिंह	श्री लक्ष्मणसिंह
१६०	१७	हांड़ा	हांडा
१७७	शीर्षक	राज्य का	राज्य की
१७९	प्रथम	नाथूराम	श्री नाथूराम
१८९	७	रामानन्द	श्री रामानन्द
१९३-१९४	शीर्षक	४ अगस्त	—४ अगस्त
१९३ व १९४	क्रमशः अन्तिम से ५ व ३	श्री रामानन्द	श्री रामानन्द
१९४	३	श्री भैंरवालाल	श्री भैरवलाल
२०२	७	श्री मुक्तिला	श्री मुक्तिलाल
२०७	५	श्री सतीशन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
२१२	शीर्षक	वाद-विवाद	पर.वाद-विवाद
२१७	अन्तिम से १०	पन्द्रहवे	पन्द्रहवें
२२०	शीर्षक	की उपस्थापन	का उपस्थापन
२२१	प्रथम	श्री योगेन्द्रनाश	श्री योगेन्द्रनाथ
२२२	७	हांड़ा	हांडा
२२४	अन्तिम से ६	वाढदार	वाढ़दार
,,	,, ,, ४	श्री हरिप्रसद	श्री हरिप्रसाद
,,	अन्तिमसे २,१	कठपुतलिया हो	कठपुतलियां हों
२२६	,, ,, ६	जयपुर) Together	जयपुर) : Together
२२९	१	भीखाभाई	श्री भीखाभाई
,,	८	कोल	कौल

१	२	३	४
२२९	अन्तिम से ४	उपस्थान	उपस्थापन
२३०	२	पंचायन	पंचायत
२३१-२३२	शीर्षक	राज्य की खाद्य स्थिति पर वाद-विवाद	विधेयकों का पुरःस्थापन
,,	४--५	(हवा महल जयपुर :	(हवामहल, जयपुर) :
,,	६	(तदन्तनर	(तदनन्तर
२३६	प्रथम	संगोद	सांगोद
२३८	१२	होने में	होने से
,,	१३	पिक्चर	पिक्चर
२३९	२	विश्नोई	विश्नोई
२४०	१२	श्री सतीसचन्द्र	श्री सतीशचन्द्र

※ नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।